रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/99 REGISTERED NO. DL-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1999 (माघ 3, 1920)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1999 (MAGHA 3, 1920)

7/4/99

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	39
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	39
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	99
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचना	77
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	105
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	305
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	35
भाग V — अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाले सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1—421 GI/98

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	39
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	39
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	99
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)— Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	77
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	105
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements, and Notices issued by Statutory Bodies	305
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	35
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	*

*Folios not to received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सिविलेतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1999

शुद्धिपत्र

सं. 3-प्रेज/98—इस सचिवालय की दिनांक 15-8-1997 की अधिसूचना सं. 70-प्रेज/97, भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में दिनांक 30-8-1997 को प्रकाशित में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

पृष्ठ 2 क्रम सं. 13

श्री पी. कालिन्दैराज
चालक यान्त्रिक
तामिलनाडु

के लिए

श्री पी. कुलन्दैराज
चालक यान्त्रिक
तामिलनाडु

पढ़ें

बरूण मिश्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 1998

सं० 112/प्रेस/98—राष्ट्रपति महोदय, निम्न व्यक्तियों/कार्मिकों को अनुकरणीय वीरता के लिए कीर्ति चक्र प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. श्री बलाई चन्द्र मैती, पश्चिम बंगाल (मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख 05 जून, 1996

05–06–1996 को 7.35 बजे सांय के लगभग जिला मिदनापुर थाना भूपति नगर के अन्तर्गत बैजकुल मार्केट में इगारा बैजकुल रोड़ के दक्षिणी किनारे स्थित अड़ोस-पड़ोस की आभूषण की दो दुकानों पर 15–20 डाकुओं ने पाइप गनों और बमों से धावा बोलकर डकैती डाली । जब डाकू आभूषण की दुकानों को लूट रहे थे इन दुकानों के मालिकों ने शोर मचाया । इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मैती, श्री श्यामल त्रिपाठी; श्री बलाई चन्द्र मैती तथा श्री भाग्यधर शित ने ईंट पत्थरों से डाकुओं पर आक्रमण कर दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों के साथ लोगों द्वारा डकैतों का डट कर सामना करने पर डकैतों ने भीड़ तितर-बितर करने के लिए बम फेंके । इसी दौरान, श्री बलाई चन्द्र मैती ने एक डाकू को पकड़ लिया । यह देखकर एक दूसरे डाकू ने श्री मैती से उस डाकू को छुड़ाने के लिए उन पर गोली दाग दी । परन्तु घायल हो जाने के बावजूद श्री मैती ने डाकू को नहीं छोड़ा । अंत में डाकू उस साथी को छोड़कर भाग गए जिसे श्री मैती ने पकड़ा हुआ था । इसी बीच भीड़ ने उस डाकू को पीट-पीट कर मार डाला । परन्तु श्री बलाई चन्द्र मैती को अपनी चोटों के कारण अस्पताल ले जाते हुए मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार श्री बलाई चन्द्र मैती ने डाकुओं के कुख्यात गैंग का सामना करने के लिए भीड़ की अगुवाई करने में अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया और इस दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

2. कैप्टन अनिल कुमार (एस एस–36038), 6 डोगरा

पुरस्कार की प्रभावी तारीख 11 जुलाई, 1997

11 जुलाई, 1997 को लगभग 12.30 बजे जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर अत्यधिक ऊंचाई तक उबड़-खाबड़ पहाड़ियों पर कैप्टन अनिल कुमार के गश्ती दल का सामना पांच सशस्त्रों से सुसज्जित विदेशी उग्रवादियों से हुआ ।

उग्रवादियों ने गश्ती दल पर यूनिवर्सल मशीनगन तथा राइफल ग्रेनेड से भारी गोलीबारी की । कैप्टन अनिल कुमार ने अपने सैनिकों को व्यूह रचना के अनुसार तैनात करके कारगर ढंग से उग्रवादियों का सामना किया । शीघ्र ही उग्रवादी अपनी यूनिवर्सल मशीन गनों की गोलीबारी की आड़ लेकर तथा उसी समय आसमान में उभर आए नीचे बादलों का सहारा लेकर पीछे लौटकर भागने लगे । इन बादलों के कारण बहुत कम दूरी तक देख पाना संभव था । इस युवा अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की कतई परवाह न करते हुए एक दिशा में रेंगकर एक उग्रवादी के भागने का रास्ता रोक लिया । इस उग्रवादी ने जब देखा कि यह अधिकारी उसके एकदम नजदीक आ चुका है तो उसने उस पर गोलियों की बौछार कर दी । अत्यन्त साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए कैप्टन अनिल कुमार उग्रवादी पर झपटे जिससे वह हतप्रभ रह गया और उन्होंने

उसको हथियार सटाकर गोली मार दी। इसी बीच यू० एम० जी० लिए हुए दूसरे उग्रवादी ने इस अधिकारी को वहां से हटने का मौका नहीं दिया जिसकी गोलियां समाप्त हो चुकी थीं। यू० एम० जी० की भारी गोलीबारी के कारण उसका सुरक्षित दिशा की ओर रेंगना असम्भव था। कैप्टन अनिल कुमार ने मृत उग्रवादी की ओर रेंगकर उसकी ए के–47 राइफल उठा ली। लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करते हुए असाधारण व्यक्तिगत साहस का परिचय देते हुए इस अधिकारी ने यू० एम० जी० की गोलीबारी के बीच झपटते हुए बिजली की गति से आक्रमण करते हुए उग्रवादी को मौत के घाट उतार दिया।

अब एक बचा हुआ उग्रवादी बचने के लिए इस अधिकारी पर गोली चलाते हुए भागने लगा। असाधारण वीरता के उत्कृष्टतम उदाहरण का परिचय देते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को पूरी तरह खतरे में डालते हुए इस अधिकारी ने स्वयं ही उग्रवादी का पीछा किया और उसे मार गिराया।

इस प्रकार कैप्टन अनिल कुमार ने अपने दायित्वों से कहीं आगे बढ़कर और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को भारी खतरे में डालते हुए असाधारण तथा अनुकरणीय व्यक्तिगत वीरता का परिचय दिया।

3. मेजर अशोक कुमार सहरावत (आई सी–41634),
19 राष्ट्रीय राइफल्स

(मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24 अगस्त 1997

दिनांक 24 अगस्त, 1997 को मेजर अशोक कुमार सहरावत एरिया डोमिनेशन मिशन पर थे। सायं 5 बजे उन्होंने छह उग्रवादियों को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मजगाम गांव की ओर आते देखा।

सैनिकों को देखकर ये उग्रवादी धान के खेतों की ओर बीच-बीच में गोलीबारी करते हुए भाग गए। मेजर अशोक कुमार सहरावत ने अपनी टुकड़ी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए वे उग्रवादियों का पीछा करते हुए उनके नजदीक पहुंच गए। इस बीच वे अपनी टुकड़ी से काफी आगे निकल चुके थे और गोलियों से घायल हो चुके थे।

इस अधिकारी ने बिना रुके अकेले ही दो उग्रवादियों को मार गिराया। सैनिक जैसे ही उग्रवादियों के नजदीक पहुंचे उन पर छुपे हुए उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी कर दी। अपने सैनिकों को गंभीर खतरे में घिरा हुआ देखकर मेजर अशोक कुमार सहरावत घायल होते हुए भी अपने हथियार से गोलीबारी करते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए खेतों में घुस गए। जिससे उग्रवादियों की गोलीबारी रुक गई। इसी बीच एक उग्रवादी ने इस अधिकारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन चोटों के कारण मरने से पूर्व मेजर अशोक कुमार सहरावत ने उस उग्रवादी को भी मार गिराया। इससे प्रेरित होकर सैनिकों ने चार विदेशी भाड़े के सैनिकों को मार गिराया तथा कई लोगों की जान बचाने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया।

इस प्रकार मेजर अशोक कुमार सहरावत ने अपनी जान देकर भी दृढ़ नेतृत्व, असाधारण बहादुरी, अपराजेय मनोबल तथा कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया।

4. 4176880, नायक गोपाल सिंह,
3 कुमाऊं।

(मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 अगस्त, 1997

दिनांक 29 अगस्त, 1997 को एक निश्चित सूचना मिलने पर 10 बजे पूर्वाह्न श्रीनगर जिले की तहसील गंदरबल के चाक फतेहपुरा गांव को घेरने तथा उसकी तलाशी लेने के लिए एक अभियान चलाया गया। पूरी तरह घेरा बांधने के बाद तलाशी टुकड़ियों ने दक्षिण से पूर्व की ओर गांव की गहन तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान कुछ घरों में छुपे हुए उग्रवादियों ने एक तलाशी टुकड़ी पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी तथा धुआंधार ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। इस तलाशी टुकड़ी से एक नायक गोपाल सिंह ने असाधारण साहस दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए तुरंत जवाबी गोली-बारी की और वहीं पर एक उग्रवादी को मार गिराया। इसी के साथ नायक गोपाल सिंह की निरंतर तथा सटीक गोलीबारी से दूसरा उग्रवादी भी मारा गया।

इस प्रकार घिरे हुए उग्रवादियों ने अंतिम उपाय के तौर पर घर की घेराबंदी को तोड़ने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी के दौरान नायक गोपाल सिंह के पेट में दाहिनी ओर गोली लग गई। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की कतई परवाह न करते हुए वह उस तीसरे उग्रवादी पर हावी रहे जो कि घर के अंदर से अंधाधुंध गोली चला रहा था। उग्रवादी को देखते ही नायक गोपाल सिंह घर में घुस पड़े तथा सटीक गोलीबारी करके उग्रवादी को मार गिराया। नायक गोपाल सिंह को तत्काल बेस अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां 29 अगस्त 1997 को 3.30 बजे अपराह्न चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार नायक गोपाल सिंह ने शौर्य तथा वीरतापूर्ण कृत्य का परिचय देते हुए भारतीय सेना की श्रेष्ठ परंपरा को कायम रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

5. 4263622 नायक विश्व केर्केट्टा, 17 बिहार
(मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 20 अक्तूबर, 1997

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर जिले के बंदहामागांव में 20-21 अक्तूबर, 1997 को एक विशेष तलाशी अभियान शुरू किया गया था। वहां हिंसक तथा लड़ाकू उग्रवादी एक ऐसे दो मंजिला मकान में किलाबंद थे जो कि उस क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर था तथा जो गोलीबारी करने के लिए उत्कृष्ट स्थान था, जिसके कारण इस के अंदर जाना प्रायः असंभव था।

उग्रवादियों ने सैन्य टुकड़ी पर भारी सघन तथा प्रभावी गोलीबारी शुरू कर दी जिससे वे मध्यम दर्जे की मशीन गनों तथा हथगोला लांचरों की सहायक गोलीबारी की आड़ के बावजूद अभियान को आगे नहीं बढ़ा सके। इस गतिरोध को दूर करने के लिए नायक विश्व केर्केट्टा ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए और असाधारण साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी से भयभीत हुए बिना गोलियों की बौछार के बीच में दौड़ लगाई तथा एक तीव्र और साहसपूर्ण कार्रवाई करके खिड़की में से मकान के अंदर हथगोला फेंक दिया। जिससे दो उग्रवादी मारे गए तथा तीसरा उग्रवादी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नायक विश्व केर्केट्टा ने निकट पहुंचकर अपने हथियार से मार गिराया।

चौथा उग्रवादी स्वयं को अकेला तथा फंसा हुआ पाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ खिड़की से बाहर कूद गया किंतु इस गोलीबारी में नायक केर्केट्टा गंभीर रूप से घायल हो गए। नायक विश्व केर्केट्टा ने अपने गंभीर जख्मों की परवाह न करते हुए आमने-सामने की लड़ाई में उग्रवादी को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई।

नायक विश्व केर्केट्टा ने अकेले ही चारों दुर्दांत उग्रवादियों को मार गिराया जिनमें दो उग्रवादी विदेशी थे। बाद में नायक विश्व केर्केट्टा वीरतापूर्ण कार्रवाई के दौरान लगे गंभीर जख्मों के कारण 1900 बजे वीरगति को प्राप्त हो गए।

इस प्रकार नायक विश्व केर्केट्टा ने अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया तथा भारतीय सेना की श्रेष्ठ परंपरा को कायम रखते हुए सर्वोच्च बलिदान किया।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

संख्या 113-प्रेस/98—राष्ट्रपति महोदय निम्न कार्मिकों/व्यक्तियों को शत्रु का सामना करते हुए वीरता दिखाने के लिए वीर चक्र प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1. फ्लाइट लेफ्टिनेंट भुपिंदर (21545) उड़ान (पायलट)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 अक्तूबर, 1997

फ्लाइट लेफ्टिनेंट भुपिंदर 25 मार्च, 1996 से वायुसेना की 114 हेलिकाप्टर यूनिट की तैनाती नफरी पर हैं। इस सेवाकाल के दौरान उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की दुर्गम पहाड़ियों में बिना किसी घटना/दुर्घटना के 380 घंटे उड़ान भरी है।

22 अक्तूबर, 1997 को चीता जेड-1457 हेलिकाप्टर को मजबूरन अमर हेलीपैड पर उतरना पड़ा था। परिणामतः उस हेलिकाप्टर को 19,250 फुट की उंचाई तथा शत्रु की ओर से लगातार की जा रही गोलीबारी के बीच से निकालकर लाना था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भुपिंदर को उस हेलिकाप्टर की वापसी के कार्य में 21 अक्तूबर, 1997 को सह-पायलट के रूप में तैनात किया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भुपिंदर अपने कैप्टन के साथ अमर हेलीपैड पर उतर गए। शत्रु की छिट-पुट गोलीबारी के बावजूद, उन्होंने हेलिकाप्टर को चालू करने तथा वहां से सुरक्षित उड़ाकर ले जाने में अपने कैप्टन की सहायता की। इस कार्य में उन्होंने अत्यंत साहस और उच्चकोटि की कार्य कुशलता का परिचय दिया और अपने हेलिकाप्टर को सुरक्षित बेस कैंप में ले आए।

26 अक्तूबर, 1997 को उन्हें बिला हेलिपैड तक वायु अनुरक्षण उड़ान करने के लिए कैप्टन के रूप में तैनात किया गया। हेलीपैड पर हेलिकाप्टर से सामान को उतरवाते समय उनका हेलिकाप्टर भारी गोलाबारी की चपेट में आ गया।

उनके सहायक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए के कुरियन (121730) उड़ान (पायलट) की टांग छर्रे से घायल हो गई तथा हेलिकाप्टर को भी छिटकने वाले कंकड़-पत्थरों से काफी क्षति पहुंची। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने अपना धैर्य नहीं खोया तथा तुरंत वहां से उड़ गए। वे अत्यधिक क्षतिग्रस्त हेलिकाप्टर को सुरक्षित उड़ाकर बेस कैंप ले आए। उड़ान पश्चात् निरीक्षण से पता चला कि मुख्य रोटर ब्लेडों, एयरफ्रेम तथा पर्सपेक्स को काफी हानि हुई थी।

इस प्रकार फ्लाइट लेफ्टिनेंट भुपिंदर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में शत्रु का मुकाबला करते हुए उच्चकोटि की कार्य कुशलता तथा साहस का परिचय दिया।

2. मेजर नवीन (आई० सी०-50881), 11 जम्मू तथा कश्मीर राइफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 2 नवम्बर, 1997

1 नवम्बर, 1997 को टीम कमांडर मेजर नवीन को जम्मू तथा कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर

13,000 फुट की ऊंचाई पर शत्रु की एक चौकी को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया था । इस चौकी का इस्तेमाल शत्रु घाटी में उग्रवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए करता था ।

मेजर नवीन ने थोड़े से समर्पित सैनिकों के साथ बर्फ से ढके रास्ते को तीव्र गति से पार करने के लिए अत्यधिक जोखिम भरे मार्ग पर अधिक ऊंचाई वाले भू-भाग की ओर से जाकर 2 नवम्बर, 1997 को प्रातःकाल नियंत्रक रेखा पर निर्धारित पेट्रोल बेस पर पहुंच गए ।

छापामार दलों को तैनात करने के पश्चात् मेजर नवीन ने चौकी के निकट पहुंचने के लिए गहरे बर्फ में रेंगते हुए विध्वंसक दल की स्वयं अगुवाई की । दल के एक सदस्य द्वारा संतरी को सफलतापूर्वक मार गिराने के बाद मेजर नवीन बर्फ से ढके एक सुरंग क्षेत्र में रेंगते हुए आगे बढ़े और स्वयं ही शत्रु के दो बंकरों पर विध्वंसक चार्ज लगा दिए । ये चार्ज 2 नवम्बर, 1997 को 0900 बजे प्रातः सफलतापूर्वक दाग दिए गए, जिसमें दो बंकर नष्ट हुए तथा शत्रु के 4–5 सैनिक हताहत हुए ।

विस्फोटकों के बाद शत्रु ने छापामार दल पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की । । मेजर नवीन उच्च कोटि के प्रेरक नेतृत्व तथा संघर्ष के दौरान आत्मसंयम का परिचय देते हुए छापामार दल को अपनी ओर की नियंत्रक रेखा तक सुरक्षित निकाल ले गए । इस कार्यवाही से उरी सेक्टर में घुसपैठ करवाने के लिए बनाई गई शत्रु की योजना को भारी धक्का लगा ।

इस प्रकार, मेजर नवीन ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर नियंत्रक रेखा के पार शत्रु के बंकरों पर स्वयं हो चार्ज लगाकर दायित्व से आगे जाकर वीरता तथा निर्भीक युद्धक भावना का परिचय दिया ।

3. 13743320 हवलदार कश्मीर सिंह ठाकुर, 11 जम्मू तथा कश्मीर राइफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 2 नवम्बर, 1997

1 नवम्बर, 1997 को हवलदार कश्मीर सिंह को उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार शत्रु की एक चौकी पर कारवाई करने के लिए आक्रमण दल के सदस्य के रूप में लिया गया था । वह चौकी घाटी में उग्रवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी ।

छापामार दल काफी जोखिम भरे मार्ग पर ऊबड़-खाबड़ ऊंचे-ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से होता हुआ 2 नवम्बर, 1997 को प्रातःकाल पेट्रोल बेस पहुंचा । हवलदार कश्मीर सिंह को संतरी को मार गिराने का काम सौंपा गया था, जो कि सफल छापे का आधार था ।

हवलदार कश्मीर सिंह संतरी के निकट पहुंचने के लिए शून्य तापमान में बर्फ से ढके हुए एक सुरंग क्षेत्र में से रेंगते हुए आगे ब । व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने संतरी पर छलांग लगाकर उसे चकित कर कर दिया और गला घोंटकर मार गिराया । इसके बाद वे छापामार दल द्वारा पूरी तरह से विध्वंसक चार्ज लगा लिए जाने तक किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए सुबह होने तक संतरी की चौकी के निकट रहे । इस छापे से उरी सेक्टर में घुसपैठ करवाने के लिए शत्रु की योजना को भारी धक्का लगा ।

इस प्रकार, हवलदार कश्मीर सिंह ठाकुर ने शत्रु का मुकाबला करने में युद्धक क्षमता तथा आक्रामकता, अधिक इच्छाशक्ति, अनुकरणीय साहस तथा अदम्य वीरता का परिचय दिया ।

अरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं० 114–प्रेस/98—राष्ट्रपति, महोदय निम्न व्यक्तियों/कार्मिकों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1. श्री राजू अंकम समय्या, महाराष्ट्र (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 मार्च, 1995

19 मार्च, 1995 को गुरू गोविंद सिंह इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के छात्र पिकनिक पर नांदेड़ जिले में सहस्त्रकुंड जलप्रपात देखने गए थे । कुछ छात्र सहस्त्रकुंड जलप्रपात से मात्र 15 फुट ऊपर पैंगगा नदी में घुस गए । उस दिन पानी का बहाव तेज था तथा कमर तक पानी बह रहा था, क्योंकि भारी वर्षा हो जाने के कारण बांध से हमेशा की अपेक्षा पानी छोड़ा गया था । पत्थरों में काई लगी होने के कारण एक छात्रा फिसलकर तीव्र जल प्रवाह में गिर गई और नजदीकी जल प्रपात की ओर बढ़ने लगी । यह देखकर छात्रों ने शोर मचाया । श्री राजू अंकम समय्या नामक छात्र अपने जीवन को जोखिम में डालकर उस छात्रा के प्राण बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा । इस प्रयास में वे छात्रा तक पहुंच पाने से पहले नदी के तट में पड़े पत्थरों से घायल हो गए । वे भंवरदार तथा तीव्र जल प्रवाह के कारण उस छात्रा को बचा नहीं सके और स्वयं बह गए । दोनों जल प्रपात में बहकर लगभग 50 फुट नीचे पड़े पत्थरों के टुकड़ों पर गिर पड़े जिससे दोनों की दुखद मृत्यु हो गई ।

श्री राजू अंकम समय्या ने एक छात्रा की जान बचाने के प्रयास में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

2. श्री भाग्यधर शित, पश्चिम बंगाल (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 5 जून, 1996

5–6–1996 को 7.35 बजे सायं के लगभग जिला मिदनापुर, थाना भूपति नगर के अंतर्गत बैजकुल मार्केट में इगारा बैजकुल रोड़ के दक्षिणी किनारे स्थित अडोस-पडोस की आभूषण की दो दूकानों पर 15–20 डाकुओं ने पाइप

गनों और बमों से धावा बोलकर डकैती डाली । जब डाकू आभूषण की दुकान को लूट रहे थे इन दुकानों के मालिकों ने शोर मचाया । इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मैती, श्री श्यामल त्रिपाठी, श्री बलाई चन्द्र मैती तथा श्री भाग्यधर शित सहित लोगों ने ईंट-पत्थरों से डाकुओं पर आक्रमण कर दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों के साथ लोगों द्वारा डकैतों का डटकर सामना करने पर डकैतों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अंधाधुंध बम फेंके । डाकुओं की ओर से फेंके गए बम से श्री भाग्यधर शित घायल हो गए । वे बम से गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनकी चोटों के कारण अस्पताल ले जाते हुए मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार श्री भाग्यधर शित ने डाकुओं के कुख्यात गैंग का सामना करने के लिए भीड़ का नेतृत्व करने में अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया और इस दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

3. श्री प्रशांत मैती, पश्चिम बंगाल
(मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 5 जून, 1996

5 जून, 1996 को 7.35 बजे सायं के लगभग जिला मिदनापुर, थाना भूपति नगर के अंतर्गत बैजकुल मार्केट में इंगारा बैजकुल रोड के दक्षिण किनारे स्थित अड़ोस-पड़ोस की आभूषण की दो दूकानों पर 15–20 डाकुओं ने पाइप गनों और बमों से धावा बोलकर डकैती डाली । जब डाकू आभूषण की दुकानों को लूट रहे थे इन दुकानों के मालिकों ने शोर मचाया । इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मैती, श्री श्यामल त्रिपाठी, श्री बलाई चन्द्र मती तथा श्री भाग्यधर शित सहित लोगों ने ईंट पत्थरों से डाकुओं पर आक्रमण कर दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों के साथ लोगों द्वारा डकैतों का डटकर सामना करने पर डकैतों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अंधाधुंध बम फेंके । डाकुओं की ओर से फेंके गए बम से श्री प्रशांत मैती घायल हो गए । वे बम से गंभीर रूप से घायल हो गए तथा घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार श्री प्रशांत मती ने डाकुओं के कुख्यात गैंग का सामना करने के लिए भीड़ का नेतृत्व करने में अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया और इस दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

4. श्री श्यामल त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल
(मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 5 जून, 1996

5 जून, 1996 को 7.35 बजे सायं के लगभग जिला मिदनापुर, थाना भूपति नगर के अंतर्गत बैजकुल मार्केट में इंगारा बैजकुल रोड के दक्षिणी किनारे स्थित अड़ोस-पड़ोस की आभूषण की दो दुकानों पर 15–20 डाकुओं ने पाइप गनों और बमों से धावा बोलकर डकैती डाली । जब डाकू आभूषण की दुकानों को लूट रहे थे इन दुकानों के मालिकों ने शोर मचाया । इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मैती, श्री श्यामल त्रिपाठी, श्री बलाई चन्द्र मैती तथा श्री भाग्यधर शित सहित लोगों ने ईंट-पत्थरों से डाकुओं पर आक्रमण कर दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों के साथ लोगों द्वारा डकैतों का डटकर सामना करने पर डकैतों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अंधाधुंध बम फेंके । डाकुओं की ओर से फेंके गए बम से श्री श्यामल त्रिपाठी घायल हो गए । वे बम से गंभीर रूप से घायल हो गए तथा घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार श्री श्यामल त्रिपाठी ने डाकुओं के कुख्यात गैंग का सामना करने के लिए भीड़ का नेतृत्व करने में अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया और इस दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

5. कैप्टन बब्बू भान यादव (आई० सी०–50996),
8 असम राइफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 अप्रैल, 1997

22 अप्रैल, 1997 को नागालैंड के कुठूर गांव में घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान के दौरान कैप्टन बब्बू भान यादव पर छिपे हुए उग्रवादियों ने काफी ऊंचाई से गोली चला दी । वह तुरन्त ही स्थिति भांप गए तथा अपने सैनिकों को अगल-बगल से होशियारी से बढ़ते हुए छिपे हुए उग्रवादियों पर धावा बोलने का आदेश दिया ।

इस अफसर ने स्वयं ही आक्रमणकारी टुकड़ी का नेतृत्व किया तथा शत्रुओं की गोलीबारी के सामने डट गए । अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन्होंने एक छिपे हुए उग्रवादी को मार गिराया। दूसरे उग्रवादी ने आतंकित होकर पीछे हटने का प्रयास करते हुए नाले में कूद गया । कैप्टन बब्बू भान यादव भी नाले में कूद गए और उग्रवादी का पीछा करते रहे जो भागते हुए गोलीबारी भी करता जा रहा था । कैप्टन बब्बू भान यादव ने उग्रवादी के निकट पहुंच कर उसे मार गिराया। शत्रु की भारी गोली-बारी का सामना करने में इनके अदम्य साहस से प्रेरित होकर दल के अन्य सदस्यों ने छिपे हुए उग्रवादियों के ठिकाने पर सफलतापूर्वक धावा बोल दिया। उग्रवादियों तथा सैनिकों बीच दस मिनट तक मुठभेड़ें होती रहीं जिसमें दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई तथा उग्रवादी घबरा कर भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद तथा दो उग्रवादियों के शव छोड़कर भाग खड़े हुए ।

इस प्रकार, कैप्टन बब्बू भान यादव ने उग्रवादियों का मुकाबला करने में अथक उत्साह तथा साहसपूर्ण नेतृत्व का परिचय दिया ।

6. मेजर बेलाऊधान श्री हरी (आई० सी०—44515), 31 राष्ट्रीय राइफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 जून, 1997

राष्ट्र-विरोधी तत्वों की संभावित उपस्थिति के बारे में सूचना मिलने पर मेजर बेलाऊधान श्री हरी के नेतृत्व में 'क' सैनिक दल ने जम्मू तथा कश्मीर के जिला रजौरी के मोड़गाला नामक जगह पर दो स्थानों पर सुनियोजित रूप से घात लगाई ।

11 जून, 1997 को प्रातःकाल मेजर बेलाऊधान श्री हरी की अगुआई में घाती दल ने दो उग्रवादियों को आते देख लिया । मेजर बेलाऊधान श्री हरी तथा उनके साथ उग्रवादियों के पास पहुंच गए तथा एक उग्रवादी को मार गिराया । बाद में, अन्य घाती दल ने, दूसरे उग्रवादी को भी मार गिराया । इस कार्रवाई से शेष उग्रवादी सतर्क हो गए तथा समीप के ढोकों से गोलीबारी करने लगे । मेजर बेलाऊधान श्री हरी ने तत्काल ही सहायक गोलीबारी की ओर रेंगते हुए एक ढोक तक पहुंच गए । बहादुरी से छत पर चढ़ते हुए उन्होंने तेजी से तीन गोले ढोक के अंदर फेंके जिससे दो उग्रवादी मारे गए । इसी बीच, सिविलियनों की आड़ लेकर एक उग्रवादी भागता दिखाई दिया किंतु मेजर बेलाऊधान श्री हरी ने 200 मीटर तक उसका पीछा करके उसे भी मार गिराया । इस कार्रवाई की सफलता का श्रेय इस अफसर की वीरता, साहसपूर्ण नेतृत्व तथा कठिन परिस्थितियों में उनके धैर्य को जाता है जिससे पांच दुर्दांत उग्रवादियों का सफाया हुआ तथा भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ ।

इस प्रकार, मेजर बेलाऊधान श्री हरी ने उग्रवादियों के साथ मुकाबला करने में असाधारण वीरता तथा अदम्य साहस का परिचय दिया ।

7. दिहाड़ी मजदूर श्रीमती फूलबती कोड सं०—1668 सीमा सड़क विकास संगठन (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 6 जुलाई, 1997

खतलांग दल की दिहाड़ी मजदूर श्रीमती फूलबती को दिहाड़ी मजदूर मणि राम (कोड 217) के साथ सैन्य क्षेत्र में फूल डुगसेई-गोबिन्दबाड़ी सड़क पर खड़े सीमा सड़क संगठन के रोड़ रोलर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था । 6 जुलाई, 1997 को जब ये दोनों ड्यूटी पर थे, तीन हथियारबंद उग्रवादी बैटरी तथा अन्य पुर्जों की चोरी करने के इरादे से सायं लगभग 9 बजे रोड रोलर के निकट पहुंच गए । श्रीमती फूलबती और मणि राम ने अपने जीवन को आसन्न खतरा होने के बावजूद उग्रवादियों को रोलर के पुर्जे ले जाने से वीरतापूर्वक रोका । उग्रवादियों ने दोनों के ऊपर दाह तथा अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया और श्रीमती फूलबती के शरीर पर क्रूरता से गहरी चोटें मार दी । परन्तु श्रीमती फूलबती फिर भी उनका विरोध करती रही जिसको देखते हुए उग्रवादियों ने उसका सिर काट डाला जिससे उनकी मृत्यु हो गई ।

इस कार्रवाई से उग्रवादियों को रोड रोलर के पुर्जे छोड़कर ही भागना पड़ा ।

श्रीमती फूलबती ने जिस असाधारण वीरता तथा उच्च कोटि की निःस्वार्थ कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर सरकारी संपत्ति बचाई वह प्रशंसनीय तथा दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है ।

8. 3992650 सिपाही सुरज प्रकाश, 6 डोगरा (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 जुलाई, 1997

11 जुलाई, 1997 को लगभग 12.30 बजे अपराह्न पांच भारी हथियारबन्द विदेशी उग्रवादियों के एक दल से गश्ती दल का सामना हो गया । ये उग्रवादी जम्मू तथा कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट घुस आए थे ।

चार जवानों के साथ सिपाही सुरज प्रकाश को छड़े पत्थरों तथा घनी झाड़ियों तथा जोखिम भरे ढलानों और दुर्गम क्षेत्र की तलाशी लेने का आदेश दिया गया था । सिपाही सुरज प्रकाश ने स्वेच्छा से तलाशी दल का नेतृत्व करने का कार्य हाथ में लिया, 100 मीटर आगे बढ़ते ही तलाशी दल दो उग्रवादियों द्वारा अकस्मात् की गई अचूक गोलीबारी की चपेट में आ गया । ये उग्रवादी निकट ही आड़ लिए हुए थे । सिपाही सुरज प्रकाश के पेट में ए० के० 47 की घातक गोलियां आ लगीं जिससे वे थोड़ी देर के लिए बेकार हो गए । किंतु सिपाही सुरज प्रकाश ने असाधारण वीरता के साथ अपने घावों और अत्यधिक रक्त स्राव की परवाह न करते हुए अपने हथियार से गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों पर धावा बोल दिया । इसी बीच उनके पेट में पुनः उग्रवादी की गोली लग गई जिससे वे नीचे गिर पड़े । इस बहादुर नौजवान सिपाही ने अद्वितीय साहस तथा असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए एक हाथ से अपना पेट पकड़ लिया तथा उग्रवादियों की ओर 8–10 मीटर तक रेंगकर स्वयं मूर्छित होकर गिरने से पहले अपनी ए० के०–47 राइफल की गोलियों से दोनों उग्रवादियों को मार गिराया । बाद में वहां से हटाते समय उनकी घावों के कारण मृत्यु हो गई ।

सिपाही सुरज प्रकाश ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अति असाधारण कोटि का अपूर्व साहस का परिचय दिया तथा उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया ।

9. 2600476 हवलदार रघुनाथ, 26 असम राइफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 जुलाई, 1997

15/16 जुलाई, 1997 को नागालैंड के दीमापुर नगर में सिटी टॉवर जंक्शन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता की उपस्थिति के बारे में मिली विशिष्ट सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई थी जिसमें कई महीनों की घेराबंदी की गई थी। हवलदार रघुनाथ इस घेराबन्दी दल के एक सदस्य थे।

लगभग आधी रात में, टिन की बनी छत पर किसी व्यक्ति के भागने की आहट सुनाई पड़ी। हवलदार रघुनाथ उसका भागने का रास्ता बंद करने के लिए उसी दिशा में झपटे। वह उग्रवादी 'मारो या मरो' के प्रयास में घेराबंदी तोड़ने के लिए गोलीबारी करते हुए सड़क पर कूद गया। इस कार्रवाई में हवलदार रघुनाथ के बाएं कूल्हे पर गोली लग गई। अपने गम्भीर घावों, अत्यधिक रक्त स्राव तथा अंधेरा होने के बावजूद इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उग्रवादी का पीछा किया और भागते हुए गोलियां चलाते रहे तथा उग्रवादी को ओझल नहीं होने दिया। यद्यपि वह उग्रवादी घायल हो गया था किन्तु वह तब तक भागता रहा जब तक कि एक अन्य जवान ने उसे सामने से घेर नहीं लिया तथा दोनों ने उस उग्रवादी को वहीं ढेर कर दिया। उग्रवादी के शव से एक पिस्तौल तथा तीन जिन्दा कारतूस बरामद हुए।

इस प्रकार, हवलदार रघुनाथ ने कर्तव्य से बढ़कर दृढ़ निश्चय, उच्च समर्पण तथा साहस का परिचय दिया।

10. मेजर प्रमोद कुमार यादव (आई०सी०–38430)
2 असम राईफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 21 जुलाई, 1997

मेजर प्रमोद कुमार यादव 'ई' कम्पनी कमांडर का दायित्व निभा रहे थे। 21 जुलाई, 1997 को सेक्टर मुख्यालय ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले के बाग़ात गांव में एक संयुक्त कार्रवाई की थी इसमें गोलीबारी के दौरान दो उग्रवादी मारे गये।

तीसरा विदेशी उग्रवादी ने चुपचाप मेजर प्रमोद कुमार यादव के दल की ओर दौड़ लगाई। यह दल उस उग्रवादी के छिपने के ठिकाने के करीब ही पहुंचने वाला था। अकस्मात् ही मेजर यादव का दल और उग्रवादी का सीधा आमना-सामना हो गया।

उस उग्रवादी ने कम्पनी कमांडर के अंग रक्षक पर तुरन्त गोली चला दी। मेजर यादव दुःसाहस तथा तुरन्त बुद्धि के साथ झपटकर अपने बायें हाथ से उग्रवादी की ए के-47 राइफल की नाल पकड़ ली और दायें हाथ से अपनी कारबाइन से उसे मार गिराया और अपने सैनिक के प्राण बचा लिये। इस कार्रवाई में मेजर यादव का बायां हाथ जल गया। यह मुठभेड़ इतना निकट से हुआ था कि मेजर यादव का चेहरा तथा उनकी वर्दी उग्रवादी के रक्त में रंग गई।

इस प्रकार, मेजर प्रमोद कुमार यादव ने अत्यधिक खतरे का सामना करते हुए अदम्य साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति तथा कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

11. कैप्टन अजय पासबोला (आई सी–48216)
31 राष्ट्रीय राईफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 जुलाई, 1997

29 जुलाई, 1997 को सायं लगभग 2.00 बजे जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के बेवान के आस पास के क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कैप्टन अजय पासबोला की अगुवाई में एक दल उग्रवादियों को पकड़ने के लिये निकल पड़ा। यह दल छिपते छिपाते नौ घण्टे तक चलने के बाद दुर्गम तथा ऊबड़-खाबड़ भू-भाग को पार करते हुए उस क्षेत्र में पहुंच गया।

टीम कमांडर द्वारा ग्रामवासियों से विवेकपूर्ण पूछताछ करने से एक राष्ट्र विरोधी के संभावित ठिकाने का पता चल गया। कैप्टन अजय पासबोला अथक सहनशक्ति और समर्पण भाव का परिचय देते हुए तत्काल ही लगभग चार घण्टे की पैदल दूरी पर स्थित राष्ट्र विरोधी तत्व के ठिकाने की ओर अपने कमांडो साथियों के साथ चल पड़े। जब दल रास्ते में दो उग्रवादियों से टकराया तो भयंकर गोलीबारी होने लगी। कैप्टन अजय पासबोला अचूक और कारगर गोलीबारी का सामना करने के लिये जोरदारपूर्वक 15 मीटर दूरी पर मौजूद एक प्रमुख स्थान की ओर बढ़े तथा एक राष्ट्र विरोधी को मार गिराया जबकि दूसरे को हाथापाई के दौरान दबोच लिया। बाद में, इस राष्ट्र विरोधी की अपने घावों के कारण मृत्यु हो गई किन्तु इससे पहले उसने सैन्य दल को राष्ट्र विरोधी तत्वों के छिपने का स्थान बता दिया।

छिपने के स्थान पर पहुंचते ही उग्रवादी ने अन्दर से मशीनगन से भारी गोलीबारी तथा हथगोले फेंकने शुरू कर दिये। कैप्टन अजय पासबोला ने स्थिति का जायजा लिया और तत्काल ही रेंगते हुए उग्रवादी के छिपने के स्थान के ऊपर पहुंच कर दो हथगोले फेंके तथा उसके ठिकाने में घुसकर उग्रवादियों को बहुत निकट से मार गिराया। कैप्टन अजय पासबोला के निपुण नेतृत्व में इस कार्रवाई से तीन दुर्दांत उग्रवादियों का सफाया हुआ जिनमें से दो उग्रवादियों को उन्होंने स्वयं मार गिराया। इसके अलावा भारी संख्या में हथियार, गोलाबारूद तथा उपस्कर बरामद हुए।

इस प्रकार कैप्टन अजय पासबोला ने उग्रवादियों का सामना करते हुए उत्कृष्ट कोटि के निर्भीक नेतृत्व तथा वीरता का परिचय दिया।

12. मेजर मुरली धरन नायर एम एम (आई सी-44632)
30 असम राईफल्स

पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 अगस्त, 1997

05-06 अगस्त, 1997 को यूनाइटेड नेशनल लेफ्ट फ्रंट के छिपने के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने पर मेजर मुरली धरन नायर एम० एम० ने विस्तार से योजना बना कर दुर्गम पहाड़ी भू-भाग, घनी झाड़ियों और अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों तथा घनी अन्धेरी रात में छः घण्टे के चलने बाद मणिपुर के इम्फाल जिले के थथिलोन गांव में पहुंच कर कार्रवाई करने के लिये एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया।

अचानक हमला करने के लिये सैन्य टुकड़ी सावधानीपूर्वक छिपते छिपाते छिपने के संदिग्ध ठिकाने तक पहुंच गई। शीघ्रता से जायजा लेने के बाद मेजर मुरली धरन नायर ने 06 अगस्त, 1997 को जब सभी इस मोर्चों पर डटने के बाद प्रातःकाल 04.30 बजे धावा बोलने की योजना बनाई। मेजर नायर ने अचानक धावे को कारगर बनाने के लिये वहां की भूमि तथा आड़ का सदुपयोग करते हुए स्वयं ही मुख्य छापामार टुकड़ी की अगुवाई की। जब वे एक झोपड़ी का निरीक्षण कर रहे थे तभी एक जाने भूमिगत उग्रवादी से उनका आमना सामना हो गया। उग्रवादी ने अपनी ए के-47 राइफल तान दी और इस अफसर पर गोली चलाने का प्रयास किया। मेजर नायर ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए उग्रवादी के ऊपर छलांग लगा दी और उसकी राइफल की नाल को धकेलते हुए उस कुख्यात भूमिगत उग्रवादी को मार गिराया। इस पूरी कार्रवाई में सैन्य टुकड़ी ने भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया जो कि मणिपुर में प्रतिविद्रोही कार्रवाई के इतिहास में सबसे अधिक उल्लेखनीय रही है।

इस प्रकार, मेजर मुरली धरन नायर एम० एम० ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए सुव्यवस्थित योजना, प्रेरक नेतृत्व तथा असाधारण साहस का परिचय दिया।

13. 4465089 सिपाही रौनकी सिंह, 19 राष्ट्रीय राइफल्स
(मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 अगस्त, 1997

12 अगस्त, 1997 को विशिष्ट सूचना मिलने पर जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के टुहीम गांव में घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान चलाया गया था।

इस अभियान के दौरान सिपाही रौनकी सिंह को एक मकान में संदिग्ध हलचल नजर आई। तत्काल ही उस मकान को घेर लिया गया। जैसे ही सिपाही रौनकी सिंह अपने साथी के साथ उस मकान में घुस रहे थे उग्रवादियों ने उन पर हथ-गोला फेंक दिया। मकान के अन्दर झपटते हुए सिपाही रौनकी सिंह ने उग्रवादियों का मुकाबला किया। ये उग्रवादी गोलियां बरसाते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए भाग रहे थे। सिपाही रौनकी सिंह ने एक उग्रवादी को मार गिराया किन्तु इस कार्रवाई में उन्हें भी गोलियां लग गई। उनके शरीर से अत्यधिक रक्त स्राव हो रहा था किन्तु उन्होंने अन्य उग्रवादियों का पीछा किया तथा दूसरे उग्रवादी को घातक रूप से जख्मी कर दिया। किन्तु इस कार्रवाई में उनके सिर में गोली लग गई और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में मारे गये उग्रवादी की एक उग्रवादी समूह के एरिया कमांडर के रूप में पहचान की गई। मकान की विस्तार पूर्वक तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए जिससे स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर एक संभावित विस्फोट को टाला जा सका।

इस प्रकार, सिपाही रौनकी सिंह ने अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता का परिचय दिया तथा देश के लिये सर्वोच्च बलिदान किया।

14. मेजर अशीश भटनागर, (मरणोपरांत)
(आई० सी०-48109),
6 सिख लाइट इंफैंट्री।

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 अगस्त, 1997

16 अगस्त, 997 को मेजर अशीश भटनागर को भारत-पाक सीमा पर रावी नदी के निकट गुरदास पुर जिले के संवेदनशील लाहएज एंक्लेव में संक्रियात्मक ड्यूटी पर तैनात किया गया था।

इस कार्रवाई मिशन के दौरान लगभग, 5.45 बजे अपराह्न इस अफसर और उसके नौ साथियों को ले जा रही नौका रावी नदी में पलट गई। मेजर अशीश भटनागर जो कमांडो अनुदेश और हर कार्य में सहज रूप से आगे रहने के लिए जाने जाते थे, नदी की तेज धारा में कूद पड़े और अपनी लाइफ जैकेट एक अन्य अफसर को दे दी और इस तरह उस अफसर को निश्चित मौत से बचा लिया।

एक बार फिर मेजर अशीश भटनागर अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बिजली सी तेजी से आगे बढ़े और एक अन्य डूबते हुए सैनिक को उसके शस्त्र सहित तेज धारा से बचाकर ले आए और यह बचाव कार्य करते-करते वे स्वयं नदी की प्रचंड धारा में फंस गए। एक वीर नायक की भांति मौत को गले लगाते समय भी उन्हें सर्वाधिक चिंता अपने साथियों की सुरक्षा की थी इसलिए अपने साथियों के लिए उनके अंतिम शब्द थे 'पकड़े रहो तुम्हें कुछ नहीं होगा' और 'मेरे पीछे मत आओ, यहां धारा बड़ी प्रचंड है'।

इस प्रकार मेजर अशीश भटनागर ने अपने साथियों को बचाने में असाधारण वीरता, अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

15. जी० एस०–154461 एक्स (मरणोपरांत)
ऑपरेटर उत्खनन मशीनरी
गोविन्द सिंह, बी० आर० डी० बी० ।

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 अगस्त, 1997

परियोजना स्वास्तिक की 86 सड़क निर्माण कंपनी के तहत 162 फार्मेशन कटिंग प्लाटून के ऑपरेटर उत्खनन मशीनरी गोविन्द सिंह सिक्किम में सैम्बलिंग-चुंग मार्ग पर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उत्खनन के लिए लगाए गए डोजर के प्रभारी थे ।

दिनांक 12 से 15 अगस्त, 1997 के बीच हुए भारी भूस्खलन के कारण 20.60 कि० मी० सिंगु पर चुंगथांग-लाचुंग मार्ग अवरुद्ध था । निरन्तर हो रहे भूस्खलनों और ऊपर से फिर से पत्थरों के कारण इस दौरान संसाधनों को कार्य पर नहीं लगाया जा सका । एकमात्र संपर्क मार्ग होने के कारण चुंगथांग-लाचुंग मार्ग अवरुद्ध हो जाने से नागरिक आबादी को बड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था ।

भूस्खलन का मलबा हटाने का चुनौतीपूर्ण कार्य 16 अगस्त, 1997 को ओ० ई० एम० गोविन्द सिंह को सौंपा गया । अनुकरणीय साहस, धैर्य और असाधारण कर्तव्य परायणता जिसमें मिशनरी जैसा उत्साह शामिल था, का प्रदर्शन करते हुए ओ० ई० एम० गोविन्द सिंह ने ऊपर से गिर रहे पत्थरों के बावजूद देर शाम तक अपना कार्य पूरा कर लिया । इस बीच एक बड़ा पत्थर श्री गोविन्द सिंह पर आ गिरा जिससे वे घातक रूप से जख्मी हो गए । उन्हें नजदीक के ए० डी० एस० में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया ।

इस प्रकार ओ० ई० एम० गोविन्द सिंह ने असाधारण कोटि की कर्तव्य परायणता, अत्यंत विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प शक्ति और निर्भीक साहस का परिचय दिया और सीमा सड़क संगठन की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वाह करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया ।

16. सेकंड लेफ्टिनेंट सरसर मुकुंद एम०,
(आई० सी०–56897),
17 बिहार ।

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 अगस्त, 1997

19 अगस्त, 1997 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में बरसू गांव की तलाशी के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट मुकुंद और उनके दल पर लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित दो मकानों से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी होने लगी । यह अफसर तुरंत हरकत में आ गए और रेंगते हुए एक मकान की ओर बढ़ा ।

दोनों मकानों से हो रही गोलियों की बौछार की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने खिड़की से एक हथगोला भीतर फेंका जिससे एक आतंकवादी जख्मी हो गया और बचकर भागने के लिए धान के खेतों में कूद पड़ा । इस अधिकारी ने एकदम सही अंदाजा लगाते हुए उसे धर दबोचा और बिल्कुल नजदीक से उस पर गोली चलाकर उसे मार गिराया । इसी बीच दोनों मकानों के बीच फंसे उनके दल पर अन्य दो आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे । सेकंड लेफ्टिनेंट मुकुंद ने अपने दल को इस तरह से पुन: व्यवस्थित किया कि उनकी भयंकर व अचूक गोलीबारी से दोनों आतंकवादी जख्मी हो गए । अपने को घिरा हुआ समझकर आतंकवादी रेंगते हुए बाहर निकले और खाई की ओर बढ़े और सेकंड लेफ्टिनेंट मुकुंद के दल पर हथगोले फेंकने लगे । इस अधिकारी ने तेजी से रेंगते हुए सुरक्षित व मजबूत स्थिति में पहुंचकर और बड़ी नजदीक से गोलीबारी में अकेले ही उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया । इस कार्रवाई में तीन ए० के० राइफलें और गोली बारूद बरामद हुए ।

सेकंड लेफ्टिनेंट सरसर मुकुंद एम० ने भारी गोलीबारी के बीच अपनी सुरक्षा की बेशकीमत भी परवाह न करते हुए दृढ़ संकल्प शक्ति, अदम्य साहस और उच्चकोटि के सैन्य नेतृत्व का प्रदर्शन किया ।

17. कर्नल प्रदीप सिंह राठी (आई० सी०–34458),
17 बिहार ।

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24 अगस्त, 1997

24 अगस्त, 1997 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले के बंदहामा गांव में भाड़े के विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने के बारे में पक्की सूचना प्राप्त होने पर कमान अफसर प्रदीप राठी खेरी से उस गांव की ओर रवाना हो गए और वहां पहुंचकर आतंकवादियों के भागने के सभी रास्तों को सील करने के लिए की गई घेराबंदी का पर्यवेक्षण किया ।

खतरे को भांपकर आतंकवादियों ने आव न फाव में वहां से निकल भागने के लिए कमान अफसर के दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनके घेरे को तोड़ने का प्रयास किया । कर्नल प्रदीप सिंह राठी ने अपने जीवन व शरीर की परवाह किए बिना भागते हुए आतंकवादियों पर स्वचालित हथियारों से जबरदस्त और अचूक गोलीबारी शुरू कर दी और दो आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया । शेष दो आतंकवादी बड़े-बड़े पत्थरों की आड़ में छुप गए और रुक रुककर गोलीबारी करने लगे । जिन पत्थरों के पीछे आतंकवादी छुपे हुए थे, उनकी पहचान कर कर्नल प्रदीप सिंह राठी अपने साथी के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े और पहले से अनुमान कर आतंकवादियों के छुपे होने के स्थान के पार्श्व में पहुंचे और आतंकवादियों के छुपे होने के स्थान पर दो हथगोले फेंके । जैसे ही एक जख्मी आतंकवादी बहुतबासी में भागने के प्रयास में कमान अफसर पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए उन पर टूटा, कर्नल प्रदीप सिंह राठी ने नजदीकी गोलीबारी में उसे वहीं ढेर कर दिया । इस

कार्रवाई में उन्होंने तीन दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया और तीन ए के राइफलें और गोलियां बरामद किया ।

इस प्रकार कर्नल प्रदीप सिंह राठी ने बहादुरी से अपने जवानों का नेतृत्व करते हुए समाधात दृढ़ता तथा सामरिक सूझबूझ का परिचय दिया ।

18. 4464942. नायक सतपाल चन्द 19 राष्ट्रीय रायफल

(मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24 अगस्त, 1997

दिनांक 24 अगस्त, 1997 को नायक सतपाल चन्द समाघात सहायता दल के सदस्य के रूप में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंजगेम गांव के लिए चले जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होने की सूचना मिली थी।

घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि बुरी तरह से जख्मी एक अफसर आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच फंसा हुआ है जिसे तुरंत वहां से निकालना है । अतः नायक सतपाल चन्द और अन्य सैनिक कवरिंग फायर करने लगे और उनके दल के अन्य सदस्य जख्मी अफसर को निकालने के लिए बढ़े । तभी उन पर आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों और हथगोलों से धावा बोल दिया जिससे दल के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

अपने साथियों की जान को खतरा भांपकर नायक सतपाल अविचलित भाव से आक्रमण का गोलियों की बौछार से एक विदेशी भाड़े के आतंकवादी को मार गिराया । अपने गहरे जख्मों के बावजूद नायक सतपाल चंद आतंकवादियों पर गोलियां बरसाते रहे और हथगोले फेंकते रहे । उनके इस साहसिक कार्य से आतंकवादी हतप्रभ रह गए और भागने पर मजबूर हो गए । इस प्रकार नायक सतपाल चंद ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने जख्मी साथियों को शीघ्रता से बचाए जाने के कार्य को आसान बना दिया । बाद में 24 अगस्त, 1997 को नायक सतपाल चंद का मृत शरीर एक मृत आतंकवादी से मुश्किल से 1 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला ।

इस प्रकार नायक सतपाल चंद ने आतंकवादियों के साथ संघर्ष अदम्य शौर्य तथा आत्म बलिदान की भावना का प्रदर्शन किया ।

19. मेजर जितेन्दर सिंह शेखावत (आई० सी० 47112) 34 राष्ट्रीय रायफल

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 8 सितम्बर 1997

दिनांक 08 सितम्बर, 1997 को जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले के दरांग नामक जंगल के खड़ी चढ़ाई तथा घने वन वाले वनों की तलाशी के लिए कई कम्पनियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा अभियान चलाया गया था। मेजर शेखावत उनको बताए गए मार्ग से चलते हुए कीचबल ढोक तक पहुंच गए।

जब इनका दल ढोक के पास पहुंचने ही वाला था तभी एक उग्रवादी एक ढोक से बाहर निकले। इस अधिकारी ने तुरन्त बुद्धि तथा अद्भुत निशानेबाजी दिखाते हुए इस उग्रवादी को खत्म कर दिया। इसके बाद वे तुरंत उस ढोक तक पहुंच गए जहां से स्वचालित हथियार से गोलीबारी हो रही थी तथा स्वयं गम्भीर खतरे का सामना करते हुए ढोक के अन्दर ग्रेनेड फेंक दिया जिससे दूसरा उग्रवादी भी मारा गया। इसी समय पास के ढोक से तीन उग्रवादियों ने इनकी ओर दौड़ते हुए अन्धाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी। परिणामस्वरूप मेजर शेखावत से केवल दो मीटर दूर खड़ा एक जवान गोली लगने से गिर पड़ा और मेजर शेखावत के बाईं जांघ पर भी गोलियों की बौछार पड़ी ।

गम्भीर रूप से घायल होते हुए भी इस अधिकारी ने तुरन्त जवाबी गोलीबारी करते हुए तीसरे उग्रवादी को घायल कर दिया तथा साथ ही वह अपने साथियों को उग्रवादियों को घेरे रखने का निर्देश देते रहे ताकि वे भाग न सकें। वे तब तक स्थिति पर नियंत्रण किये रहे जब तक कि दूसरी कम्पनी ने आकर शेष उग्रवादियों को मार गिराया । इस अधिकारी ने अपनी कार्रवाई में न केवल अकेले ही तीन उग्रवादियों को मार गिराया वरन शेष उग्रवादियों को भी भागने नहीं दिया।

इस प्रकार मेजर जितेन्दर सिंह शेखावत उग्रवादियों से लड़ते हुए उच्च श्रेणी की वीरता तथा सामरिक कौशल का परिचय दिया।

20. 14400970 लांस नायक सविन्द्र सिंह, 25 राष्ट्रीय रायफल्स (मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 8 सितम्बर, 1997।

दिनांक 8 सितम्बर, 1997 को जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के कन्कोरियरी जंगलों में शुरू किये गये एक अभियान के दौरान लांस नायक सविन्द्र सिंह को एक सैन्य टुकड़ी का अग्रिम स्काउट बनाया गया था।

9.15 बजे पूर्वाह्न जब वे घने जंगल के बीच बढ़ रहे थे तो उन्होंने चार उग्रवादियों को भागते देखा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए इन उग्रवादियों का पीछा करके उन पर गोलीबारी कर दी। यह देखकर उग्रवादियों ने अन्धाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे लांस नायक सविन्दर सिंह के पेट पर ए० के०-56 की गोलियां घुस गईं अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे आगे रेंगते हुए भागते हुए उग्रवादियों पर टूट पड़े और एक उग्रवादी को मौत के घाट उतार दिया जबकि दूसरे को बुरी तरह घायल कर दिया। इस कार्रवाई में उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया।

इस प्रकार लांस नायक सविन्द्र सिंह ने उग्रवादियों से लड़ते हुए असाधारण वीरता, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया तथा भारतीय सेना की उच्च परम्परा के अनुसार अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

21. जे० सी० 578526 नायब सूबेदार बंसी लाल शर्मा, जम्मू और कश्मीर रायफल्स (मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख 14 सितम्बर, 1997

दिनांक 14/15 सितम्बर, 1997 की रात्रि में विशिष्ट सूचना मिलने पर जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के पथर गांव में तलाशी तथा मुठभेड़ अभियान के लिये एक कम्पनी भेजी गई थी।

नायब सूबेदार बंसीलाल शर्मा को अपनी प्लाटून के साथ एक दोमंजिला मकान को घेर कर उसकी तलाशी लेने का काम सौंपा गया था। इस प्लाटून की कार्रवाई पर एक दूसरे मकान के प्रथम मंजिल पर फंसे हुए उग्रवादियों ने भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी। नायब सूबेदार बंसी लाल शर्मा अपने साथी द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ में आगे रेंग गये और घास से भरे एक कमरे में हथगोला फेंक दिया जिससे घर में आग लग जाने पर उग्रवादियों को भूतल पर उतर आना पड़ा। दिनांक 14 सितम्बर की इस घमासान लड़ाई के दौरान नायब सूबेदार बंसी लाल अपनी सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए उस मकान के 20 मीटर नजदीक पहुंच गये तथा एक हथगोला फेंकने के साथ ही उस कमरे को ए० के० 47 रायफल की गोलियों से छलनी कर दिया। इस मुठभड़ में दो दुर्दांत आंतकवादी मारे गये परन्तु उनके घातक रूप से घायल होने के परिणामस्वरूप 10.30 बजे रात्रि में मृत्यु हो गई।

इस प्रकार नायब सूबेदार बंसी लाल शर्मा ने भारतीय सेना की उच्च परंपरा के अनुसार उच्च कोटि के शौर्य का प्रदर्शन किया और उग्रवादी संगठन को भारी चोट पहुंचाई।

22. 183807 राइफल मैन अशोक कुमार गुरूंग, 18 असम रायफल

पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 23 सितम्बर, 1997

दिनांक 23 सितम्बर, 1997 को राइफल मैन अशोक कुमार एक सिविल वाहन में पूर्वी सैक्टर के बेलचारा में अपनी पैट्रोल पार्टी के साथ जा रहे थे। प्रातः 8.50 बजे इस वाहन पर भगौड़े उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। रायफलमैन गुरूंग ने इस अवसर पर अत्यन्त सहनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया और उग्रवादियों की भारी गोली बारी में अपनी जान के खतरे को देखते हुए भागते वाहन से कूदकर जमीन पर पोजीशन ले ली और भगौड़ों का सामना करने लगे।

अचानक इन भगौड़ों द्वारा फेंका गया एक हथगोला इनके नजदीक फटा और उसका एक टुकड़ा इनकी जांघ में घुस गया। बुरी तरह से खून बहने के बावजूद रायफलमैन अशोक कुमार गुरूंग ने अपने मृत साथी की लाइट मशीनगन उठा ली और तुरन्त घात में बैठे हुए शत्रु की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। जो भगौड़े उग्रवादी इस वाहन की ओर बढ़ रहे थे वे इस अचानक गोलीबारी से घबरा गये और घायल होकर भाग गये। रायफलमैन गुरूंग ने तब तक वहां से हटने से मना कर दिया जब तक कि सभी आंतकवादी मारे नहीं गये और उनके जख्मी साथी वहां से सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंचाये गये। उनकी इस असाधारण सहनशक्ति से बाकि त्वरित कार्रवाई बल में नया जोश आया और इसके बाद उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के साथ संयुक्त कार्रवाई में चार उग्रवादियों को मार गिराया तथा चार कारगर औजारों को बरामद किया। रायफल मैन गुरूंग की इस कार्रवाई से ही उग्रवादियों की घात का जवाब सफलता से दिया जा सका तथा पैट्रोल पार्टी को किसी भी हथियार उपस्कर की भी हानि नहीं हुई।

इस प्रकार रायफल मन अशोक कुमार गुरूंग ने उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए असाधारण वीरता तथा शौर्य का परिचय दिया।

23. 2474659 नायक चिरंजीव लाल, 13 पंजाब (मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख 18 अक्तूबर 1997

दिनांक 18 अक्तूबर 1997 को नायक चिरंजीव लाल जम्मू कश्मीर के पुलवामॉ जिले के राजपुरा में घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान में एक सेक्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी सन्देह से परे वीरता तथा निस्वार्थ कर्त्तव्यपरायणता को देखते हुए उन्हें आंतरिक घेरे में रखा गया था।

6.30 बजे अपराह्न को नायक चिरंजीव लाल ने उन उग्रवादियों पर भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी जोकि उनके सेक्शन को निशाना बना रहे थे। अपने साथियों को भयंकर खतरे में फंसा पाकर वे अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों की ओर रेंगते हुए गए और एक उग्रवादी को मार डाला। इसके साथ ही दूसरे उग्रवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी और उनकी बांह में गोली लग गई। वे अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को भयंकर स्टीक गोलीबारी से बचाने के लिए धीरे धीरे सरकते हुए बढ़े और उग्रवादी के साथ गुथ गए जिससे उग्रवादी की मृत्यु हो गई। परन्तु यह बहादुर सैनिक 18 अक्तूबर 1997 को अपनी चोटों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गया।

इस प्रकार नायक चिरंजीव लाल ने असाधारण पहल, उत्कृष्ट तथा अनन्य साहस का परिचय देते हुए अपना जीवन देकर भी अपने साथियों का जीवन बचाया।

24. मेजर सज्जन सिंह गहलावत (आई सी–47700) 9 मद्रास (मरणोपरान्त)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख 23 अक्तूबर 1997

दिनांक 23 अक्तूबर 1997 को मेजर सज्जन सिंह गहलावत जब उत्तरी सेक्टर में सांगीलियन गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे तो उन पर उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई जिसमें एक सैनिक मारा गया।

मेजर गहलावत ने जब देखा कि उनके साथी चारों ओर से खुले स्थान पर भयंकर खतरे में फस गए हैं और उग्रवादियों के मुकाबले खराब स्थिति पर हैं तो उन्होंने अत्यन्त साहस के साथ एक ओर आकर उग्रवादियों से मोर्चा ले लिया जिससे उनका एक घायल साथी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। इसके बाद अपनी सुरक्षा की कतई परवाह न करते हुए बिना घबराए गोलियों की बौछार के बीच बढ़ते गए और उनके छिपने के स्थान पर हथगोला फैंक दिया। इस कार्रवाई के दौरान वे गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया। वे उग्रवादियों से मोर्चा लेते रहे और अपनी टुकड़ी की ओर उनकी गोलीबारी का रुख नहीं होने दिया जिससे उनकी टुकड़ी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। परन्तु वे अपनी चोटों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

इस प्रकार मेजर सज्जन सिंह गहलावत ने अदम्य साहस और हिम्मत तथा उच्च कोटि की पहल दर्शाते हुए उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

25. मेजर कंवर जयदीप सिंह (आई सी–45120)
से मे, 5 डोगरा

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 05 नवम्बर, 1997

दिनांक 5 नवम्बर, 1997 को मेजर कंवर जयदीप सिंह का सामना असम के टिहू कस्बे में दो मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों से हुआ। अकेले वाहन में अपूर्व पीछे के बाद और लगातार गोलीबारी का सामना करते हुए इस अधिकारी ने एक उल्फा एरिया कमांडर को मार डाला तथा दूसरे को घायल कर दिया।

इसके बाद 14 दिसम्बर, 1997 को पुन: इस अधिकारी ने बोरखोटी क्षेत्र में तीन उग्रवादियों का पहले वाहन से तथा इसके बाद पैदल ही पीछा किया तथा उग्रवादियों द्वारा फैंके जा रहे हथगोले से अपनी जान की कतई परवाह न करते हुए एक उग्रवादी को मार डाला।

इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति करते हुए और अत्यन्त दु:साहसिक कृत्य में केवल दो अन्य जवानों के साथ इस अधिकारी ने 8 फरवरी, 1998 को बारीमाखा के उग्रवादी एरिया कमांडर को मार गिराया तथा दो चीनी ग्रेनेड बरामद किए।

इस अधिकारी की नेतृत्व क्षमता उस समय सामने आई जब उसने स्थानापन्न कमान अधिकारी के रूप में 21-22 सितम्बर, 1997 तथा 07-08 अक्तूबर, 1997 को दो सफल कार्रवाइयों के दौरान अपने अधीनस्थों की हिम्मत बढ़ाई जिसमें की एस टी एफ के चार उग्रवादी मारे गए और तीन पकड़े गए तथा उल्फा के तीन उग्रवादी मारे गए और एक पकड़ा गया। एक अमरीकी कारबाइन, एक अमरीका निर्मित पिस्तोल तथा एक .38 रिवाल्वर बरामद किया गया।

इस प्रकार मेजर कंवर जयदीप सिंह एस एम ने अनुकरणीय हिम्मत असाधारण वीरता तथा उच्चतम स्तर के नेतृत्व का परिचय दिया।

26. मेजर अजय सिंह चौहान (आई सी–42464)
से मे, 3 महार

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 नवम्बर, 1997

दिनांक 12 नवम्बर, 1997 को एक विश्वसनीय सूत्र ने मेजर अजय सिंह चौहान को बताया कि असम के नार्थ लखीमपुर क्षेत्र में सुबांसीरी और चगर नदियों के मध्य स्थित बार चपारी में उग्रवादियों का एक दल इकट्ठा हुआ है।

एक दुर्दांत उग्रवादी के नेतृत्व में यह दल माजुली से स्थानीय व्यापारियों से रुपया ऐंठने और उन्हें डराने धमकाने के लिए घुसा था। मेजर ए एस चौहान ने इस सूचना से बात की तथा तत्काल एक योजना बनाई। इसी बीच एक अन्य अधिकारी के नेतृत्व में एक त्वरित कार्रवाई दल का गठन करके उसे अल्पसूचना पर कार्रवाई के लिये तयार रहने के लिये कह दिया गया था। यह त्वरित कार्य दल दो दलों में बांट दिया गया। एक दल का नेतृत्व मेजर ए० एस० चौहान कर रहे थे। यह दल घातस्थल पर पहुंचा और वे फार्म बांस की झोपड़ियों में मोर्चा लगाकर इन्तजार करने लगे।

दूसरे दिन लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न चार सशस्त्र उग्रवादी घहघर नदी को पार करके दो नावों में उस स्थान पर नदी के किनारे पहुंचे जहां घात लगाई गई थी। मेजर ए० एस० चौहान ने जब उग्रवादियों को चेतावनी दी तो उन्होंने आड़ लेकर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। मेजर ए० एस० चौहान अपनी ए के 47 राइफल से गोलीबारी करते हुए आड़ लेने के लिये एक ओर कूद गये। क्योंकि उग्रवादी फैलकर नदी के किनारे पर आड़ लिये हुए थे इसलिये मेजर ए० एस० चौहान ने उन्हें वहीं समाप्त करने का फैसला लिया। उन्होंने एक अन्य सैनिक के साथ जोड़ा बनाकर 75 मीटर के खुले क्षेत्र से दौड़ लगाई और एक उग्रवादी को मार गिराया। ये उग्रवादी नदी में गिरे और नदी में बह गये। इन उग्रवादियों की मौत से संतुष्ट न होकर मेजर ए० एस० चौहान ने तुरंत नदी के तल की तलाशी की व्यवस्था की जिसमें मछली पकड़ने के जालें तथा ग्रामीण नावों का प्रयोग किया गया। इस तलाशी में कुछ हथियार गोलाबारूद बरामद हुआ।

इस प्रकार मेजर अजय सिंह चौहान ने खतरे का सामना करते हुए अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, निडरता तथा असाधारण आत्मनियंत्रण का परिचय दिया।

27. 13615366 हवलदार राजबीर सिंह, 9 परा

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 नवम्बर, 1997

19 नवम्बर, 1997 को हवलदार राजबीर सिंह, को पुंछ जिले (जम्मू-कश्मीर) में सक्रिय एक दल का नेतृत्व सौंपा गया। स्वयं एकत्रित की गई गुप्त सूचना के आधार पर यह दल चार दस्तों में सौकी-की-दोमेल क्षेत्र में एक मिशन पर चल पड़ा।

उनमें से एक दस्ते का नेतृत्व कर रहे हवलदार राजवीर ने 3–4 आतंकवादियों को देखते ही अपने दस्ते को तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया। यह भांपते हुए कि आतंकवादी जंगल की ओर भाग जाएंगे, उन्होंने आतंकवादियों पर टूट पड़ने का निर्णय लिया। उनके इस प्रकार टूट पड़ने से आतंकवादी अचंभित और स्तंभित रह गए। इसी बीच हवलदार राजवीर ने एक आतंकवादी के सिर पर गोली मारकर उसे मार गिराया।

इसके बाद एक आतंकवादी ने खड़ी चढ़ाई की ओर बने जंगल का फायदा उठाते हुए जबरदस्त गोलीबारी आरंभ कर दी। गोलियों की पहली बौछार राजवीर सिंह की बांह में लगी। हवलदार राजवीर सिंह और उनके दस्ते पर आतंकवादियों की नजर पड़ गई और उन पर भयंकर गोलीबारी होने लगी। हवलदार राजवीर सिंह यह भांपते हुए कि अब उनके दस्ते को सर्वनाश से बचाने के लिए अपने जख्मों और सामने से आती हुई गोलियों की बौछार की परवाह किए बिना स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो गए। वह असाधारण वीरता का परिचय देते हुए हथगोले फेंकते हुए आगे बढ़े जिससे एक अन्य आतंकवादी भी मारा गया। एक बार फिर आतंकवादियों द्वारा फेंके गए एक गोले के फटने से उन्हें कई जख्म लग गए। उनके शरीर से निरंतर रक्त बहने के बावजूद वे अपने दस्ते को आतंकवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी करते रहने के अनुदेश देते रहे। उनके इस दुस्साहसपूर्ण कार्य के आगे आतंकवादी अधिक देर टिक न सके और भाग खड़े हुए। इस संपूर्ण कार्रवाई में तीन विदेशी आतंकवादी सरगना मारे गए तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अतिरिक्त इस कार्रवाई में तीन ए० के० 47 राइफलें कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली एक विमानभेदी एस०ए०एम० 7 मिसाइल भी बरामद हुई।

इस प्रकार हवलदार राजवीर सिंह ने आतंकवादियों के साथ संघर्ष में वाकित्व से बढ़कर वीरता तथा अदम्य साहस का परिचय दिया।

28. स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद शाहजहां मोहम्मद नसीर (17012) फ्लाईंग (पायलट)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 नवम्बर, 1997

स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद शाहजहां मोहम्मद नसीर 31 मार्च, 1997 से वायुसेना की 117 हेलिकाप्टर यूनिट की सैमाती नफरी पर हैं और फ्लाइट कमांडर के रूप में कार्यरत हैं।

27 नवम्बर, 1997 को स्क्वाड्रन लीडर नसीर को सोलंग-व्यास कुंड के बर्फ से ढके क्षेत्र में हिम व भूस्खलन अध्ययन स्थापना के तीन कार्मिकों को ढूंढकर उन्हें वहां से निकाल लाने का कार्य सौंपा गया। धुंधले प्रकाश के बावजूद उन्होंने जमीनी खोजी दल तथा अचेतन अवस्था में एकमात्र जीवित कार्मिक को ढूंढ लिया। उन्होंने बर्फ से ढके क्षेत्र में अत्यंत दुष्कर परिस्थितियों में एक खड़ी ढलान के निकट हेलिकाप्टर उतार दिया। किंतु अत्यंत दुष्कर जमीनी स्थितियों और बढ़ते अंधेरे के कारण जमीनी खोजी दल घायल कार्मिक को हेलिकाप्टर तक नहीं ला सका। स्क्वाड्रन लीडर नसीर अगले दिन पौ फटते ही वहां पहुंच गए तथा मुलायम बर्फ के चक्कर काटते हुए केवल एक स्की को भूमि पर टिकाकर उस अकेले जीवित कार्मिक को निकाल लाने में सफल रहे उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर नसीर ने दो उड़ाने और भरीं और जमीनी खोजी दल के निठाल सदस्यों और दो मृतकों को भी निकाल लाए।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद शाहजहां मोहम्मद नसीर ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिवेश में अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अनुकरणीय साहस और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

29. 2592459 नायक यमा शिवशंकर रेड्डी, 9 जाट्स (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 06 दिसम्बर, 1997

नायक यमा शिवशंकर रेड्डी उस तलाशी दल में शामिल थे जिसे 06 दिसम्बर, 1997 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के खेत नामक गांव की तलाशी का दायित्व सौंपा गया।

जब तलाशी का कार्य चल रहा था तभी आतंकवादियों ने एक मकान के भीतर से तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। तत्काल उस मकान को घेर लिया गया। चार घंटे की लगातार गोलीबारी के बावजूद आतंकवादियों की ओर से फायरिंग जारी रही। लगभग 1630 बजे नायक यमा शिवशंकर रेड्डी स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए और अंधेरे में आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उक्त मकान के भीतर हथगोला फेंकने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। जब वे रेंगते हुए उस मकान की ओर बढ़ रहे थे तभी उन्हें हथगोले के टुकड़े आ लगे। जख्मी होने के बावजूद नायक यमा शिवशंकर रेड्डी ने उस मकान के अंदर हथगोला फेंका। तभी एक आतंकवादी तेजी से बाहर निकला और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिससे नायक यमा शिवशंकर रेड्डी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी उन्होंने उस हमलावर आतंकवादी को भागने से पहले मार गिराया। अपने जख्मों के कारण वे वहां से हटाए जाने से पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए।

नायक यमा शिवशंकर रेड्डी ने आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस, धैर्य, निस्वार्थ कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और कर्तव्य से बढ़कर वीरता दिखाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

30. मेजर मोहनदास के० (आई० सी० 42095) 5 बिहार

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 दिसम्बर, 1997

26/27 दिसम्बर, 1997 को 5 बिहार द्वारा असम के नलबाड़ी जिले के गुआबाड़ी में आतंकवादी शिविर पर धावा बोलकर उसे नष्ट करने के लिए एक कार्रवाई की गई।

मेजर मोहनदास के० ने उक्त शिविर का अंदाजा करके चुपचाप भूखंडों को चिन्हित किया और आतंकवादियों द्वारा कामचलाऊ विस्फोटक के दो विस्फोटों, ए० के० 56 राइफलों और युनिवर्सल मशीन गन-86 की भारी गोलीबारी के बावजूद निर्भय उस शिविर तक पहुंच गए। मेजर मोहनदास के० अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना आगे बढ़े और यू० एम० जी०-86 से गोलीबारी कर रहे आतंकवादी को बिल्कुल नजदीक जाकर मार गिराया। मेजर मोहनदास की इस हौसला बढ़ाने वाली कार्रवाई से उक्त शिविर तक पहुंचना आसान हो गया और उन्होंने एक अन्य आतंकवादी को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। अपने कमांडर के अदम्य साहस से प्रेरित होकर छापामार दस्ता भागते हुए आतंकवादियों पर टूट पड़ा और एक आतंकवादी को मार डाला तथा एक अन्य को घायल कर दिया जो भागने में सफल हो गया। छापामार दस्ते ने दो ए०के०-56 राइफलें एक यू०एम०जी०-86, दो प्वाइंट 303 राइफलें, ए० के० राइफलों की 260 गोलियां, दो राकेट प्रक्षेपक तथा बड़ी मात्रा में उपस्कर और दस्तावेज बरामद किए।

इस प्रकार मेजर मोहनदास के० ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में असाधारण साहस, प्रेरणादायक नेतृत्व, अनुकरणीय कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

31. सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान (एस० एस० 36843) सेना सेवा कोर

(मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 06 जनवरी, 1998

5/6 जनवरी, 1998 को घातक प्लाटून के कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान को जम्मू-कश्मीर की पओनी तहसील में दो सशस्त्र आतंकवादियों को खोजने का कार्य सौंपा गया। घनी झाड़ियों, लम्बी-लम्बी बेलों तथा कांटेदार झाड़ी का दुरूह जंगल होने के कारण यह एक कठिन कार्य था। लगभग 12.30 अपराह्न बजे आतंकवादियों ने इस प्लाटून पर अचूक निशानेबाजी शुरू कर दी। आसन्न खतरे के बावजूद सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान आगे बढ़ते रहे। लगभग 3 बजे नं० 1 स्काउट के बुलेट प्रूफ पटका पर गोलियां आ लगीं। आतंकवादियों का तुरंत सफाया करने के इरादे से यह युवा अफसर स्काउट नं० 2 के साथ आगे बढ़ा। उनके इस दुस्साहसिक हरकत से घबराकर आतंकवादी स्काउट की ओर मुड़ा और उसकी टांग और पीठ पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। सैन्य जवान की जान को खतरा भांपते हुए यह युवा अफसर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उस जवान को वहां से हटाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अपने इस असाधारण प्रयास से सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान ने उस आतंकवादी को मार गिराया, किन्तु इस कार्रवाई में उनकी पीठ पर भी गोलियां लग गईं और वे गंभीर रूप से जख्मी होकर वीरगति को प्राप्त हुए।

इस प्रकार सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान ने आतंकवादियों के साथ संघर्ष करते हुए असाधारण साहस और वीरता का परिचय दिया और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया।

32. जी० एस० 177429 के सुपरिन्टेंडेंट बी/आर ग्रेड-जनगिती कृष्ण मूर्ति बी०आर०डी०बी०

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 जनवरी, 1998

54, सड़क निर्माणी कंपनी (बी०आर०डी०बी०) परियोजना हिमांक के तहत 491 सड़क अनुरक्षण प्लाटून के सुपरिटेंडेंट बी/आर ग्रेड-II जनगिती कृष्ण मूर्ति 18,300 फुट की ऊंचाई पर विश्व के सर्वाधिक ऊंचे मोटर मार्ग खारदुंगला टॉप पर प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात थे।

15 जनवरी, 1998 को 21 सेना और सिविलियन वाहनों और 45 यात्रियों को ले जा रही एक बड़ा काफिला 11.30 बजे पूर्वाह्न लेह मार्ग पर साउथ पुल से चलना आरंभ हुआ। इस मार्ग पर तापमान शून्य से 32 सेल्सियस नीचे था और मौसम बहुत खराब था। लगभग 3.30 बजे अपराह्न बर्फीला तूफान आरंभ हो गया और देखते ही देखते सड़क पर 6 से 8 फुट बर्फ जमा हो गई। इन 21 वाहनों में से 5 सिविलियन और 3 सेना के वाहन खारदुंगला टॉप से एक किलोमीटर पीछे फंस गए। यह बर्फीला तूफान लगभग आधी रात को रुका।

वाहनों में सवार यात्री ड्राइवर तथा कर्मचारी अत्यधिक आतंकित हो गए थे और उनके चेहरे पर भय की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। स्थिति तब और भी ज्यादा खराब हो गई जब अत्यधिक ऊंचाई पर विषम जलवायु और खराब मौसम के कारण एक यात्री की मृत्यु हो गई। सुपरिटेंडेंट बी/आर ग्रेड-जे० कृष्णमूर्ति ने स्थिति को संभालते हुए डोजरों सहित अपने कर्मचारियों को रास्ते से बर्फ हटाने के काम पर लगा दिया। यात्रियों को उस स्थान से शीघ्र निकालने के लिए उन्होंने पहले उस स्थान की ओर जाने वाली सड़क पर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जहां सिविल और सेना के वाहन फंसे थे। अत्यधिक बर्फ होने के कारण सड़क का सही पता नहीं चल रहा था इसलिए सुपरिन्टेंडेंट बी/आर ग्रेड-II जे० के० मूर्ति ने सबसे आगे वाले डोजर पर बैठकर मार्ग दिखाने का साहसिक कार्य स्वयं संभाला। लेकिन तभी भारी भूस्खलन के कारण स्थिति उस समय और भी ज्यादा बिगड़ गई जब श्री जे० कृष्ण मूर्ति के नेतृत्व में चल रहा उनका दल अपने डोजर सहित उस भूस्खलन के नीचे दब गया। सुपरिन्टेंडेंट बी/आर ग्रेड-II मूर्ति ने बर्फ के नीचे से निकल कर आने में असाधारण सूझबूझ तथा के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने अर्ध बेहोशी की अवस्था में पड़े डोजर चालक को बाहर निकाला और उसे शीघ्र खारदुंगला टॉप स्थित चिकित्सा जांच कक्ष में ले गए।

इस प्रकार सुपरिन्टेंडेंट बी/आर ग्रेड-II जनगिती कृष्ण मूर्ति ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए खारदुंगला टॉप पर बर्फ हटाने में असाधारण कर्तव्यपरायणता, असीम साहस और सहयोगी भावना का परिचय दिया।

33. 75571 राइफलमैन श्याम सिंह, 7 असम राइफल्स (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 जनवरी, 1998

राइफलमैन श्याम सिंह 28 जनवरी, 1998 को उत्तर-पूर्व के थौबल नामक जगह पर रास्ता खोलने वाले दल में शामिल थे। वे पांच अन्य सैनिकों के साथ दो-दो के जोड़ों में थौबल पुल के उत्तर में तैनात थे।

लगभग 5.20 बजे अपराह्न उग्रवादियों के एक दल ने बांस के झुंडों के बीच से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करके राइफलमैन श्याम सिंह तथा उनके साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिणामस्वरूप, दोनों सैनिक घायल होकर गिर पड़े। इसी घटनाक्रम के बीच एक उग्रवादी गोलीबारी की आड़ में राइफलमैन श्याम सिंह के पहुंचा और उनका हथियार छीनने का प्रयास करने लगा। घातक रूप से घायल होने के बावजूद राइफलमैन श्याम-सिंह ने अत्यंत बहादुरी से व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना घायल शेर की तरह उछलकर उग्रवादी के साथ भिड़ते ए उसे गोली से मार गिराया। इससे अन्य उग्रवादी हतो-त्साहित होकर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद राइफल-मैन श्याम सिंह चोटों के कारण वहीं पर ढेर हो गए। राइफलमैन श्याम सिंह ने अपनी सुरक्षा की कतई परवाह न करते हुए उत्कृष्ट कोटि के व्यक्तिगत साहस तथा सर्वोत्तम कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अपनी जान देकर सौंपे गए कार्य को पूरा किया।

34. 13617164 नायक भमेर सिंह, 21 पैरा (स्पेशल फ्रंटियर फोर्स)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 फरवरी, 1998

15 फरवरी, 1998 को 1.30 बजे अपराह्न असम जिले के बोंगाईगांव जिले के रासिगांव नामक गांव में एक कार्रवाई के दौरान जब छापामार दल अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहा था तभी एक महिला संतरी ने शोर मचा दिया। तुरंत कार्रवाई की जरूरत महसूस करते हुए नायक भमेर सिंह ने उग्रवादियों के दल पर अपने स्क्वाड के साथ तुरन्त आक्रमण कर दिया।

इस स्थान पर उल्फा उग्रवादियों के एक बड़े नेता के मौजूद होने के कारण उग्रवादियों ने छापामार दल पर नजदीक से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। सटीक फायर के बीच बहुत मामूली आड़ में अपने स्क्वाड के घिर जाने को देखते हुए नायक भमेर सिंह ने भारी गोलीबारी के बीच उग्रवादियों पर नजदीक से धावा बोल दिया और एक उग्र-वादी को बुरी तरह घायल कर दिया और शेष को तितर-बितर होकर भागने पर मजबूर कर दिया। परन्तु उनके दाएं हाथ तथा दोनों पैरों पर लगी चार गोलियों के घावों से इस बहादुर जवान को रुक जाना पड़ा। इस तीव्र तथा सघन कार्रवाई में कुल चार वरिष्ठ उल्फा नेता मारे गए। दो घायल हुए तथा चार हथियार बरामद किए गए।

इस प्रकार अपनी जान को खतरे के बावजूद नायक भमेर सिंह ने भयंकर संघर्ष के दौरान असाधारण बहादुरी तथा दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया।

35. 2469580 हवलदार अमरजीत सिंह, 13 पंजाब (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 अप्रैल, 1998

15/16 अप्रैल, 1998 के दौरान हवलदार अमरजीत सिंह जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के आहगम गांव में एक तलाशी दल का नेतृत्व सेक्शन कमांडर के रूप में कर रहे थे। घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान के दौरान 15 अप्रैल, 1998 के प्रातः से उग्रवादी सैनिकों पर कंक्रीट के कई मकानों से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी कर रहे थे। गोलीबारी इतनी भारी थी कि हमारे छह सैनिक हताहत हो गए।

एक मकान की घेराबन्दी के दौरान उग्रवादियों ने टुकड़ी पर पास के मकान से भारी गोलीबारी कर दी। अपने साथियों को गंभीर खतरे में फंसा देखकर हवलदार अमरजीत सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए खिड़की की ओर रेंगकर एक ग्रेनेड अंदर फेंक दिया। इसके धमाके के बाद एक उग्रवादी ने खिड़की से कूदकर इनके ऊपर गोलीबारी कर दी। हवलदार अमरजीत सिंह ने इस उग्रवादी को हाथों से ही लड़ते हुए मार डाला।

16 अप्रैल, 1998 को आगे बढ़ते हुए हवलदार अमरजीत सिंह तथा उसके सेक्शन पर भारी गोलीबारी हुई। उन्होंने गली से धावा बोलकर नजदीक से उग्रवादी को गोली मार दी परन्तु इस दौरान उनके पैर में गोली लग गई। इसी बीच एक दूसरे उग्रवादी ने हवलदार अमरजीत सिंह पर गोलीबारी कर दी परन्तु उन्होंने अपने घाव की चिंता किए बिना उग्रवादी पर धावा बोल दिया और उसे मार डाला परन्तु इस कार्रवाई में वे भी घायल हो गए। 16 अप्रैल, 1998 को अपने घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार हवलदार अमरजीत सिंह ने अपने साथियों की रक्षा करने में असाधारण सक्रियता, उत्साह और साहस का परिचय दिया तथा अपने जीवन का बलिदान दिया।

36. 1362008 पैराट्रूपर बलदेव राज, 6 पैरा (मरणोपरांत)

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 अप्रैल, 1998

14/15 अप्रैल, 1998 की रात्रि में 13 पंजाब ने जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के आहगम गांव में सक्रिय उग्रवादियों के एक दल के सफाए के लिए घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान चलाया।

उग्रवादियों की गोलीबारी इतनी भयंकर थी कि उसमें 81 माउन्टेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर रमेश दीक्षित सहित हमारी सेना के छह कार्मिक खेत रहे। इसके बाद एक धावा टीम का गठन किया गया जिसमें श्री बलदेव राज भी शामिल थे।

गोलीबारी के बीच बढ़ते हुए, एक घर के दरवाजे पर एक उग्रवादी द्वारा गोलीबारी से पैराट्रूपर बलदेव राज घायल हो गए। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उन्होंने उग्रवादी पर धावा बोलकर उसे गोली से मार डाला। इसी बीच उसने दूसरे उग्रवादी को एक अन्य सैनिक की ओर निशाना बांधते देखा। अपनी चोटों तथा गंभीर खतरे की अनदेखा करते हुए पैराट्रूपर बलदेव राज इस उग्रवादी पर टूट पड़े और हाथों से ही लड़ते हुए उसे मार डाला। इस कार्रवाई के दौरान वे खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। जब दूसरे सिपाही ने उनकी सहायता करनी चाही तो उन्होंने उससे कहा 'मुझे छोड़ और मिलीटेंट को मत जाने दे'। पैराट्रूपर बलदेव राज की बाद में अपनी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इस कार्रवाई में कुल नौ उग्रवादी मारे गए।

इस प्रकार पैराट्रूपर बलदेव राज ने भारतीय सेना की उच्च परम्परा के अनुरूप साहस तथा दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया तथा अपने साथी की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप-सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 1999

नियमावली

सं. 98/ई. (जी. आर.)/1/18/1—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियां भरने के लिए 1999 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता इंजीनियरी सेवा परीक्षा की नियमावली मंत्रालयों/विभागों की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

वर्ग 1—सिविल इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

(1) इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा।

(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।

(3) केंद्रीय इंजीनियरी सेवा।

(4) सैनिक इंजीनियरी सेवा (आई. डी. एस. ई.—भवन तथा सड़क संवर्ग)।

(5) सैनिक इंजीनियरी सेवा (निर्माण सर्वेक्षण संवर्ग)।

(6) भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रेड 'क' (सिविल इंजीनियरी पद)।

(7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी पद)।

(8) डाक व तार भवन निर्माण (ग्रुप-क) सेवा के सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)।

(9) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क'

(10) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) सीमा सड़क, इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

(11) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (सिविल इंजीनियरी पद)।

वर्ग 2—यांत्रिक इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

(1) यांत्रिकी इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा।

(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(3) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(4) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(5) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(6) सैनिक इंजीनियरी सेवा (आई. डी. एस. ई.) (विद्युत और यांत्रिक संवर्ग) (यांत्रिक इन्जीनियरी पद)।

(7) केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(8) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत तथा यांत्रिक) (यांत्रिक इंजीनियर पद) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

(9) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में ड्रिलिंग इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'।

(10) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'।

(11) सहायक प्रबन्धक (कारखाना) दूर-संचार विभाग (दूर-संचार कारखाना संगठन)।

(12) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप 'क' (यांत्रिक इंजीनियरी पद)।

(13) भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' (यांत्रिकी इंजीनियरी पद)।

(14) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (यांत्रिकी इंजीनियरी पद)।

वर्ग 3—वैद्युत इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

(1) वैद्युत इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा ।

(2) भारतीय भण्डार सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।

(3) केन्द्रीय वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इन्जीनियरी पद) ।

(4) भारतीय आयुध कारखाना सेवा (इंजीनियरी शाखा) (वैद्युत इन्जीनियरी पद) ।

(5) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।

(6) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी पद) ।

(7) सहायक कार्यपालक इन्जीनियर (वैद्युत) डाक तार भवन ।

(6) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वैद्युत) डाक तार भवन निर्माण (ग्रुप 'क') सेवा ।

(7) सहायक प्रबन्धक (कारखाना) दूर-संचार विभाग (दूर-संचार कारखाना संगठन) ।

(8) भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' (वैद्युत इन्जीनियरी पद) ।

(9) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (वैद्युत इन्जीनियरी पद) ।

वर्ग 4—इलैक्ट्रानिकी और दूर-संचार इंजीनियरी

ग्रुप 'क' सेवाएं/पद

(1) सिग्नल इंजीनियरी की भारतीय रेल सेवा ।

(2) भारतीय रेल भण्डार सेवा (दूर-संचार/इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) ।

(3) भारतीय दूर-संचार सेवा ।

(4) इन्जीनियर वायरलैस आयोजन और समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन; संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग)।

(5) भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा ।

(6) भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा (इन्जीनियरी शाखा) (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) ।

(7) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा (दूर-संचार इंजीनियरी पद) ।

(8) भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रानिकी एवं दूर-संचार इंजीनियरी पद) ।

(9) सहायक प्रबन्धक (कारखाना) दूर-संचार विभाग (दूर-संचार कारखाना संगठन) ।

(10) भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) ।

(11) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' (इलैक्ट्रानिकी इन्जीनियरी पद) ।

1. परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित नीति से ली जाएगी । परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग निश्चित करेगा ।

2. उम्मीदवार ऊपर दर्शाई गई सेवाओं/पदों की श्रेणियों जैसे कि सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या वैद्युत इंजीनियरी या इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार इंजीनियरी के संबंध में किसी एक के लिए प्रतियोगी हो सकता है । परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विस्तृत आवेदन-पत्र में वरीयता के क्रम में यह स्पष्ट करना होगा कि वह किन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं । उम्मीदवार को उनकी इच्छानुसार एकाधिक जितनी भी वह चाहें वरीयता क्रम दर्शाने का परामर्श दिया जाता है जिससे कि योग्यता क्रम में उनके रैंक के अनुसार नियुक्ति करते समय उनकी वरीयता पर उचित ध्यान दिया जा सके ।

विशेष ध्यान 1 :—उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने विस्तृत आवेदन-पत्र में उन सभी सेवाओं/पदों का वरीयता क्रम में उल्लेख करें जिन सेवाओं/पदों के लिए वह नियमों की शर्तों के अनुसार पात्र हैं । यदि वह किसी सेवा/पद का वरीयता क्रम नहीं लिखता है अथवा आवेदन-प्रपत्र में किन्हीं सेवाओं/पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन सेवाओं/पदों के लिए उसकी कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में सेवाओं/पदों के लिए उम्मीदवारों की वरीयताओं के अनुसार आवेदन करने हेतु पश्चात् जिनमें रिक्तियां होंगी उसका किसी भी शेष सेवाओं/पदों पर अधिसूचना में दिए गए क्रम के आधार पर, आवंटन कर दिया जाएगा । इस प्रकार का आवंटन करते समय उन उम्मीदवारों को पहले ग्रुप 'क' सेवाओं/पदों और बाद में ग्रुप "ख" सेवाओं/पदों के लिए विचार किया जाएगा ।

विशेष ध्यान 2 :—किसी भी उम्मीदवार का अपने विस्तृत आवेदन-पत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

विशेष ध्यान 3 :—विभागीय उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जिन्हें नियम 5(ख) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है । ऐसे उम्मीदवार अन्य मन्त्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए भी अपनी वरीयता दे सकते हैं । तथापि पहले उन्हें उनकी योग्यताक्रम के अनुसार उनके अपने ही विभाग में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा और केवल उन विभागों में रिक्तियों के न होने अथवा ऐसे उम्मीदवारों के उनके अपने ही विभागों में सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति में ही उनके द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा ।

विशेष ध्यान 4 :—नियम 6 के उपबन्ध के अन्तर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार किया जाएगा जो उक्त उपबन्ध में निर्दिष्ट पदों के लिए हैं और अन्य सेवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा ।

विशेष ध्यान 5 :—उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं/पदों का आवंटन योग्यता क्रम सूची में उनके स्थान, उनके द्वारा दी गई वरीयता और पदों की संख्या के आधार पर ही किया जाएगा जो उम्मीदवारों के चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ पाए जाने के अध्यधीन हैं ।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

4. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हैं ।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया हो ।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो,

5. (क) इस परीक्षा में उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 1999 को 21 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1969 से पहले और 1 अगस्त, 1978 के बाद न हुआ हो ।

(ख) नियम-2 के नीचे दिए गए विशेष ध्यान (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन रहते हुए निम्नलिखित वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि वे नीचे दिए गए कालम में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियुक्त हैं और कालम-2 में निर्दिष्ट सभी अथवा किसी सेवा (सेवाओं/पद (पदों) के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु जिसके लिए वे अन्यथा पात्र हैं, आवेदन करते हैं—ऊपर आयु-सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी) ।

(1) वह उम्मीदवार जो सम्बद्ध विभाग/कार्यालय विशेष में मूल रूप में स्थाई पद पर है उक्त विभाग कार्यालय में स्थाई पद पर नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान यह छूट नहीं मिलेगी ।

(2) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग/कार्यालय विशेष में 1 अगस्त, 1999 को कम से कम 3 वर्ष नगातार अस्थाई सेवा नियमित आधार पर कर चुका हो ।

कालम—1	कालम—2
1	2
रेल विभाग	आई० आर० एस० ई० आई० आर० एस० एम० ई० आई० आर० एस० ई० ई० आई० आर० एस० एस० ई० आई० आर० एस० एस०
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	सी० ई० एस० ग्रुप 'क' सी० ई० एण्ड एम० ई० एस० ग्रुप 'क' ।
मुख्य अभियंता सेना मुख्यालय	सैनिक इंजीनियरी सेवा, ग्रुप 'क' (आई० डी० एस० ई०) बी० एवं आर० संवर्ग तथा निर्माण सर्वेक्षण संवर्ग सैनिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' (आई० डी० एस० ई०—ई० एवं एम० संवर्ग ।)
आयुध कारखाना महानिदेशालय	आई० ओ० एफ० एस० ग्रुप 'क'
केन्द्रीय जल आयोग	सी० डब्ल्यू० ई० (ग्रुप 'क') सेवा
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तार आयोजन तथा समन्वय स्कन्ध अनुश्रवण संगठन	सी० पी० ई० (ग्रुप 'क') सेवा इंजीनियर (ग्रुप 'क')
सीमा सड़क संगठन	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा
आकाशवाणी दूरदर्शन	भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा का कनिष्ठ वेतनमान

1	2
संचार मंत्रालय दूर संचार विभाग तथा डाक विभाग	भारतीय दूर संचार सेवा, ग्रुप 'क' सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल वैद्युत) डाक व तार भवन निर्माण ग्रुप 'क' सेवा सहायक प्रबन्धक (कारखाना) ग्रुप 'क', डाक व तार (दूर-संचार कारखाना संगठन)
विज्ञान तथा तकनीकी भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप 'क' विभाग आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय	आई० एस० एस० (आई० आई० एस० ग्रुप 'क') ग्रुप 'क'
भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग	बर्मा इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'

टिप्पणी :—प्रशिक्षुता की अवधि के बाद यदि रेलों में किसी कार्यभार पद पर नियुक्ति हो जाती है तो आयु में छूट के प्रयोजन के लिए प्रशिक्षुता की अवधि रेल सेवा मानी जाएगी ।

(ग) इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक ।

(3) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 10 वर्ष तक ।

(4) शत्रु देश के साथ संघर्ष में अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(5) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक जातियों आठ वर्ष तक;

(6) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 अगस्त, 1999 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 1999 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है, या (2) अल्पकालिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं के मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक ।

(7) भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (सहित) जो अ. जा. या. अ. ज. जा. के हैं तथा जिन्होंने 1 अगस्त 1999 को कम से कम 5 वर्ष तक सैनिक सेवा की हो और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 1999 में एक वर्ष के अंदर पूरा होना है, या (2) सैनिक सेवा में हुए शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक 10 वर्ष तक;

(8) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 अगस्त, 1999 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक;

(9) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा प्राप्त कमीशन अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 अगस्त, 1999 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र

जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष तक;

(10) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं; अधिकतम 3 वर्ष तक ।

टिप्पणी 1—भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा तथा पदों में पुनर्रोजगार) नियम, 1979, परिभाषित किया गया है ।

टिप्पणी 2—ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं तथा जिन्होंने आयु सीमा में छूट लेने के पश्चात् सिविल साइड में कोई सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियम 5(ग) (2) से (10) के अधीन आयु सीमा में छूट के पात्र नहीं हैं ।

तथापि, ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत किसी सिविल पद पर पहले ही नियमित रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, केन्द्र सरकार के अंतर्गत किसी उच्च पद या सेवा में किसी अन्य रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथास्वीकार्य आयु छूट के लाभ की अनुमति दी जाती है ।

टिप्पणी 3—अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 5 (ग) के किन्हीं अन्य खण्डों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिक आदि के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

विशेष ध्यान—जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम (5) (ख) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतें लेकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेने के बाद वह परीक्षा देने से पहले या बाद में सेवा से त्याग-पत्र देता है या उसके विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है । किन्तु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह परीक्षा देने का पात्र बना रहेगा ।

जो उम्मीदवार विभाग को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाता है वह उस सेवा/पद हेतु विभाग की आयु संबंधी रियायतें लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया है ।

उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी ।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रीकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रीकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो । जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है ।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी 1—उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रीकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा ।

टिप्पणी 2—उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी बाद की परीक्षा में किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. उम्मीदवार—

(क) के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए; अथवा

(ख) इंजीनियरी की संस्था (भारत) की संस्था परीक्षा का भाग क और ख उत्तीर्ण हों; अथवा

(ग) के पास किसी विदेशी विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था से इन्जीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो; अथवा

(घ) इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार इन्जीनियरी की संस्था (भारत) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो; अथवा

(ङ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा भाग 2 और 3/खण्ड क और ख उत्तीर्ण हो; अथवा

(च) यांत्रिक इंजीनियरों की संस्था (भारत) की एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा (भाग क और ख) उतीर्ण हो; अथवा

(छ) नवम्बर, 1959 के बाद ली गई इलैक्ट्रॉनिकी और रेडियो इंजीनियरी की संस्था (लन्दन) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

किन्तु वायरलैस आयोजन तथा समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन, संचार मंत्रालय में इन्जीनियरी ग्रुप क और भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास उपर्युक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित योग्यता हो जैसे :—

वायरलैस संचार, इलैक्ट्रानिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम. एससी. डिग्री या समकक्ष ।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसे परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है । ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा ।

टिप्पणी 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

टिप्पणी 3 :—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग के विवेक पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए ।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थाई रूप से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है, उनको या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवारत हों, उनको इस आशय का परिवचन (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनको नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंधित अनुमति रोकने हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है ।

9. उम्मीदवार के आवेदन-पत्र और उसकी पात्रता को स्वीकार करने या परीक्षा में प्रवेश आदि के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनको प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा । यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

11. आयोग ने जिस उम्मीदवार को दोषी पाया अथवा घोषित किया हो :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे व्यक्तित्व दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(10) परीक्षा कराने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(11) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण-पत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा

(12) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवैध प्रेरित करने का प्रयत्न किया हो ।

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, तथा/अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से बारिस्त किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, अथवा

(2) उम्मीदवारों द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हों उन्हें आयोग के विवेक पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

यदि आयोग का विचार है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर इन समुदायों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तब आयोग द्वारा मानकों में छूट देकर इन समुदायों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है ।

13. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से लिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार नामों की सूची बनाएगा और उस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाए गए हों ।

(2) किसी भी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक आयोग द्वारा मानक में छूट देकर सिफारिश की जा सकती है बशर्ते कि ये उम्मीदवार सेवा में चयन हेतु उपयुक्त हों ।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन मापदंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा ।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा ।

विभागीय उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार पहले उनके अपने ही विभाग में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा अथवा ऐसे उम्मीदवारों को, उनके अपने विभागों में सेवाओं/पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति में ही, उन्हें उनके द्वारा दी गई वरीयताओं के आधार पर अन्य मंत्रालयों/विभागों में सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा ।

16. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है ।

17. उम्मीदवारों को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि विहित डाक्टरी परीक्षा जो सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, यथास्थिति के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर जो उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उनकी डाक्टरी जांच साक्षात्कार की तारीख के तुरन्त बाद आने वाले कार्यदिवस को की जाएगी (शनिवार और रविवार तथा छुट्टियों वाले दिन डाक्टरी जांच नहीं होगी) । इस प्रयोजन के लिए सभी सफल उम्मीदवारों को प्रातः 9.00 बजे अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय अस्पताल, उत्तरी रेलवे बसन्त लेन नई दिल्ली पर उपस्थित होना पड़ेगा । यदि उम्मीदवार चश्मा लगाते हों तो उन्हें हाल के चश्मे के नम्बर के साथ मैडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना चाहिए ।

डाक्टरी जांच की तारीख या स्थान में परिवर्तन का अनुरोध सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

उम्मीदवार को यह नोट कर लेना चाहिए कि किसी भी हालत में डाक्टरी जांच से छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

उम्मीदवारों का ध्यान इसमें प्रकाशित शारीरिक परीक्षा से संबंधित विनियमों की ओर आकर्षित किया जाता है । उसमें विभिन्न सेवाओं के लिए शारीरिक स्वस्थता मापदण्ड अलग-अलग हैं । अतः उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि जिन सेवाओं के लिए वे प्रतियोगी हैं, जिन सेवाओं/पदों के लिए सं. लो. से. आ. को वरीयता बताई है उन सेवाओं के विशेष संदर्भ में इन मापदण्डों को ध्यान में रखें ।

उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि :—

(1) उनको 30 रुपये (तीस रुपए) की नकद राशि मैडिकल बोर्ड को भुगतान करनी होगी;

(2) डाक्टरी जांच के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा; और

(3) उम्मीदवार की डाक्टरी जांच हो जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार किया जाएगा ।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उन्हें रेल मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा डाक्टरी जांच से सम्बन्धित अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी ।

निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी परीक्षा करा लें । उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं । संघर्ष के दौरान विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में से छूट दी जा सकती है ।

18. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है,

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

19. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में प्रवेश से पहले हिन्दी का कुछ ज्ञान विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायक होगा जोकि उम्मीदवार को सेवा में प्रवेश के बाद उत्तीर्ण करनी है ।

20. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया है ।

डी. पी. त्रिपाठी
सचिव, रेलवे बोर्ड

परिशिष्ट-1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग-1—लिखित परीक्षा के दो भाग होंगे । भाग 1 में केवल वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे और भाग 2 में परम्परागत प्रश्न-पत्र होंगे । दोनों भागों में संगत इंजीनियरी शिक्षा शाखाओं जैसे सिविल इन्जीनियरी, यांत्रिक इन्जीनियरी, विद्युत इन्जीनियरी

और इलेक्ट्रानिकी तथा दूर-संचार इन्जीनियरी की पूरा पाठ्यक्रम होगा । इन प्रश्न-पत्रों के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट की अनुसूची में दिए गए हैं । लिखित परीक्षा का विवरण जैसे विषय, प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक नीचे पैरा 2 में दिए गए हैं ।

भाग-2—लिखित परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है ।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :—

श्रेणी-1—सिविल इंजीनियरी

विषय	अवधि	पूर्णांक
1	2	3
खण्ड 1—वस्तु परक प्रश्न-पत्र		
सामान्य योग्यता परीक्षा (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन)	2 घण्टे	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	2 घन्टे	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	2 घन्टे	200
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र		
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	3 घंटे	200
सिविल इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	3 घंटे	200
योग		1000

श्रेणी-2—यांत्रिक इंजीनियरी

विषय	अवधि	पूर्णांक
1	2	3
खण्ड 1—वस्तु परक प्रश्न-पत्र		
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन)	2 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	2 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	2 घंटे	200
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र		
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	3 घंटे	200
यांत्रिक इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	3 घंटे	200
योग		1000

श्रेणी-3—वैद्युत इंजीनियरी

विषय	अवधि	पूर्णांक
1	2	3
खण्ड 1—वस्तुपरक प्रश्न-पत्र		
सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन)	2 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	2 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	2 घंटे	200
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र		
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	3 घंटे	200
वैद्युत इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	3 घंटे	200
योग		1000

श्रेणी 4—इलैक्ट्रानिकी और दूर संचार इंजीनियरी

विषय	अवधि	पूर्णांक
1	2	3
खण्ड 1—वस्तुपरक प्रश्न-पत्र सामान्य योग्यता परीक्षण (भाग क : सामान्य अंग्रेजी) (भाग ख : सामान्य अध्ययन)	2 घंटे	200

1	2	3
इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र I	2 घंटे	200
इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र II	2 घंटे	200
खण्ड 2—परम्परागत प्रश्न-पत्र		
इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र— I	3घंटे	200
इलैक्ट्रानिकी तथा दूर संचार इंजीनियरी प्रश्न-पत्र—II	3 घंटे	200
योग		1000

3. व्यक्तित्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधा शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक उर्जास्विता प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

4. परम्परागत प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएं । प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे ।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर में अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. लिखाई खराब होने पर लिखित प्रश्न-पत्रों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे ।

9. परीक्षा के परम्परागत प्रश्न-पत्र में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभाव पूर्ण ढंग की और सही हो ।

10. प्रश्न-पत्रों में जहां आवश्यक होगा तौल और माप की मीटरी प्रणाली में संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

टिप्पणी :—जहां भी जरूरी समझा जाएगा उम्मीदवारों को परीक्षा भवन में संदर्भ हेतु भारतीय मानक संस्थान द्वारा संकलित तथा प्रकाशित मीटरी इकाईयों की सारणी उपलब्ध कराई जाएगी ।

11. उम्मीदवारों को परम्परागत (निबंध) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है ।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं ।

12. उम्मीदवार को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों में अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

परिशिष्ट 1 की अनुसूची

स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य योग्यता परीक्षण के प्रश्न-पत्र का स्तर वैसा ही होगा जैसा कि इन्जीनियरी विज्ञान स्नातक से अपेक्षा की जाती है । अन्य विषयों के प्रश्न-पत्रों के स्तर एक भारतीय विश्वविद्यालय की इन्जीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा। किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

सामान्य योग्यता परीक्षण

भाग (क) सामान्य अंग्रेजी :—अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके ।

भाग (ख) सामान्य अध्ययन :—सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र में सामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की, उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए, जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है । प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे ।

सिविल इन्जीनियरी

(वस्तु परक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र 1

1. भवन-निर्माण सामग्री :

इमारती लकड़ी : विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक इमारती लकड़ी, सघनता-नमी संबंध, विभिन्न दिशाओं में सामर्थ्य, दोष, अनुमेय प्रतिबलों पर दोषों का प्रभाव, परिरक्षण, शुष्क एवं आर्द्र अपक्षय, डिजाइनों के लिए फोडीय प्राक्कलन प्लाईवुड ।

ईंटें : किस्में, भारतीय मानक वर्गीकरण, अवशोषण, संतृप्ति गुणक, चिनाई की सामर्थ्य, चिनाई सामर्थ्य पर मसाले की सामर्थ्य का प्रभाव ।

सीमेन्ट : विभिन्न प्रकार के मिश्रण, अवस्थापन काल, सामर्थ्य ।

सीमेन्ट मसाला : मसाले के अवयव, अनुपात, जल-मांग, पलस्तर तथा चिनाई का मसाला ।

। कंक्रीट : जल सीमेन्ट अनुपात का महत्व, सामर्थ्य, अभिमिश्रण सहित विभिन्न अवयव सुकार्यता, सामर्थ्य परीक्षण, प्रत्यास्थता, अविनाशक परीक्षण, मिश्र-अभिकल्पन विधि ।

2. ठोस यांत्रिकी

प्रत्यास्थता नियतांक, प्रतिबल, द्विविम प्रतिबल, प्रतिबल का मोर वृत्त, विकृति, द्विविम विकृति, विकृति का मोर वृत्त, संयुक्त प्रतिबल, भंगता संबंधी प्रत्यास्थता सिद्धान्त, साधारण बंधन, अपरुमण, तृतीय और आयताकार खण्ड की ऐंठन तथा साधारण अवयव ।

3. संरचनात्मक विश्लेषण अनिवार्य ढांचों का विश्लेषण—ग्राफीय विधियों सहित विभिन्न विधियां । अनिवार्य ढांचागत फ्रेमों का विश्लेषण-आघूर्ण वितरण, ढाल विक्षेप, दृढ़नम्यता तथा बल विधि, ऊर्जा विधियां, मूलर-ब्रूसलौ सिद्धान्त तथा अनुप्रयोग ।

अनिवार्य धरनों (बीम्स) तथा साधारण फ्रेमों का पराप्रत्यास्थ विश्लेषण—आकृति गुणक ।

4. इस्पात के ढांचों का अभिकल्पन :

कार्यशील प्रतिबल विधि के सिद्धान्त । संयोजनों का अभिकल्पन, साधारण अवयव, निर्मित खण्ड तथा ढांचे । औद्योगिक छतों का अभिकल्पन । चरम भार, अभिकल्पन के सिद्धान्त । साधारण अवयवों तथा ढांचों का अभिकल्पन ।

5. कंक्रीट तथा चिनाई ढांचों का अभिकल्पन :

बंकन, अपरूपण, अक्षीय संपीडन और संयुक्त बल के सीमांत अवस्था अभिकल्पन । स्लेबों, धरनों, दीवारों और नींवों के लिए कोडीय प्रावधान । प्रबलित सीमेन्ट अवयवों के अभिकल्पन की कार्यशील प्रतिबल विधि ।

पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट अभिकल्पन के सिद्धान्त, सामग्री, पूर्व प्रतिबलन विधि, हानियां । साधारण अवयवों और निर्णय ढांचों की अभिकल्पना । अनिवार्य ढांचों के पूर्व प्रतिबलन का परिचय ।

आई. एस. कोडों के अनुसार ईंट चिनाई का अभिकल्पन ।

6. निर्माण पद्धति, आयोजना एवं प्रबंध

कंक्रीट उपस्कर :

भार वाले घान मापक, मिक्सर, वाइब्रेटर, घान संयंत्र कंक्रीट पम्प, क्रेनें, उच्चालक (हास्थट), उत्थापन (लिफ्टिंग) उपस्कर ।

मृदा-कार्य उपस्कर :

बिजली से चलने वाले बेलचे, फावड़े, डोजर, डम्पर, ट्रेलर्स तथा ट्रेक्टर, रोलर्स, शीप फुट रोलर्स, पम्प ।

निर्माण, आयोजना तथा प्रबन्ध :

बार चार्ट, संयोजित बार चार्ट, कार्यभंग संरचनाएं शरारेख क्रियाशीलता । क्रांतिक पथ, प्राथमिकता सक्रियता अवधि, घटना आधारित नेटवर्क, पी. ई. आर. टी, नेटवर्क, समय-लागत अध्ययन, ध्वंस (क्रेसिंग) संसाधन नियतन ।

प्रश्न-पत्र 2

1. (क) तरल यांत्रिकी, मुक्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह, नलिका प्रवाह :

तरल की विशेषताएं, दाब, प्रणोद, उत्प्लावकता तरल गतिकी : प्रवाह समीकरणों का समाकलन; प्रवाह मापन; सापेक्ष गति; संवेग का आघूर्ण; विस्कासिता; सीमांत परत तथा नियंत्रण, विकर्ष, उत्थापक; त्रिविम । विश्लेषण, निदर्शन, कोटरन; प्रवाह दोलन; मुक्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह में संवेग तथा ऊर्जा सिद्धान्त, प्रवाह नियंत्रण, जलोच्छाल, प्रवाह परिच्छेद और विशेषताएं; सामान्य प्रवाह, क्रमशः परिवर्ती प्रवाह; प्रोत्कर्ष; नलिका प्रवाह में प्रवाह विकास तथा हानियां मापन; साइफन, प्रोत्कर्ष तथा जलाघात; शक्ति प्रदाय; नलिका नेटवर्क ।

(ख) द्रवचलित मशीन और जलशक्ति :

अपकेन्द्री पंप, किस्में, निष्पादन प्राचल; अनुमापन, समांतर पंप, प्रत्यागामी पंप, वायु भांड, निष्पादन प्राचल; द्रवचालित रैम, द्रवचलित टरबाइन, किस्में, निष्पादन प्राचल, नियंत्रण, चयन विद्युत गृह, वर्गीकरण और अभिन्यास भण्डारण, जल-संचयन, आपूर्ति नियंत्रण ।

2. (क) जल-विज्ञान :

जल विज्ञानी चक्र, अवक्षेपण तथा सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण, पी. एम. पी., एकक तथा संश्लिष्ट जलालेख; वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन; बाढ़ एवं उनका प्रबन्ध, पी. एम. एफ.; धाराएं एवं उनका प्रमापन; नदी आकारिकी; बाढ़ का मार्गाभिगमन; जलाशयों की क्षमता ।

(ख) जल संसाधन इंजीनियरी :

सर्वाधिक जल संसाधन : जल के बहुउद्देशीय उपयोग; मृदा-संयंत्र-जल सम्बन्ध, सिंचाई प्रणालियां, जल-भागों मूल्यांकन; भंडारण और उसके लाभ, भूमिजल लाभ और कूप जल इंजीनियरी; जल क्रसन, जल निकास अभिकल्पन, सिंचाई राजस्व; दृढ़ किनारों वाली नहरों का अभिकल्पन, नहर अभिकल्पन के बारे में लैसी तथा कर्षण बल की अवधारणाएं, नहरों की लाईनिंग; नहरों में तलछट परिवहन; भारावित बांधों के अनुप्रवाही तथा उत्प्लावी परिच्छेद और उनका अभिकल्पन, ऊर्जा क्षयकारक और पृष्ठजल निर्धारण; मुख्य कर्मान्त (हैडवर्क्स), वितरण कार्यों, प्रपातों, पागामी जल निकास निर्माण कार्यों, निर्गम मार्गों का अभिकल्पन, नदी नियन्त्रण ।

पर्यावरण इंजीनियरी

3(क) जल आपूर्ति इंजीनियरी :

आपूर्ति के स्रोत, प्राप्ति अंतर्गृहियों तथा चालकों के अभिकल्पन, मांग का आंकलन; जल गुणता मानक; जल से उत्पन्न होने वाले रोगों का नियंत्रण, प्रारम्भिक तथा परवर्ती उपचार, उपचार एककों का विस्तरण और रखरखाव; उपचारित जल के परिवहन तथा वितरण की प्रणालियां, क्षरण तथा नियंत्रण; ग्रामीण जल आपूर्ति; संस्थागत तथा औद्योगिक जल आपूर्ति ।

(ख) अपशिष्ट जल इंजीनियरी :

शहरों में बरसात के पानी की निकासी, मल जल (सीवेज) के एकत्रीकरण और उसके निपटान की प्रणालियां; सीवरों और मल जल व्यवस्था प्रणाली का अभिकल्पन; पंपिंग; मल जल की विशेषताएं और इसका उपचार; मल जल उपचार से प्राप्त उत्पादों का निपटान; धीस प्रवाह पुनर्नवीकरण; मल का संस्थागत और औद्योगिक प्रबन्ध; नलकोरी-प्रणालियाँ; ग्रामीण एवं उपनगरीय सफाई व्यवस्था ।

(ग) ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध :

स्रोत, वर्गीकरण, एकत्रीकरण और निपटान, कल्चा स्थलों का अभिकल्पन और उनका प्रबन्ध ।

(घ) वायु तथा ध्वनि प्रदूषण और परिस्थिति विज्ञान :

वायु प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव, वायु प्रदूषण पर निगरानी रखना, ध्वनि प्रदूषण एवं मानक पारिस्थितिक श्रृंखला और संतुलन, पर्यावरण का मूल्यांकन ।

4. (क) मृदा यांत्रिकी :

मृदाओं की विशेषताएं, वर्गीकरण एवं अंतः सम्बन्ध, संहनन व्यवहार, संहनन की विधियां और उनका चयन, विशिष्ट सुसंहननीयता और रिसन, प्रवाह जाल, प्रतिलोमित निस्यंदक (फिल्टर), संपीड्यता और संपीडन, अपरूपण प्रतिरोध, प्रतिबल और भंगता, प्रयोगशालाओं और स्वस्थानों पर मृदा परीक्षण, प्रतिबल पथ और अनुप्रयोग, मृदा दाब सिद्धांत, मृदा में प्रतिबल वितरण, मृदा अन्वेषण, प्रतिदर्श यंत्र, भार परीक्षण, अतर्वेशन परीक्षण ।

(ख) नींव इंजीनियरी :

नींव के प्रकार, चयन मानदण्ड, वहन क्षमता, निषदन, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र परीक्षण, स्थूणों के प्रकार, उनके अभिकल्प मृदा और अभिविन्यास, प्रसरणशील मृदा पर नींव, प्रावरण और इसकी रोकथाम, प्रसरणशील मृदा पर नींव बनाना ।

5. (क) सर्वेक्षण :

सर्वेक्षणों का वर्गीकरण, पैमाने, परिशुद्धता, दूरियों का मापन-यंत्र एवं परोक्ष पद्धतियां, प्रकाशिक तथा इलेक्ट्रानिक युक्तियाँ, दिशाओं का मापन, समपार्श्वीय विकसूचक, स्थानीय आकर्षण, थियोडोलाइट—किस्में, ऊँचाई का मापन,—साधनी (स्पिरिट) तथा त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण, उभार निरूपण समोच्च—रेखाएं, अंकीय उदविक्षेप निदर्शन संकल्पना, त्रिकमेणन तथा चक्रमण द्वारा नियंत्रकों की स्थापना—प्रेक्षणों का मापन और समायोजन, निर्देशांकों का अभिकलन, क्षेत्र सम्बन्धी खगोल विज्ञान, सार्वभौमिक अवस्थितिक प्रणाली की संकल्पना, प्लेन टेबल और फोटोग्रामीटरी द्वारा नक्शे बनाना मानचित्र बनाना, दूरस्थ संवेदन संकल्पनाएं, नक्शों के विकल्प ।

(ख) परिवहन इंजीनियरी :

महामार्गों की आयोजना, संरक्षण तथा ज्यामितीय अभिकल्प, आड़े तथा तिरछे वक्र, ग्रेड पृथक्करण, विभिन्न पृष्ठों के लिए निर्माण सामग्री तथा निर्माण पद्धति और उनका रखरखाव, पेवमेंट डिजाइन के सिद्धांत, जलनिकासी ।

यातायात सर्वेक्षण : चौराहे, सिग्नल व्यवस्था, व्यापक पारगमन प्रणाली, अभिगम्यता, नेटवर्क तैयार करना, सुरंग बनाना, संरेखण, निर्माण विधियां, गन्दगी का निपटान, जल-निकास, प्रकाश व्यवस्था और संवातायन, यातायात नियन्त्रण, आपातकालीन प्रबन्ध ।

रेल प्रणाली का आयोजन, गेज, पटरी नियंत्रणों, पारगमन, रोलिंग स्टाक, कर्षण शक्ति तथा रेल मार्गों के आधुनिकीकरण से सम्बद्ध शब्दावली एवं अभिकल्प, रख-रखाव, अनुबद्ध कार्य, डिब्बों की व्यवस्था (कन्टेनराइजेशन) ।

बंदरगाह—अभिन्यास, नौपरिवहन मार्ग, लंगर डालना, स्थान निर्धारण, अपरदन और निक्षेपण सहित बेलांचली परिवहन, गहराईमापन विधि, शुष्क एवं जल गोदी, विभिन्न अंग और प्रचालन;ज्वारीय आंकड़े एवं उनका विश्लेषण ।

विमान पत्तन—विन्यास एवं अभिविन्यास, हवाई पट्टी तथा टैक्सी पथ अभिकल्प एवं जलनिकासी व्यवस्था, मंडलन नियम, दृष्टि सहायक उपकरण और हवाई यातायात नियंत्रण, हैलीपैड, हैंगर, सेवा (सर्विस) उपस्कार ।

यांत्रिकी इंजीनियरी

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न पत्र-1

1. ऊष्मागतिकी, चक्र और आई. सी. इंजन, मूल संकल्पना, संवृत्त और विवृत्त तंत्र (ऊष्मा और कार्य) शून्य कोटि, प्रथम तथा द्वितीय नियम, अप्रवाही तथा प्रवाही प्रक्रमों में अनुप्रयोग । एन्ट्रापी, उपलब्धता, अनुत्क्रमणीयता और ऊष्मागतिक सम्बन्ध । क्लैपिरान और वास्तविक गैस समीकरण । आदर्श गैसों और वाष्पों के गुणधर्म । मानक वाष्प, गैस शक्ति तथा प्रशीतन चक्र । द्विपद संपीडित्र ।

सी.आई. और एस.आई. इंजन । पूर्व ज्वलन, अधिस्फोटन तथा डीजल अपस्फोटन, ईंधन अंतःक्षेपण और कार्बूरेशन, अधिभरण । टर्बो-प्रोप और राकेट इंजन, इंजन शीतलन, उत्सर्जन तथा नियंत्रण, फ्लू गैस विश्लेषण कैलोरी मानों का मापन । पारम्परिक तथा नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय विद्युत शक्ति उत्पादन के अवयव ।

2. ऊष्मा अन्तरण तथा प्रशीतन और वातानुकूलन ऊष्मा अन्तरण की पद्धतियां । एकविमी अपरिवर्ती तथा परिवर्ती चालन, संयोजित पटिया (स्लैब) तथा तुल्य प्रतिरोध । विस्तारित पृष्ठों से ताप विसरण, ऊष्मा, विनिमयित्र, समांग ऊष्मा अन्तरण गुणांक, स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाहों में तथा मुक्त और प्रणोदित संवहन हेतु ऊष्मा अन्तरण के लिए आनुभविक सहसम्बन्ध, चपटी प्लेट के ऊपर तापीय सीमांत परत । विसरणी तथा संवहनी द्रव्यमान अन्तरण के मूल तत्व । कृष्णिका (ब्लैक बाडी) तथा विकिरण की मूल संकल्पनाएं । संघेष्ठन सिद्धांत, आकृति,

गुणक, नेटवर्क विश्लेषण । ऊष्मा पम्प और प्रशीतन चक्र तंत्र, प्रशीतक । संघनित्र, वाष्पित्र तथा युक्तियां, आर्द्रतामिति । चार्ट तथा वातानुकूल में अनुप्रयोग, संवेदी, उठमन तथा शीतलन, प्रभावी तापमान, सुखद सूचकांक, भार परिकलन और प्रशीतन नियंत्रण वाहिनी अभिकल्पन ।

3. तरल यांत्रिकी

तरलों के गुणधर्म और उनका वर्गीकरण दाबांतरमापनमिति, निमज्जित पृष्ठों पर बल, दाब का केन्द्र, उत्प्लावकता, प्लावित पिण्डों के स्थायित्व के घटक । शुद्धगतिकी और गतिकी । आघूर्णी तथा असंपीड्य अप्रयान, प्रवाह, वेग विभव, निमज्जित पिण्डों पर दाब क्षेत्र तथा बल । बरनूली समीकरण, पाइपों में से पूर्ण विकसित प्रवाह, दाब पात गणनाएं । प्रवाह दर तथा दाब पात मापन । सीमांत परत सिद्धांत के अवयव, समाकल उपागम, स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, पृथक्करण । विवर तथा खाचों से प्रवाह, विवृत वाहिका प्रवाह, जलोच्छाल । विमारहित संख्याएं, विमीय विश्लेषण, समरूपता तथा निदर्शन एक विमीय समएन्ट्रापी प्रवाह, अभिलंब प्रघात तरंग, अभिसारी अपसारी वाहिनियों से प्रवाह, तिर्यक प्रघात तरंग, रेले (Ray Light) तथा फैनो (Fanno) रेखाएं ।

4. तरल मशीनरी तथा भाप जनित्र

निष्पादन, द्रवचालित पम्प का प्रचालन तथा नियंत्रण और आवेग एवं प्रतिक्रिया टरबाइन, विशिष्ट चाल, वर्गीकरण । ऊर्जा अंतरण, युग्मन, शक्ति संचरण । भाप जनित्र, अग्निनलिका तथा जल-नलिका बायलर । तुंडों तथा विसारकों में से भाप प्रवाह, आर्द्रता एवं संघनन । भाप तथा गैस टरबाइनों के विभिन्न प्रकार, वेग आरेख । आंशिक प्रवेश । प्रत्यागामी, अपकेन्द्री तथा अक्षीय प्रवाह संपीडक, बहुपद संपीडन, मैक संख्या की भूमिका, पुनः-ताप, पुनर्जनन, अधिनियंत्रण ।

प्रश्न पत्र 2

5. मशीनों का सिद्धांत

समतलीय यांत्रिकत्व का शुद्धगतिकी, और गतिकी विश्लेषण कम, गियर तथा गियर मालाएं । गतिपालक चक्र, अधिनियंत्रक (गवर्नर्स) । दृढ़ घूर्णकों का संतुलन तथा क्षेत्र संतुलन । एकल तथा बहुसिलिंडर इंजनों का संतुलन । यांत्रिकी तंत्रों का रैखीय कम्पन विश्लेषण, शैफ्टों की क्रांतिक गति और क्रांतिक घूर्णी गति, स्वतः नियंत्रण ।

6. मशीन अभिकल्पन

जोड़ों का अभिकल्पन : काटर, कुंजियां, स्प्लाइनें, वेल्डिंग जोड़, चूड़ीदार बंधक, व्यतिकरण अन्वायोजन द्वारा निर्मित संधि घर्षण चालन का अभिकल्पन : युग्मक तथा ग्राम (क्लच), पट्टा-चालन तथा श्रृंखला चालन, पावर स्क्रू । शक्ति संचरण तंत्र का अभिकल्पन : गियर तथा गियर-चालन, शैफ्ट तथा धुरी, तार-रज्जु ।

बेयरिंग का अभिकल्पन : द्रवगतिक बेयरिंग तथा रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग ।

7. द्रव्यों की सामर्थ्य

दो विमाओं में प्रतिबल और विकृति, मुख्य प्रतिबल और विकृति, मोहर निर्माण, रैखीय प्रत्यास्थ पदार्थ, समदैशिकता और विषम-दैशिकता, प्रतिबल-विकृति सम्बन्ध, एक अक्षीय भारण, तापीय प्रतिबल । धरन : बंकन आघूर्ण और अपरूपण बल आरेख, बंकन प्रतिबल और धरन विक्षेप अपरूपण प्रतिबल वितरण । शैफ्टों का ऐंठन, कुंडलिनी स्प्रिंग, संयुक्त प्रतिबल, मोटी व पतली दीवारों वाले दाब पात्र, संपीडांग और स्तंभ, विकृति ऊर्जा संकल्पना, सिद्धांत ।

8. इंजीनियरी पदार्थ :

ठोस पदार्थों की संरचना की मूल संकल्पनाएं, क्रिस्टलीय पदार्थ में दोष, मिश्रधातु और द्विअंगी कला आरेख, सामान्य इंजीनियरी पदार्थों की संरचना और गुणधर्म, इस्पात का ऊष्मा उपचार, प्लास्टिक, सेरेमिक और संयोजित पदार्थ, विभिन्न पदार्थों के सामान्य अनुप्रयोग ।

9. उत्पादन इंजीनियरी :

धातु प्ररूपण : फोर्जन, कर्षण और बहिर्वर्धन के मूल सिद्धांत; उच्च ऊर्जा दर प्ररूपण; चूर्ण धातुविज्ञान ।

धातु ढलाई : ठप्पा ढलाई, निवेश ढलाई, कवच ढलाई, उपकेन्द्री ढलाई, गेटिंग एवं आरोही अभिकल्प; गलन भट्टियां ।

संविरचन प्रक्रम : गैस, आर्क, परिरक्षित आर्क, वेल्डन के सिद्धांत; अग्रिम वेल्डन प्रक्रम, वेल्डनीयता; वेल्डन के धातुकर्म ।

धातु कर्तन : खरादन, पेंच उत्पादन की विधियां, करमाई, बेधन, मिलिंग, गियर विनिर्माण, सपाट सतहों का उत्पादन, पेषण और परिष्कृति प्रक्रम । कम्प्यूटर नियंत्रित विनिर्माण पद्धति-सी एन सी, डी एन सी, एफ एम सी, स्वचालन और रोबोटिक्स । कर्तन औजार पदार्थ, औजार ज्यामिति, औजार निघर्षण क्रियाविधि, औजार आयु और मशीनन सुकरता; कर्तन बलों का मापन । मशीनन का आर्थिक विवेचन । अपरंपरागत मशीनन प्रक्रम, जिग्स और अन्वायुक्तियां अन्वायोजन और सहिष्णुता, पृष्ठ गठन का मापन, तुलनित्र, मशीनी औजारों का संरेखण परीक्षण और पुनर्नवीयन ।

10. औद्योगिक इंजीनियरी :

उत्पादन योजना और नियंत्रण : पूर्वानुमान—गतिमान, माध्य, चरघातांकी मसृणीकरण, संक्रिया अनुसूचना; समन्वायोजन रेखा संतुलन, उत्पाद विकास, संतुलन स्तर विश्लेषण, धारिता योजना, पर्ट और सी पी एम ।

नियंत्रण संक्रिया : माल सूची नियंत्रण-ए बी सी विश्लेषण, ई ओ क्यू निदर्श, पदार्थ आवश्यकता योजना, कृत्यक अभिकल्पना, कृत्यक मानक, कार्य मापन, गुणवत्ता प्रबंध-गुणवत्ता विश्लेषण और नियंत्रण ।

संक्रिया अनुसंधान : रैखीय प्रोग्रामन-ग्राफीय और सिम्पलैक्स विधियां, परिवहन और समनुदेशन निदर्श, एक सर्वर पंक्ति निदर्श ।

मूल्य इंजीनियरी : लागत/मूल्य के लिए मूल्य विश्लेषण ।

11. अभिकलन के घटक :

अभिकलित्र (कम्प्यूटर) संगठन, प्रवाह संचित्रण, सामान्य कम्प्यूटर भाषाओं—फोर्ट्रान, डी-बेस 3, लोटस 1-2-3, सी के अभिलक्षण और प्रारम्भिक क्रमादेशन (प्रोग्रामन) ।

विद्युत इंजीनियरी

(वस्तुपरक और परम्परागत दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र—1

1. विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत

विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र । गाउस नियम और एम्पियर नियम । परावैद्युत चालक तथा चुम्बकीय पदार्थों में विद्युत क्षेत्र । मैक्सवेल समीकरण । समय परिवर्ती क्षेत्र, परावैद्युत तथा चालक माध्यम में समतल तरंग । संचरण लाइनें ।

2. विद्युत पदार्थ :

बैंड सिद्धांत । चालक, सामि-चालक और विद्युत रोधक । अतिचालकता । विद्युत तथा इलैक्ट्रानिक अनुप्रयोग के लिए विद्युतरोधक । चुम्बकीय पदार्थ । लौह और लघु-लौह चुम्बकत्व मृत्तिका, गुणधर्म और अनुप्रयोग । हाल प्रभाव और इसके अनुप्रयोग । विशेष सामिचालक ।

3. विद्युत परिपथ

परिपथ अवयव । किरचोफ-नियम । जाल और निस्पंद विश्लेषण । जाल (नेटवर्क) सिद्धांत और अनुप्रयोग । प्राकृतिक अनुक्रिया और बलकृत अनुक्रिया । यादृच्छिक निवेशों के लिए क्षणिक अनुक्रिया और स्थायी-दशा अनुक्रिया । ध्रुवों और शून्यों से संबंधित जाल के गुणधर्म । स्थानांतरित फलन । अनुनाद परिपथ । त्रिकला परिपथ । द्वि-द्वार जाल । द्वि-अवयव जाल संश्लेषण के अवयव ।

4. मापन और मापयंत्रण

मात्रक और मानक । त्रुटि विश्लेषण । धारा, वोल्टता, विद्युत-शक्ति, विद्युत-शक्ति गुणक और ऊर्जामापन । सूचक माप यंत्र । प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता और आवृत्ति मापन । सेतु मापन । इलैक्ट्रानिक माप यंत्र । अंकीय वोल्टमीटर और आवृत्ति गणित्र । पारांतरित्र और ताप, दाब, प्रवाह-दर विस्थापन, त्वरण, रव-स्तर आदि जैसी गैर-विद्युत राशियों के माप में उनका अनुप्रयोग । आंकड़े प्राप्त करने की पद्धति । अनुरूप-अंकीय और अंकीय-अनुरूप रूपांतरित्र ।

5. नियंत्रण तंत्र

भौतिक तंत्रों का गणितीय निदर्शन । खंड आरेख और संकेत प्रवाह आलेख और उनका समानयन । रैखीय गतिक तंत्र का समय ... आवृत्ति प्रक्षेत्र विश्लेषण । पुनः निवेश तंत्रों के लिए विभिन्न किस्म के निवेश और स्थायित्व निकर्ष के लिए त्रुटियां । राउथ-हरविट्ज आव्यूह, नाइक्विस्ट आलेख और बोडे आलेख का प्रयोग करते हुए स्थायित्व विश्लेषण । मूल बिन्दुपथ और निकोल चार्ट तथा लब्ध और कला उपांत का आकलन । प्रतिकारक अभिकल्प की मूल संकल्पना । अवस्था परिवर्ती आव्यूह तथा तंत्र निदर्शन और अभिकल्प में उसका प्रयोग । प्रतिचयित दत्त तंत्र और त्रुटि सरणी में प्रतिदर्श के साथ ऐसे तंत्र का निष्पादन । प्रतिचयित दत्त तंत्र का स्थायित्व । अरैखीय नियंत्रण विश्लेषण के अवयव । नियंत्रण तंत्र घटक, विद्युत यांत्रिक, द्रवचालित, वायुचालित घटक ।

प्रश्न-पत्र 2

1. विद्युत यंत्र तथा विद्युत परिणामित्र (पावर ट्रांसफार्मर्स)

चुम्बकीय परिपथ—विद्युत परिणामित्रों का विश्लेषण तथा अभिकल्पन । निर्माण तथा परीक्षण । तुल्य परिपथ । हानियां तथा दक्षता । नियंत्रण । स्वपरिणामित्र । त्रिकला परिणामित्र समांतर घूर्णी यंत्रों की मूल संकल्पनाएं । विद्युत वाहक बल (ई. एम. एफ) बल-आघूर्ण, यंत्रों की कल । किस्में । निर्माण तथा प्रचालन, क्षरण, हानियां तथा दक्षता ।

दि. धा. यंत्र । निर्माण । उत्तेजन की विधियां । परिपथ पवित्रण । आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा दिक्परिवर्तन । अभिलक्षण तथा निष्पादन विश्लेषण । जनित्र तथा मोटरें । प्रवर्तन तथा चाल नियंत्रण । परीक्षण, हानियां तथा दक्षता । तुल्यकालिक यंत्र । निर्माण । परिपथ निदर्श । प्रचालन अभिलक्षण तथा निष्पादन विश्लेषण । तुल्यकालिक प्रतिघात । दक्षता । वोल्टता नियंत्रण । सम्मुखता भ्रंश यंत्र । समांतर प्रचालन । चाल दोलन । लघु परिपथ क्षणिकाएं । प्रेरण यंत्र । निर्माण । प्रचालन के सिद्धांत घूर्णी क्षेत्र । अभिलक्षण तथा निष्पादन विश्लेषण । परिपथ निदर्श का निर्धारण । वृत्त आरेख । प्रवर्तन तथा चाल नियंत्रण । भिन्नात्मक कि. वा. मोटरें । एकल प्रावस्था तुल्यकालिक तथा प्रेरण मोटरें ।

2. विद्युत तंत्र

विद्युत केन्द्रों की किस्में । जल, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत केन्द्र । पंपित संचयन संयंत्र । आर्थिक और प्रचालन उपादान ।

विद्युत संचरण लाइनें । निदर्शन तथा निष्पादन अभिलक्षण । वोल्टता नियंत्रण । भार प्रवाह अध्ययन । इष्टतम विद्युत तंत्र प्रचालन । भार आवृत्ति नियंत्रक । सममित लघु परिपथ विश्लेषण । जेड-बस सूत्रीकरण । सममित घटक । प्रति इकाई निरूपण । दोष विश्लेषण । विद्युत तंत्रों का क्षणिक तथा स्थायी दशा स्थायित्व ।

विद्युत तंत्र क्षणिकाएं । विद्युत तंत्र सुरक्षा परिपथ वियोजक । रिले । उच्च वोल्टता दिष्ट धारा (एच वी डी सी) संचरण ।

3. अनुरूप और अंकीय इलैक्ट्रानिकी तथा परिपथ

सामि चालक युक्ति भौतिकी । पी एन संधि तथा ट्रांजिस्टर । परिपथ निदर्श तथा प्राचल । एफ ई टी, जीनर, टनल, शाटकी, फोटो डायोड तथा उनके अनुप्रयोग । दिष्टकारी परिपथ, वोल्टता नियंत्रक तथा वोल्टता परिवर्धक । डायोड तथा ट्रांजिस्टरों का स्विचन, आचरण । लघु संकेत प्रवर्धक । अभिनीत परिपथ । आवृत्ति अनुक्रिया तथा उसमें सुधार । बहुपद प्रवर्धक तथा पुनः निवेशन प्रवर्धक । संक्रियात्मक प्रवर्धक दि. धा. प्रवर्धक दोलित्र बहुत संकेत प्रवर्धक । युग्मन विधियां । दाब-कर्षण प्रवर्धक । संक्रियात्मक प्रवर्धक, तरंग रूपण परिपथ बहुकंपित्र तथा फ्लिप-फ्लाप और उनके अनुप्रयोग । अंकीय तर्कद्वार कल । सार्वत्रिक द्वार-अंकगणितीय तथा तर्क संक्रिया के लिए संयुक्त परिपथ । अनुक्रमिक तर्क परिपथ । गणित्र, पंजियां (रजिस्टर्स) यादृच्छिक अभिगम स्मृति (आर. ए. एम.) तथा केवल पठन, स्मृति (आर. ओ. एम.) ।

4. सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर)

सूक्ष्म संसाधित्र वास्तुकला—अनुदेश समुच्चय तथा एकल कोडांतरण भाषा क्रमादेशन । स्मृति के लिए अन्तराष्ठीकरण तथा आवेशसूचक संक्रिया । विद्युत तंत्र में सूक्ष्म संसाधित्र के अनुप्रयोग ।

5. संचार तंत्र :

माडुलन के प्रकार, ए. एम., एफ. एम. तथा पी. एम. । विमाडुलक । रव तथा बैंड चौड़ाई का विवेचन । अंकीय संचार तंत्र । स्पंद कोड माडुलन तथा विमाडुलन । ध्वनि तथा दृश्य प्रसारण के घटक । आवृत्ति विभाजन और काल विभाजन बहुसंकेतन । विद्युत इंजीनियरी में दूरमिति प्रणाली ।

6. विद्युत-शक्ति (पावर) इलैक्ट्रानिकी :

विद्युत-शक्ति सामिचालक युक्तियां । थाइरिस्टर । विद्युत-शक्ति ट्रांजिस्टर, जी. टी. ओ. तथा एम. ओ. एस. एफ. ई. टी. । अभिलक्षण तथा प्रचालन । प्रत्यावर्ती धारा (ए. सी.) से दिष्ट धारा (डी. सी.) परिवर्तक, एक कला और त्रिकला दिष्ट धारा (डी. सी.) से दिष्ट धारा (डी. सी.) परिवर्तक । प्रत्यावर्ती धारा प (ए. सी.) नियंत्रक । थाइरिस्टर नियंत्रित प्रतिधातक । स्विच संचारित चाल ।

प्रतीपक, एकल कला तथा त्रिकला । स्पंद चौड़ाई माडुलन । समान परिवर्तन सहित ज्यावक्रीय माडुलन । स्विच विधा विद्युत प्रदाय ।

इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरी

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दोनों प्रकार के प्रश्न-पत्रों के लिए)

प्रश्न-पत्र 1

1. पदार्थ एवं घटक

विद्युत इंजीनियरी पदार्थों की संरचना एवं गुणधर्म, चालक सामिचालक और विद्युतरोधक, चुम्बकीय, लौह, विद्युत, दाब विद्युत, मृत्तिका, प्रकाशिक और अतिचालक पदार्थ । निष्क्रिय घटक और अभिलक्षण । प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक फेराइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल, मृत्तिका अनुनादक, विद्युत चुम्बकीय और विद्युत यांत्रिक घटक ।

2. भौतिक इलैक्ट्रानिकी, इलैक्ट्रान युक्तियां और एकीकृत परिपथ (आई. सी.)

सामिचालकों में इलैक्ट्रान और होल, वाहक सांख्यिकी, सामिचालक में धारा प्रवाह की क्रियाविधि, हाल प्रभाव, संधि (जंक्शन) सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के डायोड एवं उनके अभिलक्षण द्विध्रुवी (बायपोलर) संधि ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, एस. सी. आर., जी. टी. ओ. और पावर मॉसफेट जैसी पावर स्विचन युक्तियां, द्विध्रुवी, मॉस और सीमॉस किस्म के एकीकृत परिपथों का आधारभूत ज्ञान; प्रकाश-इलैक्ट्रानिकी का आधारभूत ज्ञान ।

3. संकेत एवं तंत्र

संकेतों एवं तंत्रों का वर्गीकरण, अवकल एवं अन्तर समीकरणों के आधार पर तंत्र निदर्शन, अवस्था पर निरूपण, फोरिए श्रेणी, फोरिए रूपांतर और तंत्र विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग; लाप्लास रूपांतर और तंत्र विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग, संवलन एवं अध्यारोपण समाकल और उनका अनुप्रयोग, Z—रूपांतर और विविक्त काल प्रणाली के विश्लेषण और अभिलक्षण में उनका अनुप्रयोग, यादृच्छिक संकेत तथा प्रायिकता, सहसंबंध फलन, स्पेक्ट्रमी घनत्व यादृच्छिक निवेशों के प्रति रैखिक तंत्र की अनुक्रिया ।

4. जाल (नेटवर्क) सिद्धांत

जाल विश्लेषण तकनीक, विभिन जाल सिद्धांत, क्षणिक अनुक्रिया, स्थायी अवस्था ज्यावक्रीय अनुक्रिया, विभिन्न जाल आलेख और जाल विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग । टेलीजेन-सिद्धान्त । द्विद्वार जाल (Two Parts Net Work). Zyh और संचरण प्राचल द्विद्वि द्वारों का संयोजन सामान्य द्विव द्वारा का विश्लेषण । विभिन्न जाल फलन : व जाल फलनों के भाग किए गए भाग से जाल फलन प्राप्त करना । संचरण निष्कर्ष : विलंब और उन्नयन काल, एलमोर की ओर अन्य परिभाषाएं, सोपानी प्रभाव । जाल संश्लेषण के अवयव ।

5 विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्त :

स्थिर विद्युत तथा चुम्बकीय स्थिर क्षेत्रों का विश्लेषण : लाप्लास प्वासों की समीकरणें, सीमित मूल्य समस्याएं और उनका समाधान । मैक्सवेल-समीकरण : परिबद्ध तथा अपरिबद्ध माध्यम

में तरंग संचरण के लिए अनुप्रयोग, संचरण लाइनें । मूल सिद्धांत, अग्रगामी तरंगें, प्रतिरूपी अनुप्रयोग, सूक्ष्मपट्टी लाइनें । तरंग पथकों और अनुवादकों का मूलभूत ज्ञान, एन्टेना सिद्धान्त के अवयव ।

6. इलैक्ट्रानिक मापन और मापयंत्रण

मूल संकल्पना, मानक और त्रुटि विश्लेषण, मूल वैद्युत राशियों और प्राचलों का मापन; इलैक्ट्रानिक माप यंत्र तथा उनकी कार्य प्रणाली के सिद्धान्त : अनुरूप और अंकीय तुलना अभिलक्षण और अनु प्रयोग । ट्रांसड्यूसर्स : ताप, दाब, आद्रता आदि जैसी गैर-विद्युत राशियों का इलैक्ट्रानिक मापन; औद्योगिक उपयोग के लिए दूरमिति का मूलभूत ज्ञान ।

प्रश्न-पत्र 2

1. अनुरूप इलैक्ट्रानिकी परिपथ

ट्रांसजिस्टर अभिनतिकरण और स्थायीकरण । लघु संकेत विश्लेषण । शक्ति प्रवर्धक । आवृत्ति अनुक्रिया । विस्तृत बैंड तकनीक । पुनर्भरण (फीडबैक) प्रवर्धक । समस्वरित प्रवर्धक । दोलित्र दिष्टकारी और विद्युत प्रदाय । ओ. पी. एम्प, पी. एल. एल. O. P. Amp PLL), अन्य रैखिक एकीकृत परिपथ और उनके अनुप्रयोग । स्पंद आकृति संसाधक परिपथ और तरंगरूप जनित्र ।

2. अंकीय इलैक्ट्रानिक परिपथ

स्विचन अवयव के रूप में ट्रांजिस्टर, बूलीय बीज गणित, बूलीय फलनों का सरलीकरण । कारनाफ प्रतिचित्र और अनुप्रयोग; विभिन्न एकीकृत परिपथ (आई सी) तर्क द्वारा और उनके अभिलक्षण; एकीकृत परिपथ तर्क परिवार : डी टी एल, टी टी एल, ई सी एल, एन मॉस (N MOS) पी मॉस (P MOS) और सी मॉस (CMOS) द्वार और उनकी तुलना; संयुक्त तर्क परिपथ; अर्धयोजक, पूर्ण योजक; अंकीय तुलनित्र, बहुसंकेतक (मल्टी प्लेक्सर), विबहुसंकेतक (डिमल्टी प्लेक्सर), केवल पठन स्मृति (आर ओ एम) और उनका अनुप्रयोग । विभिन्न फिलप फ्लाप RS, JRD और T-फिलप फ्लाप । विभिन्न प्रकार के गणित्र और पंजियां । तरंगरूप जनित्र । अनुरूप-अंकीय और अंक-अनुरूप परिवर्तक । सामिभालक स्मृतियां ।

3. नियंत्रण तंत्र :

नियंत्रक तंत्रों की क्षणिक और स्थायी अवस्था अनुक्रिया; स्थायित्व और संवेदनशीलता पर पुनर्भरण का प्रभाव, मूल बिन्दु-पथ तकनीक, आवृत्ति अनुक्रिया विश्लेषण विधि और प्रावस्था उपांत की संकल्पनाएं, अचर-एम और अचर-एन निकोल-चार्ट, अचर अचर-एन निकोल चार्ट के क्षणिक अनुक्रिया का सन्निकटन; संवृत पाश आवृत्ति अनुक्रिया से क्षणिक अनुक्रिया का सन्निकटन। नियंत्रण तंत्रों का अभिकल्पन, प्रतिकारित्र औद्योगिक नियंत्रक ।

4. संचार तंत्र :

आधारभूत सूचना सिद्धान्त अनुरूप और अंकीय तंत्रों में माडुलन और संसूचन प्रतिचयन और पुनर्निमाण । क्वांटमीकरण और कूटलेखन, काल विभाजन और आवृत्ति विभाजन बहुसंकेतक, समकरण, मुक्तआकाश और तंतु प्रकाशिकीय में प्रकाशिक संचार, उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति, परा उच्च आवृत्ति और सूक्ष्मतरंग आवृत्ति पर संकेतों का संचरण; उप ग्रह संचार ।

5. सूक्ष्मतरंग इंजीनियरी :

सूक्ष्मतरंग नलिकाएं और ठोस अवस्था युक्तियां, सूक्ष्मतरंग जनन और प्रवर्धक, तरंग पथक और अन्य सूक्ष्मतरंग घटक और परिपथ, सूक्ष्मपट्टी परिपथ, सूक्ष्मतरंग एन्टेना, सूक्ष्मतरंग मापन, मेजर (MAS RS) लेजर सूक्ष्मतरंग संचरण । पार्थिव और उपग्रह आधारित सूक्ष्मतरंग संचार तंत्र ।

6. कम्प्यूटर इंजीनियरी :

संख्या पद्धति, आंकड़ा—निरूपण, क्रमादेशन, उच्च स्तर क्रमादेश भाषा पास्कल/सी (PASCAL/C) के अवयव आधारभूत आंकड़ा संरचनाओं का प्रयोग । कम्प्यूटर वास्तुकला के मूल अवयव । संसाधित अभिकल्पन : नियंत्रण एकक अभिकल्पन, स्मृति संगठन, निवेश/निर्गम तंत्र संगठन, सूक्ष्मसंसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर), सूक्ष्मसंसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) 8085 और 8086 की वास्तुकला और अनुदेश समुच्चय, कोडांतरण भाषा क्रमादेशन; सूक्ष्मसंसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) आधारित तंत्र अभिकल्प : प्रतिरूपी उदाहरण । वैयक्तिक कम्प्यूटर और उनके प्रतिरूपी प्रयोग ।

परिशिष्ट-2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम ।

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एग्जामिनर्स) का मार्ग-निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसे स्वास्थ्य परीक्षकों के द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वस्थ परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इसमें सरकार को कोई हानि नहीं होगी ।

2. किन्तु यह बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

1. नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो

और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. प्रत्येक उम्मीदवार की उनके व्यक्तित्व परीक्षण के दूसरे दिन या इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुए कि उन्होंने पहले ऐसी डाक्टरी जांच करवाई थी और पहली जांच के आधार पर उन्हें स्वस्थ अथवा अस्वस्थ पाया गया था, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा यथानिर्णीत तारीख और स्थान की सेंट्रल हॉस्पिटल, बसंत लेन, नई दिल्ली पर डाक्टरी जांच करवाई जाएगी । यदि कोई उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए तो उपस्थित होता है किन्तु किसी भी कारणवश डाक्टरी जांच के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है तो :

(क) उसे डाक्टरी जांच से अनुपस्थित रहने के लिए रेलवे बोर्ड (डी डी ई) (जी आर) से पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

(ख) यदि किसी आवश्यक कारण से अनुमति नहीं ली जाती है तो उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तित्व परीक्षण के 15 दिन के अंदर-अंदर रेल मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारी को अनुपस्थित रहने के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण तथा पूर्व अनुमति न लेने का कारण बताए । उन्हें कोई यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

किसी भी परिस्थिति में व्यक्तित्व परीक्षण होने के 15 दिन बाद प्राप्त हुए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यह उम्मीदवार के हित में ही होगी कि वह संपूर्ण विवरण/प्रलेखों सहित तैयार होकर आए । उपर्युक्त जैसा कोई भी अपूर्ण निवेदन कोई अभिवेदन नहीं माना जाएगा तथा उम्मीदवार को इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर कोई भी सेवा/पद आबंटित नहीं किया जाएगा । इस संबंध में रेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवार इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे । यह भी नोट कर लिया जाएगा कि यदि कोई उम्मीदवार चिकित्सा जांच पूरी होने से पहले ही अस्पताल से चला जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह उपस्थित ही नहीं हुआ है तथा इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1999 के आधार पर उसे कोई भी सेवा/पद आवंटित नहीं किया जाएगा ।

3. (क) भारतीय (एंग्लो इण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवार की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों के परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाए । यदि वजन, कद और छाती के घेरों में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कोई उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

(ख) किन्तु कुछ सेवाओं के लिए कद और छाती के घेरे के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित हैं, जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता :—

सेवा का नाम	कद	छाती का घेरा (पूरा फुला कर)	फैलाव
1	2	3	4
रेल इंजीनियर सेवा (सिविल वैद्युत यांत्रिक और सिगनल) और के०लो०नि०वि० में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' तथा केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'			
(क) पुरुष उम्मीदवारों के लिए	152 सें०मी०	84 सें०मी०	5 सें०मी०
(ख) महिला उम्मीदवारों के लिए	152 सें०मी०	79 सें०मी०	5 सें०मी०

अनुसूचित जनजातियों और उन जातियों जैसे गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैण्ड के आदिवासियों आदि जिनका औसत कद स्पष्टतः ही कम होता है, के मामले में भी निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जा सकती है ।

(ग) सेना इंजीनियरी सेवाओं और भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप 'क' के लिए छाती की नाप में कम से कम 5 सें.मी. के फैलाव की गुंजाइश रखनी होगी ।

4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के पावों के अंगूठों या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वरटैक्स आफदी हैडलेवल) हौरिजन्टल स्तर (आड़ी छड़) के नीचे आए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा ।

5. उम्मीदवार के छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :— उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों, फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि उसका ऊपरी किनारा असफलक (शौल्डर ब्लैड) के निम्न-कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) के पीछे लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हॉरिजंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 83—89, 86—93.5 आदि माप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान दें :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापी जानी चाहिए।

6. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा। आधा किलोग्राम से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

7. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(1) सामान्य—किसी रोग या असामान्यता का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कोंटिगुअस स्ट्रक्चर्स) का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता हो तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि-तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूटी)—दृष्टि की तीक्ष्णता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इसमें आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर की मानक निम्नलिखित होगा :—

सेवाएं	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख सही दृष्टि	खराब आंख	अच्छी आंख सही दृष्टि	खराब आंख
1	2	3	4	5
क. तकनीकी				
1. रेल इंजीनियरी सेवाएं (सिविल विद्युत् यांत्रिकी और सिगनल)	6/6	6/12	जे/I	जे/II
	अथवा			
	6/9	6/9		
2. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय जल इंजीनियरी	6/6	6/12	जे/I	जे/II
अथवा				
सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा सड़क ग्रुप 'क' तथा दूर संचार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल तथा वैद्युत) डाक एवं तारभवन निर्माण (ग्रुप 'क') सेवा, आई० डब्ल्यू० पी० एण्ड सी० स्कन्ध अनुश्रवण संगठन संचार मंत्रालय में इंजीनियरी का पद भारतीय प्रसार (इंजीनियर) सेवा, भारतीय आयुद्ध शाला सेवा ग्रुप 'क' सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'	6/9	6/9		
3. सेना इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' सहायक कार्यपालक	6/6	6/18	जे/I	जे/II

1	2	3	4	5
अथवा				
सहायक प्रबन्धक (कारखाना) ग्रुप 'क' डाक तार दूरसंचार कारखाना संगठन	6/9	6/9		
ख. गैर तकनीकी				
4. भारतीय रेल भंडार सेवा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग में बर्मा इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' और यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' तथा भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क'	6/9	6/12	जे/1	जे/

टिप्पणी (1)

(क) उपर्युक्त 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के सम्बन्ध में मायोपिया (सिलैण्डर सहित) का कुल परिणाम 4.4 डी. से अधिक नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिया (सिलैण्डर सहित) का कुल परिणाम 4.00 डी. से अधिक नहीं होगा। किन्तु शर्त यह है कि "तकनीकी" रेल मंत्रालय (रेल विभाग के अधीन सेवाओं के अलावा) के रूप में वर्गीकृत सेवाओं का उम्मीदवार यदि हाई मायोपिया के कारण अयोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन नेत्र विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेज दिया जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि यह मायोपिया रोगात्मक है या कि नहीं। यदि यह रोगात्मक नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते कि वह अन्यथा दृष्टि संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर दे।

(ख) मायोपिया फण्डस की प्रत्येक मामले में जांच करनी चाहिए और उसके नतीजे का रिकार्ड किया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार को रोगात्मक अवस्था हो जिसके बढ़ने और उससे उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की संभावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

टिप्पणी (2)

भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप 'क' के अलावा उपर्युक्त 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के सम्बन्ध में वर्णदर्शन की जांच अनिवार्य होगी।

जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है वर्ण—अवगम उच्चतर तथा निम्नतर ग्रेडों में होना चाहिए जो लैन्टर्न में द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो :—

ग्रेड	वर्ण अवगम का उच्चतर ग्रेड	वर्ण अवगम का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16'	16'
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकेण्ड	5 सैकेण्ड

रेल इंजीनियरिंग सेवा (सिविल, वैद्युत, सिग्नल और यांत्रिक) और रेल सुरक्षा संबंधित अन्य सेवाओं के लिए ऊंचे ग्रेड के वर्ण दर्शन की जरूरत है किन्तु अन्यथा नीचे ग्रेड के वर्ण दर्शन को पर्याप्त माना जाना चाहिए :—

सेवाओं/पदों के वर्ग जिनके लिए उच्च या निम्न ग्रेड का वर्णदर्शन अपेक्षित है, नीचे दिए जा रहे हैं :—

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए उच्चतर ग्रेड का वर्ण-दर्शन अपेक्षित है :—

(1) रेल इंजीनियरी सेवा।

(2) सैन्य इंजीनियरी सेवा (आई. डी. एस. ई. तथा सर्वेक्षण संवर्ग)।

(3) भारतीय सर्वेक्षण ग्रुप 'क' सेवा।

(4) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क)।

(5) केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा।

(6) सहायक प्रबन्धक (कारखाना) ग्रुप 'क' (डाक तार) दूर संचार कारखाना संगठन।

(7) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'।

(8) भारतीय निरीक्षण सेवा।

तकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए निम्नतर ग्रुप का वर्ण-दर्शन अपेक्षित है :—

(1) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा।

(2) केन्द्रीय वैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियरी सेवा।

(3) भारतीय आयुध कारखाना सेवा।

(4) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा।

(5) सहायक कार्यकारी इन्जीनियर (सिविल तथा वैद्युत) डाक व तार भवन निर्माण (ग्रुप 'क') सेवा।

(6) भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा का कनिष्ठ वेतनमान।

(ग) इंजीनियर ग्रुप 'क' केन्द्रीय आयुध और समन्वय स्वास्थ्य/अनुरक्षण संगठन।

लाल, हरे और सफेद रंग के संकेतों को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचानना लेना संतोषजनक वर्ण दर्शन है।

वर्ण दर्शन की परीक्षा के लिए इशिहारा की प्लेटों तथा एडरिज की लैंटर्न—दोनों का प्रयोग किया जाएगा।

टिप्पणी (4)—रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस—केवल विशेष के लिए सम्मुखन विधि द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पेरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी (4)—रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी के रूप में जरूरी नहीं है। रतौंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैन्डर्ड निश्चित नहीं है। मैडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अन्दर कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विभिन्न चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी (5)—केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा हेतु उम्मीदवारों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझे जाने पर वर्ण दर्शन और रतौंधी संबंधी परीक्षण पास करना होगा। भारतीय सर्वेक्षण सेवा ग्रुप 'क' के लिए उम्मीदवारों को 'त्रिविम मण्डल' परीक्षण पास करना होगा।

टिप्पणी (6)—दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख को दर्शाए (आक्युलर कण्डीशन)।

(क) आंख की अंग सम्बन्धी बीमारी को बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रैक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का नहीं कारण समझना चाहिए।

(ख) भेंगापन—ऊपर 'क' पर उल्लिखित तकनीकी सेवाओं हेतु जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है, भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो। यदि दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित मानक के अनुसार हो तो अन्य सेवाओं हेतु भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा।

(ग) यदि कोई एक आंख वाला व्यक्ति है या उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य है तथा दूसरी आंख की दृष्टि कमजोर है तथा उसकी दृष्टि उपसामान्य है तो इसका सहज प्रभाव यह होता है कि गहनता अवबोध के लिए उनके पास त्रिविम दृष्टि की कमी है। कई सिविल पदों के लिए ऐसी दृष्टि जरूरी नहीं है। चिकित्सा बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को स्वस्थ होने की अनुशंसा कर सकता है, बशर्ते कि उसकी सामान्य आंख :—

(1) को चश्मा लगाकर या चश्मे के बिना दूर दृष्टि 6/6 और निकट दृष्टि जे/1 हो बशर्ते कि किसी मेरिडियन में दूर दृष्टि सम्बन्धी दोष 4 डायोप्टर से अधिक न हो।

(2) का दृष्टि-क्षेत्र पूर्ण हो।

(3) आवश्यकतानुसार सामान्य वर्ण दर्शन।

किन्तु बोर्ड संतुष्ट हो कि उम्मीदवार संदर्भगत कार्य विशेष सम्बन्धित सभी कार्रवाई कर सकता है।

"तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत पदों/सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए दृष्टि की तीक्ष्णता का शिथिल किया हुआ उपर्युक्त मानक लागू नहीं होगा।

टिप्पणी (7)—कान्टैक्ट लैंस—चिकित्सा परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को कान्टैक्ट लैंस प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

टिप्पणी (8)—यह आवश्यक है कि आंखों का परीक्षण करते समय दूर दृष्टि के लिए टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 15 फुट कैन्डल की प्रदीप्ति जैसी हो।

टिप्पणी (9)—सरकार किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में विशेष कारण से किसी भी शर्त में छूट दे सकती है।

8. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने विवेक से काम लेगा। सामान्य मेक्जीमम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन को काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110 + आधी आयु का सामान्य विनियम बिल्कुल संतोषजनक पड़ता है।

विशेष ध्यान : सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. से ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम. एम. से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई (आगंगिक) बीमारी है। ऐसे भी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियाग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने पर या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) नापने का तरीका

नियमित पारे वाले दाबमापी (मरकरी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमैंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म का व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो । बांह थोड़ी बहुत हारिजेन्टल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर हो तथा उस के कन्धे तक कपड़ा उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दरूनी ओर रख कर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को ना निकले ।

कोहनी के मोड़ पर बांह धमनी (ब्रकियल आर्टरी) को दबादबा कर ढूंढा जाता है तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम. एम. एच. जी. हवा भरी जाती है । और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की धीमी हुई सी लुप्त प्रायः हो जाए तो वह डायस्टालिक प्रैशर है । ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारक होता है और इससे रीडिंग गलत होती है यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए । कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है बाद गिरने पर ये गायब हो जाती हैं तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस "साइलेन्ट गैप" रीडिंग में गलती हो सकती है ।

9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइक्यूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मोही (नानडायबेटिक) नहीं है और बोर्ड इस केस को मेडिकल के किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेण्डर्ड ब्लड शूगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेज देगा । जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी होगा, औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसकी अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए ।

11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण किया जाना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ना है और उसके कान में बीमारी का कोई चिह्न नहीं है । यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का एलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । यह उपबंध भारतीय रेल भंडार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, सेना इंजीनियरी सेवा, भारतीय दूरसंचार सेवा ग्रुप 'क', केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी की सेवा ग्रुप 'क' और सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' पर लागू नहीं है । चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा ।	यदि हायर फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो गैर तकनीकी कार्यों के लिए योग्य ।
(2) दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो ।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए योग्य ।
(3) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मम्बरेन का छिद्र	(1) एक कान सामान्य, दूसरे कान में टिमपेनिक मैम्बरेन का छिद्र हो तो अस्थायी आकार पर अयोग्य 1 कान की शल्य चिकित्सा स्थिति सुधरने पर दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप में अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है ।

	(2) दोनों कानों में मार्जिनल या एंट्रिक बेधन होने पर अयोग्य ।
	(3) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(4) कान के एक ओर (दोनों ओर) से मस्टायड केविटी में सब नार्मल श्रवण	(1) किसी एक कान में सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड केविटी में सुनाई देता हो दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान से मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए योग्य ।
	(2) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य । किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 30 डेसिबल हो जाने पर गैर-तकनीकी कार्यों के लिए योग्य ।
(5) बहते रहने वाले कान आपरेशन किया गया बिना आपरेशन वाला ।	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(6) नासा पट्ट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा इससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एलर्जिक दशा ।	(1) प्रत्येक मामले के परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा ।
	(2) लक्षणों सहित नासा पट्ट विचल विद्यमान होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(7) टौंसिल और या कण्ठ की जीर्ण प्रदाहक दशाएं ।	(1) टौंसिल और या कण्ठ जीर्ण प्रदाहक दशा—योग्य ।
	(2) यदि आवाज मे अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(8) कान, नाक गले (ई०एन०टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर मैलिगनेंट ट्यूमर ।	(1) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
	(2) मैलिगनेंट ट्यूमर अयोग्य ।
(9) आटोसर्किलेरिमिस	(1) आटीसा किकरीसिसआपरेशन के बाद या श्रवण यंत्र की सहायता से अथवा 30 डेसीबल के अन्दर होने पर योग्य ।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष ।	(1) यदि काम-काज में बाधक न हों—योग्य ।
	(2) यदि भारी मात्रा में हकलाहट हो—अयोग्य ।
(11) नेसलपोली	अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(ख) वह बिना हकलाहट वाले लेता/तोती है ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है और छाती का फुलाव पर्याप्त है तथा उसका दिल व फेफड़े ठीक हैं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर नहीं है ।

(छ) उसे हार्सड्रोसिल, स्फीत शिरा या बवासीर तो नहीं है ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है और उसकी ग्रन्थियां भली-भांति स्वतन्त्ररूप से हिलती हैं ।

(झ) उसको कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी नहीं है ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं है ।

(ट) उसके किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान नहीं हैं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) उसके शरीर पर टीके के निशान हैं ।

(ड) कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग नहीं है ।

12. दिल और फेफड़ों की किसी अपसामान्यता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा में ज्ञात न हो सभी मामले में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षण की जानी चाहिए ।

"यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षात्कारों के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा आयोजित करते समय जिन अभ्यर्थियों ने किसी सरकारी अस्पताल अथवा ऐसे परीक्षणों के लिए अधिकृत

किसी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षा की तारीख से बारह महीने पहले ही एक्स-रे परीक्षण करा लिया है, उन्हें एक्स-रे परीक्षण से छूट दी जाएगी ।

यह इस शर्त पर भी निर्भर होगा कि पहले कराई गई स्वास्थ्य परीक्षा से इस प्रकार का प्रयोजन पूर्णतया सिद्ध हो रहा है और उस व्यक्ति की पहचान संदेह से परे है अर्थात् यह प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत एक्स-रे रिपोर्ट उसी व्यक्ति की, की गई एक्स-रे जांच की रिपोर्ट है ।

यह साबित करने का दायित्व स्वतः अभ्यर्थी पर है कि उसकी एक्स-रे जांच 12 महीने पूर्व की गई तथा वह ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इस जांच में स्वस्थ ठहराया गया ।

अभ्यर्थी के स्वास्थ्य के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा मंडल (संबंधित अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा का संचालन करने वाला) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।''

उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में संदेह की स्थिति में मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष सरकारी नौकरी करने के लिए उम्मीदवार के योग्य स्वास्थ्यता या अयोग्यता का निर्णय करने के लिए अस्पताल के किसी उपयुक्त विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं जैसे यदि संदेह हो कि उम्मीदवार किसी मानसिक रोग या विकार से पीड़ित है, तब बोर्ड के अध्यक्ष किसी अस्पताल के मनोविकार विज्ञानी/मनोविज्ञानी आदि की सलाह ले सकते हैं ।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय देनी चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा ड्यूटी के अपेक्षित दक्षतापूर्वक निष्पादन में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

13. उन उम्मीदवारों को जो मेडिकल बोर्ड के किसी निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो उन्हें भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा निर्धारित रीति से 50 रुपए का अपील शुल्क जमा करना होगा । यह शुल्क उन उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा जिन्हें अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया जाएगा । जबकि अन्य मामलों में यह शुल्क जब्त कर लिया जाएगा उम्मीदवार को अपनी अपील के साथ किसी रजिस्टर्ड डाक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जिसमें विशेष तौर पर यह उल्लेख करना चाहिए कि उम्मीदवार को चिकित्सा बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने की उसे जानकारी है प्रस्तुत करना होगा । जब उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड के सामने उपस्थित हो तो उसके पास इस प्रमाण-पत्र की प्रति अवश्य होनी चाहिए ।

उम्मीदवार को पहले मेडिकल बोर्ड के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत कर देनी चाहिए अन्यथा अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । चिकित्सा परीक्षा के लिए अपीलीय मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था उम्मीदवार के खर्च पर ही की जाएगी । अपीलीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा । रेल मंत्रालय (रेल विभाग) द्वारा अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही तभी की जाएगी जब निर्धारित शुल्क के साथ निश्चित समय के भीतर सभी अपीलें प्राप्त होंगी ।

14. अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा अवधि (यदि कोई हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्यता प्राप्त नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाएन्टिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं हो जाती कि उसे ऐसी कोई बीमारी, रचना संबंधी दोष या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो गया हो उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि स्वस्थता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर भी समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह नोट कर लिया जाए कि यह प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की सम्भावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थिति में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक माना गया है ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा ।

ऐसे मामलों में जब कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु मेडिकल बोर्ड में जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है ।

ऐसे मामले में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने में छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जबकि यह खराबी दूर हो जाए तो संबद्ध प्राधिकारी एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर, नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

पुनः चिकित्सा परीक्षा को प्रथम चिकित्सा का भाग माना जाएगा और उम्मीदवार यदि चाहे तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित विवरण देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन पर) हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है :—

1. अपना पूरा नाम लिखें ।
   (साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान लिखें ।

2. (क) क्या आप ऐसी जाति से गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिवासी आदि में से किसी से संबंधित हैं :—

   जिनका औसत कद स्पष्टतः दूसरों से कम होता है ? 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए ।

   यदि उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताइए ।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्डस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरान रिह्यूमेटिज्म, एपेंडिसाइट्स हुआ है ?

   (ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण शैया पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मैडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो ।

   . . . . . .

   . . . . . .

   . . . . . .

4. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

   . . . .

   . . . .

   . . . .

5. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु का और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण	यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

6. क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की ?

7. यदि ऊपर के प्रश्न के उत्तर 'हां' में हो तो बतलाइए किसी सेवा/किन सेवाओं में पद (पदों) के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

9. मेडिकल बोर्ड कब और कहां था ?

(क) . . . . . .

(ख) . . . . . .

(ग) . . . . . .

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ?

(क) . . . . . .

(ख) . . . . . .

(ग) . . . . . .

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . .

मेरे सामने हस्ताक्षर किए
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा ।

जान-बूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्ति हो जाए तो तात्कालिक नियुक्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउन्स) का आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा से सम्बद्ध मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट :

(उम्मीदवार का नाम)

1. सामान्य विकास : अच्छा साधारण कम
पोषण : पतला औसत मोटा
फद (जूते उतार कर) वजन
अत्युत्तम वजन कब था
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन
तापमान
छाती का घेर
(1) पूरा सांस खींचने पर
(2) पूरा सांस निकालने पर

2. त्वचा कोई प्रत्यक्ष बीमारी

3. नेत्र
(1) कोई बीमारी
(2) रतौंधी
(3) वर्ण दर्शन संबंधी दोष
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)
(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुएल एक्विटी)
(6) फण्डस की जांच

चश्में की प्रबलता

दृष्टि तीक्ष्णता	चश्में के बिना	चश्में के साथ	स्फे०	सिल०	एक्सिस
दूर की नजर		दा० ने० बा० ने०			
पास की नजर		दा० ने० बा० ने०			
हाईपरमेट्रोपिया (प्रकट)		दा० ने० बा० ने०			

4. कान निरीक्षण . . . . . सुनना
दायां कान . . . बायां कान . .

5. ग्रंथियां . . . थायराइड . . .

6. दांतों की हालत . . . . . .

7. श्वसन तंत्र (रेसपिरेटरी सिस्टम) :—क्या शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों में किसी असमान्यता का पता चलता है।

. . . .

. . . .

यदि हां तो उसका पूरा ब्यौरा दें।

. . . .

. . . .

6. परिसंचरण तंत्र (सर्क्यूलेटेरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक विक्षत (आर्गेनिक लीजन)
(वेग) (रेट)
खड़े होने पर
25 बार फुदकने के बाद
फुदकने के दो मिनट बाद

(ख) ब्लड प्रेशर सिस्टालिक
डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेर स्पर्शसह्यता
(टेण्डरनेस)
हार्निया

(क) स्पर्शयकृत
तिल्ली
गुर्दा
ट्यूमर्स

(ख) रक्तार्श
भगन्दर

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) : तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत।

11. चलन तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम) : कोई असामान्यता।

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरीनरी सिस्टम) : हाइड्रो-सील, वरिकासील आदि का कोई संकेत। मूत्र विश्लेषण।

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) विशिष्ट घनत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्ब्यूमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा से सम्बन्ध जिसका वह उम्मीदवार है, ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट : यदि उम्मीदवार कोई महिला है और वह 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उस विनियम 9 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. निम्नलिखित 7 श्रेणियों में से उम्मीदवार का किस सेवा के लिए परीक्षण किया गया है तथा अपने कर्त्तव्यों को बिना बाधा के भली-भांती निभाने के लिए उन्हें किस सेवा के लिए पूरी तरह से सक्षम पाया गया है तथा उनमें से किन सेवाओं के लिए सक्षम नहीं पाया गया है :—

(1) रेल इन्जीनियरी सेवा ग्रेड 'क' (सिविल, वैद्युत, यांत्रिक तथा सिगनल) सी. इ. एस. ग्रेड 'क', सी. ई. एवं एम. ई. एस. ग्रेड 'क'।

(2) आई. आई. एस. ग्रेड 'क', सी. डब्ल्यू. ई. एस. ग्रेड 'क', सी. पी. ई. एस. ग्रेड 'क' सी. ई. एस. सड़क ग्रेड 'क'।

सहायक कार्यकारी इन्जीनियर, (पी. एण्ड टी. बोर्ड) सिविल इंजीनियरी स्कन्ध इंजीनियरी के पद पर ग्रेड 'क' (डब्ल्यू. पी. तथा सी. स्कन्ध मानीटर संगठन), आई. बी. ई. एस. ग्रेड 'क' बी. आर. ई. एस. ग्रेड 'क'।

(3) सैन्य इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' एवं भारतीय सर्वेक्षण। ग्रेड 'क' तथा कार्यशाला अधिकारी ग्रेड 'क' तथा ग्रेड 'ख'।

(4) आई. ओ एफ. .एस. (ग्रेड क)।

(5) डाक एवं तार विभाग में सहायक प्रबंधक (कार-खाना), ग्रेड 'क'।

(6) आई. टी. एस. ग्रेड 'क'।

(7) आई. आर. एस. एस. ग्रेड 'क' आई. एस. एस. ग्रेड क भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग में वर्मा इन्जीनियरी (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' और यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'।

क्या उम्मीदवार क्षेत्रीय (फिल्ड) सेवा के लिए योग्य है ?

नोट :—बोर्ड को अपना निष्कर्ष निम्नलिखित वर्गों में से किसी में रिकार्ड करना चाहिए।

(1) योग्य (फिट)

(2) के कारण अयोग्य (अनफिट)

अध्यक्ष

सदस्य

स्थान :

तारीख :

परिशिष्ट—3

उन सेवाओं/पदों का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जा रही है।

1. भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा, भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी सेवा, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा और भारतीय रेल भंडार सेवा ।

(क) परिवीक्षा :—इन सेवाओं के लिए किए गए भर्ती उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसमें उन्हें दो वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा तथा किसी कार्यकारी पद पर न्यूनतम एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा । यदि उक्त प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण किसी स्थिति में प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाना पड़ा तो तदनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी परिवीक्षा की अवधि के दौरान भी यदि कार्यकारी पद का काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो सरकार द्वारा परिवीक्षा की कुल अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) प्रशिक्षण :—समस्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के सेवा/पद विशेष के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण लेना होगा । उन्हें इस अवधि के लिए उक्त प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना होगा और ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जिन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए :—

(ग) नियुक्ति की समाप्ति :—

परिवीक्षा की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की ओर से तीन महीने का सिविल नोटिस देकर परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है । किन्तु संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसार की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्तगी और सेवा से हटाने के तथा मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के फलस्वरूप अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में ऐसा नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा किन्तु सरकार को तत्काल सेवाएं समाप्त करने का अधिकार है ।

(1) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक रहे या उसके कार्यकुशल बनाने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(2) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं । परिवीक्षा की अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिन्दी में परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है ।

(घ) स्थायीकरण :—परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने तथा सभी निर्धारित विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप तथा नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से योग्य समझे जाने पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उक्त सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी कर दिया जाएगा ।

(ङ) वेतनमान :—

(1) कनिष्ठ वेतनमान :—रुपए 8000-275-13500

(2) वरिष्ठ वेतनमान :—10000-325-15200

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2—रुपए 12000-375-16500

(4) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2 :—रु. 18400-500-22400

इसके अतिरिक्त रुपए 18400 तथा 26000 के वेतन के बीच के सुपरटाइम वेतनमान वाले पद भी जिनके लिए उपयुक्त सेवाओं के अधिकारी पात्र हैं ।

परिवीक्षाधीन अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम वेतन से प्रारम्भ करेगा तथा उस समय वेतनमान में अवकाश पेंशन तथा वेतन वृद्धियों के लिए परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को गिनने की अनुमति होगी ।

मंहगाई तथा अन्य भत्ते सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्राप्त होंगे ।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय तथा अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण न करने पर वेतन वृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है ।

(च) प्रशिक्षण व्यय लौटाना :—यदि किसी कारणवश जो सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर नहीं है, कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अथवा परिवीक्षा से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उस परिवीक्षा की अवधि के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का पूरा व्यय और अन्य धनराशियों को वापस करना होगा । इस प्रयोजन के लिए परिवीक्षकों से एक बंध-पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी । किन्तु जिन परिवीक्षा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण के व्यय को वापस नहीं करना होगा ।

(छ) छुट्टी :—उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी के पात्र हैं ।

(ज) चिकित्सा सुविधा :—अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधा एवं उपचार कराने के पात्र होंगे ।

(झ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :—अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास तथा विशेषाधिकार टिकटों के पात्र होंगे ।

(ञ) भविष्य निधि तथा पेंशन :—उक्त सेवा के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमावली द्वारा शासित होंगे और समय-समय पर लागू उस निधि नियमों के अन्तर्गत राज्य रेलवे भविष्य निधि (गैर-अंशदायी) में अंशदान करेंगे ।

(ट) उक्त सेवाओं/पदों के लिए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना पर कार्य करना पड़ सकता है ।

(ठ) रक्षा सेवाओं में सेवा करने का दायित्व :—यदि आवश्यकता हुई तो नियुक्त किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा जिसमें प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) भी शामिल है ।

किन्तु उस व्यक्ति को :—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ख) सामान्य : 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

2. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क
और
केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिकी इंजीनियरी सेवा ग्रुप क

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर लेने पर उनके स्थायी करने/कार्य करते रहने पर विचार किया जाएगा । परिवीक्षा की दो वर्ष की अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है ।

परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की कोई बढ़ी हुई अवधि समाप्त हो जाने पर यदि सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी/नियोजन/बरकरारी के उपयुक्त नहीं है, या परिवीक्षा की इस अवधि या परिवीक्षा की बढ़ी हुई अवधि के दौरान किसी समय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति बरकरारी के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्य मुक्त कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है ।

(ख) जैसी कि इस समय स्थिति है, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क में नियुक्त सभी अधिकारी, सहायक कार्यपालक इंजीनियर के उच्चतर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अगले ऊंचे ग्रेड अर्थात् कार्यपालक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और वे ऐसी पदोन्नति के अन्यथा योग्य पाए जाएं ।

(ग) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई है) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को :—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, और

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(घ) वेतन की प्राप्ति दरें निम्न प्रकार से हैं :—

पद	वेतनमान
(1) कनिष्ठ समय वेतनमान (सहायक कार्यपालक इंजीनियर)	रु० 8000-275-13500
(2) वरिष्ठ समय वेतनमान (कार्यपालक इंजीनियर)	रु० 10000-325-15200
(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अधीक्षक इंजीनियर)	
क. सामान्य ग्रेड	रु० 12000-375-16500
ख. चयन ग्रेड	रु० 14300-400-18300
(4) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चीफ इंजीनियर)	रु० 1840-500-22400
(5) सुपर टाइम स्केल अपर महानिदेशक	रु० 22400-525-24500
महानिदेशक (डब्ल्यू०)	रु० 26000 नियत

ये पद सभी तीन विषयों अर्थात् सिविल, इलैक्ट्रीकल और यांत्रिक तथा वास्तु इंजीनियरों के लिये समान हैं ।

नोट :—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अथवा किसी स्थाई पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हो उसका वेतन एफ० आर० 22 (बी) (1) के अनुसार विनियमित किया जायगा ।

(ङ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप (क) और केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रुप (क) के पदों से सम्बन्धित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का स्वरूप :—

1. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (ग्रुप क)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार की सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार) के जिसमें आवासीय भवन, कार्यालय, भवन सदन संस्था तथा अनुसंधान केन्द्र, औद्योगिक भवन, अस्पताल की भूमि की विकास योजना, हवाई अड्डे, महामार्ग तथा पुल आदि सम्मिलित है, आयोजन अभिकल्पन निर्माण और रख रखाव के कार्य पर लगाये जाते हैं । इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के रूप में शुरू करते हैं, और अपनी सेवा करते करते पदोन्नत होकर विभाग के विभिन्न वरिष्ठ ओहदों पर पहुंच जाते हैं ।

2. केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (ग्रुप क)

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा में भर्ती हुए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न

प्रकार के सिविल निर्माण (केन्द्रीय सरकार) के विद्युत घटकों के जिसमें विद्युत संस्थान इलेक्ट्रीकल सब-स्टेशन तथा पावर-हाउस, वातानुकूलन तथा प्रशीतन, हवाई अड्डों की रनवेलाइटिंग, यांत्रिक कर्मशाला का परिचालन, निर्माण मशीनरी की प्राप्ति तथा रख-रखाव आदि सम्मिलित हैं । आयोजन, अभिकल्पन निर्माण और रख-रखाव में कार्य लगाए जाते हैं । इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक इंजीनियरी के रूप में शुरू करते हैं और अपनी सेवा करते-करते पदोन्नत होकर विभाग में विभिन्न वरिष्ठ ओहदों पर पहुंच जाते हैं ।

3. सेना इंजीनियरी सेवा (ग्रुप क)

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित तथा भाषा सम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ सकती है । यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य तथा आचरण असंतोषजनक रहा है या ऐसा आभास होता है कि उसके कुशलता प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है अथवा यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी उक्त अवधि के दौरान निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार उसे नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य तथा आचरण असंतोषजनक रहा है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि इतनी बढ़ा सकती है जितनी वह ठीक समझे ।

उम्मीदवार को अपनी परिवीक्षा की अवधि के दौरान एम. ई. एस. प्रोसीजर सुपरिन्टेन्डेन्टस बी. आर. एण्ड ई. एम., ग्रेड-1, एग्जामिनेशन तथा हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने होंगे । हिन्दी परीक्षा का स्तर प्राज्ञ (मैट्रिकुलेशन स्तर के समकक्ष) का होगा ।

(ख) (1) चुने हुए उम्मीदवारों को यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई है, सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा किन्तु ऐसे उम्मीदवारों को :—

(1) नियुक्ति की तारीख से बस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य करना होगा ।

(2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

2. उम्मीदवारों पर एस. आर. अ. सं. 92 दिनांक 9 मार्च, 1957 के अन्तर्गत प्रकाशित 1957 के सिविलियन्स इन डिफेंस सर्विस (फील्ड लाईबैलिटी) रूल्स के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।

(ग) ग्राह्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं

(क) सहायक कार्यकारी इंजीनियर/
सहायक निर्माण सर्वेक्षक
रु. 8000-275-13500

(ख) कार्यकारी इंजीनियर/
निर्माण सर्वेक्षक
रु. 10000-325-15200

(ग) अधीक्षक इंजीनियर
(साधारण ग्रेड)
अधीक्षक निर्माण
सर्वेक्षक (साधारण ग्रेड)
रु. 12000-375-16500

(घ) अधीक्षक इंजीनियर
(चयन ग्रेड)
अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक
(चयन ग्रेड)
रु. 14300-400-18300

(ङ) अपर मुख्य अभियंता—
रु. 14300-400-18300
प्रोतमास का विशेष वेतन

(च) मुख्य अभियंता/
मुख्य निर्माण सर्वेक्षक
रु. 18400-500-22400

(छ) अपर महानिदेशक (निर्माण)
रु. 22400-525-24500

4. भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा (ग्रुप क)

(क) चुने हुए उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे । सरकार महानिदेशक, आयुध कारखाना अध्यक्ष आयुध कारखाना बोर्ड की सिफारिश पर परिवीक्षा अवधि घटा या बढ़ा सकती है । परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सरकार द्वारा यथाविहित विभागीय तथा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । भाषा का परीक्षण हिन्दी में लिया जाएगा ।

सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा । किन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा है तो सरकार उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी ठीक समझे और बढ़ा सकती है ।

(ख) (1) चुने हुए उम्मीदवारों को यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई है, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा । किन्तु उस व्यक्ति को (1) नियुक्ति की तारीख से बस वर्ष की समाप्ति के बाद

पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा और (2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(2) उम्मीदवार एस. आर. ओ. नं. 92 दिनांक 9 मार्च, 1957 के अन्तर्गत प्रकाशित 1957 सिविलियन इन डिफेंस सर्विस (फील्ड लायबिलिटी) रूल्स भी लागू होंगे । उनमें निर्धारित चिकित्सा स्तर के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।

(ग) निम्नलिखित वेतनमान देय हैं :—

कनिष्ठ समय वेतनमान—रु. 8000-275-13500

वरिष्ठ समय वेतनमान—रु. 10000-325-15200

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सामान्य ग्रेड)—रु. 12000-375-16500

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चयन ग्रेड)—रु. 14300-400-18300

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु. 18400-500-22400

वरिष्ठ जनरल मैनेजर—रु. 22400-525-24500

अतिरिक्त महानिदेशक, आयुध कारखाना/सदस्य, आयुध, कारखाना बोर्ड—रु. 22400-600-26000

महानिदेशक आयुध कारखाना/अध्यक्ष आयुध कारखाना, बोर्ड—रु. 26000

टिप्पणी :—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले प्राथमिक पद के अलावा किसी स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका है उसका वेतन रक्षा मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित का. ज्ञा. सं. 15(6)/64/डी (एप्वाइंटमेंट्स)/1051/डी (सी. 41) दिनांक 25 नवम्बर 1965 के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

(घ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को मंसूरी/नागपुर फाउण्डेशन कोर्स करना होगा ।

(ङ) इस प्रकार भर्ती हुए परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा प्रारम्भ करने से पहले एक बंधपत्र भरना होगा ।

5. भारतीय दूर संचार (ग्रुप क)

(क) दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी । सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य तथा आचरण आदि असंतोषजनक है या उसे यह आभास होता है कि उसके कार्यक्षमता प्राप्त करने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल कार्यमुक्त कर सकती है । परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर सरकार उस वक्त नियुक्ति पर स्थाई बना सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक रहा है तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती है या जितनी ठीक समझे उतनी अवधि के लिए उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है ।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान जो भी विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं निर्धारित की जाएं, अधिकारियों को उत्तीर्ण करनी होंगी । उनको स्थायी किए जाने से पहले हिन्दी के परीक्षण भी उत्तीर्ण करने होंगे ।

(ख) अधिकारियों को व्यवसाय तथा भाषा संबंधी परीक्षण भी उत्तीर्ण करने होंगे ।

(ग) इस परीक्षण के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को :—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य करना होगा ।

(2) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

(घ) निम्नलिखित वेतनमान ग्राह्य हैं :—

(1) कनिष्ठ समय वेतनमान—रु. 8000-275-13500/-

(2) वरिष्ठ समय वेतनमान—रु. 10000-325-15200/-

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु. 12000-375-16500/-

(4) चयन ग्रेड कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु. 14300-400-18300/-

(5) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड—रु. 18400-500-22400/-

(6) सी. जी. एम. ग्रेड—रु. 22400-525-24500/-

(7) सलाहकार ग्रेड—रु. 22400-600-26000/-

(8) अधिकारीगण दूर संचार आयोग के सदस्यों के पदों के लिए विचार किए जाने के लिए भी पात्र होंगे तथा यह भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा—रु. 26000/-

नोट :—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिक पद के अलावा किसी स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हो उनका वेतन एफ. आर. 22 बी (1) के उपबंध के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप "क" के अधीन कनिष्ठ वेतनमान में यदि किसी अधिकारी का स्थानापन्न वेतन रु. 8550/- या इससे अधिक है तो वह तब तक वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा जब तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके ।

(ङ) भारतीय दूर संचार सेवा ग्रुप के पदों से सम्बद्ध कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व ।

सहायक डिवीजनल इंजीनियर

सहायक डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ/टेलीफोन इंजीनियरी सब डिवीजन, कैरियर, वी. एफ. टी. को एक्सीअल माइक्रोवेव, लांग डिस्टैंस इलैक्ट्रिक तथा वायरलैस स्टेशन के इन्चार्ज होंगे और सामान्यतः डिवीजनल इंजीनियर के अधीन कार्य करेंगे । वे विभिन्न दूर संचार निर्माण के संस्थापन परियोजना संगठन से भी जुड़े रहेंगे ।

डिवीजनल इंजीनियर

डिवीजनल इंजीनियर को टेलीग्राफ/टेलीफोन इंजीनियरी डिवीजनल जिनमें लांग डिस्टैंस, कोएक्सीयल माइक्रोवेव, ऑप्टिकैल्स डिवीजन तथा वायरलैस डिवीजन शामिल हैं, का प्रभारी बनाया जाता है । वे अपने प्रभार में रहने वाले टेलीग्राफों तथा टेलीफोनों के उपस्करों के रख-रखाव के पूरे जिम्मेदार होंगे तथा अपने डिवीजन में रह करके कार्य करेंगे । जब डिवीजन अधिकारी इंजीनियरी/परियोजना संगठन पर लगाए जाते हैं तो उन्हें यूनिट में निर्माण/संस्थापन कार्य करना होगा ।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

दूर संचार सर्किल और टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में दूर संचार सम्बन्धी परिसंपत्तियों के प्रशासन और दूर संचार संस्थानों के प्रशासन तथा आयोजन के लिए दूर संचार प्रणालियों आदि में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार हैं । वे माइनर टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट दूर संचार सर्किल, आदि के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार हैं ।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं सी. जी. एम. ग्रेड

दूर संचार सर्किल/टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सर्किल दूर संचार अनुरक्षण क्षेत्र का प्रधान, जो कारभार में उसकी पूरी तरह से प्रभावी प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार होगा उप-महानिदेशक दूर संचार आयोग, दूर संचार आयोग की नीति निर्धारित करने तथा समग्र प्रशासन करने में उच्चस्तरीय सहायता प्रदान करता है । वरिष्ठ उप-महानिदेशक दूर संचार इंजीनियरी केन्द्र तथा उप-महानिदेशक, दूर संचार इंजीनियरी केन्द्र के अनुसंधान संबंधी समग्र कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार हैं ।

परामर्शदाता ग्रेड

भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक में मुख्यतः कार्मिक सम्बन्धी नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी । स्थानीय तथा दूरदर्शी दोनों प्रकार के दूर संचार नैटवर्क का संचालन और रख-रखाव, फिल्ड यूनिटों को आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति/परियोजनाओं और उत्पादन का समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करके फिल्ड यूनिटों द्वारा वार्षिक योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा दूरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और उनका समावेश करना ।

6. केन्द्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप 'क') सेवा

(1) केन्द्रीय जल इंजीनियरी ग्रुप 'क' सेवा में सहायक निदेशक/सहायक कार्य पालक इंजीनियर के पदों पर भर्ती हुए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे ।

किन्तु सरकार, आवश्यक होने पर, दो वर्ष की उक्त अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढ़ा सकती है ।

यदि परिवीक्षा की उपर्युक्त या बढ़ी हुई अवधि, जैसी भी स्थिति हो, समाप्त होने पर सरकार की यह राय हो कि उम्मीदवार स्थाई नियोजन हेतु उपयुक्त नहीं है या परिवीक्षा की इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के दौरान सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह स्थाई नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा तो इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकती है या उसको उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या जो ठीक समझे वह आदेश पारित कर सकती है ।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार उम्मीदवारों से प्रशिक्षण का ऐसा कोई कोर्स करने और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने को कह सकती है जिसे वह परिवीक्षा की सफल पूर्ति की एक शर्त रूप में ठीक समझे ।

(2) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई है, सहित कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को :—

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ख) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(3) सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद पर नियुक्त अधिकारी निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद उप-निदेशक/कार्यपालक इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर/निदेशक (साधारण ग्रेड) निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड) मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) म. ई. (स्तर-1) में सदस्य अध्यक्ष सी. डब्ल्यू सी. के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं ।

(4) केन्द्रीय जल इंजीनियरी ग्रुप 'क' सेवा में इंजीनियरी पदों के ग्रुप 'क' के लिए वेतनमान निम्न प्रकार है :—

केन्द्रीय जल इंजीनियरी ग्रुप 'क' सेवा में सिविल और यांत्रिक पद

1. सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर—रु. 8000—275—13500 ।
2. उपनिदेशक/कार्यकारी इंजीनियर—रु. 10000—325—15200 ।
3. अधीक्षक/निदेशक इंजीनियर (साधारण ग्रेड)—रु. 12000—375—16500 ।
4. निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड)—रु. 14300—400—18300 ।
5. मुख्य इंजीनियर—रु. 18400—500—22400 ।
6. सदस्य सी. डब्ल्यू. सी/अध्यक्ष, जी. एफ. सी. सी.—रु. 22400—525—24500 ।
7. अध्यक्ष सी. डब्ल्यू. सी.—रु. 26000 (नियत) ।

(5) केंद्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप 'क') सेवा में पदों से संबद्ध कार्यों और दायित्वों का स्वरूप ।

सहायक निदेशक (सिविल और यांत्रिक)

सिंचाई, नौचालन, विद्युत, घरेलू जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और अन्य प्रयोजनों के विकास हेतु जल साधनों के संरक्षण तथा विनियमन के लिए आकलन, रिपोर्ट आदि तैयार करने सहित परियोजनाओं की योजना सर्वेक्षण अन्वेषण तथा अभिकल्पना ।

सहायक कार्यकारी इंजीनियरी (सिविल तथा यांत्रिक)

उनको आवंटित उपमण्डल या अन्य एककों के निर्माण कार्य के लिए वे जिम्मेदार होंगे । उन्हें अपने प्रभार के अधीन स्टाफ तथा भंडारों का लेखा-जोखा रखना होगा तथा परोक्ष रूप में उपमंडल में प्रत्यक्ष कार्य की प्रगति के लिए कुछ आनुषंगिक कार्यों को भी देखना होगा । विहित निगमों आदि के अनुसार वे अपने प्रभार के अधीन माप बहियों, मस्टर रोल तथा अन्य अभिलेखों के सही रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे ।

7. केन्द्रीय विद्युत इंजीनियर (ग्रुप क) सेवा

(1) संगठन का विवरण

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा (3) (1) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण संगठित किया गया था और इसका दायित्व राष्ट्रीय विद्युत साधनों के नियंत्रण तथा उपयोग के संबंध में योजना अभिकरणों के कार्यकलापों में समन्वय करने के लिए एक सुदृढ़, पर्याप्त और एकरूप विद्युत नीति का विकास करना है । देश की सभी विद्युत योजनाओं (उत्पादन संरक्षण, वितरण और विशुद्ध आपूर्ति का उपयोग) की संभावना तकनीकी विश्लेषण, आर्थिक व्यवहार्यता आदि के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में संवीक्षा की जाती है कि ये योजनाएं राज्यों तथा क्षेत्रों के समस्त विकास के लिए उपयुक्त होंगी और सब प्रकार से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अनुरूपी होंगी । इस संगठन का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास और विद्युत की इसकी मूल्य गतिदायी शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान है ।

(2) उस ग्रेड का विवरण जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है । रु. 8000—13500 के वेतनमान के सहायक निदेशक, (ग्रेड-1) सहायक प्राधिकारी इंजीनियर के ग्रेड में पचास प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर ली गई इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाते हैं ।

केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप क) में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे किन्तु जहां आवश्यक हो वहां सरकार उक्त दो वर्षों की अवधि के अतिरिक्त अवधि बढ़ा सकती है जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि उपर्युक्त परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के समाप्त होने के बाद सरकार यह समझे कि कोई उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा ऐसी परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी भी समय वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त उम्मीदवार ऐसी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के बाद स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकती है या उसके स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे ।

परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा तथा अनुदेश का पालन करना होगा तथा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जो सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में निर्धारित की जाए ।

यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस अवधि में व्यक्ति को—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा, और

(ख) सामान्यतः (40 वर्ष) की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा ।

(3) उच्चतर ग्रेडों के लिए पदोन्नति

सहायक निदेशक (ग्रेड-1) सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पदों पर नियुक्त अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रुप 'क' सेवा नियमावली, 1956 में निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद ऊंचे ग्रेडों अर्थात् उप-निदेशक कार्यपालक इंजीनियर निदेशक अधीक्षक इंजीनियर (साधारण ग्रेड) निदेशक अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड), उप मुख्य इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं बशर्ते कि सम्बद्ध ग्रेड में नियुक्तियां उपलब्ध हों।

(4) वेतनमान

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियर (ग्रुप 'क') के सेवा के पदों पर वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत यांत्रिक और दूर-संचार से सम्बद्ध पद :—

क्रं० सं०	पद का नाम	वेतनमान
1	2	3
1.	सहायक निदेशक (ग्रेड-1) सहायक कार्यकारी इंजीनियर	रु० 8000–275–13500
2.	उप निदेशक/कार्यकारी इंजीनियर	रु० 10000–325–15200
3.	गैर-कार्यकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	रु० 12000–375–16500
4.	निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर	रु० 14300–400–18300
5.	मुख्य इंजीनियर सदस्य-सचिव	रु० 18400–500–22400

(5) कर्तव्य और दायित्व

सहायक निदेशक (ग्रेड-1) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पदों पर सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्वों के स्वरूप इस प्रकार हैं :—

विद्युत विकास के क्षेत्रों का विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सम्बद्ध अपेक्षित तकनीकी तथ्यों का संग्रह, संकलन और परस्पर संबंध उन्हें इससे सम्बद्ध मामलों को भी निपटाना है जिसमें हाईड्रो तथा थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थापना संचालन, अनुरक्षण तथा विद्युत योजनाओं, परियोजनाओं, अभिकल्पों आदि के तैयार करने में सहायता देते हुए उनकी संरचना तथा वितरण, विद्युत प्रणालियों की परियोजना रिपोर्टों का अध्ययन करना सम्मिलित है। क्षेत्र एककों में कार्य करते हुए वे उप-मंडल में उनको आबंटित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के पद

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) और यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) (ग्रुप क पद) पदों पर अस्थायी आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। दो वर्ष से अधिक अतिरिक्त अवधि के लिए सेवा में उनका रखना परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। सरकार की विवेक्षा पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। उन्हें क्रमशः रुपए 8000-275-13,500 के समय वेतनमान में वेतन मिलेगा। संतोषजनक रूप से उनकी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर लेने पर यदि वे स्थायी नियुक्ति के योग्य समझे जाते है तो मूल रिक्तियों के उपलब्ध होने पर नियमानुसार उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

यदि आवश्यकता हुई तो भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) और यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा।

किन्तु उस व्यक्ति को :—

(1) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) या यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) के पद पर नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य करना होगा, और

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

इस विषय पर नियमों और अनुदेशों के अनुसार जो उम्मीदवार योग्य पाये जाते हैं उनके लिए पदोन्नति का क्षेत्र निम्नलिखित है :—

(क) बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ) के लिए	रु० 8,000–275–13,500
(1) बरमा इंजीनियर (वरिष्ठ)	रु० 10,000–325–15,200
(2) निदेशक (बरमा)	रु० 12,000–375–16,500
(3) उप-महानिदेशक (इंजीनियरी सेवा)	रु 18400–500–22,400
(4) वरिष्ठ उप-महानिदेशक	रु० 22,400–600–26,000
(ख) यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) ग्रुप 'क'	रु० 8,000–275–13,500
(1) यांत्रिक इंजीनियर (वरिष्ठ)	10,000–375–15,200

(2) निदेशक (यांत्रिक इंजीनियर) रु० 12,000–375–16,500

(3) उप-महानिदेशक (इंजीनियरी सेवा) रु० 18,400–500–22,400

(4) वरिष्ठ उप-महानिदेशक रु० 22,400–600–26,000

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में भर्ती किए गए अधिकारियों को भारत में या विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

नोट :—उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो परिवीक्षाधीन नियुक्ति से पहले स्थायीवत हैसियत से किसी अन्य स्थायी पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर है, एफ० आर० 22–ख (1) के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ) में पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्व का स्वरूप

बरमा वाहनों और उत्खनकों अनुसरण तथा मरम्मत, विविध क्षेत्र के कर्तव्यों तथा कार्यों के लिए ड्राइवरों तथा वाहनों का आवंटन पी० ओ० एल० अंकों तथा (अभिलेखों, लाग बुक, दैनिक वृत्तियों की संवीक्षा तथा अनुरक्षण) ड्रिलिंग और विज्ञान अनुप्रयोगों का अभिकल्पना तथा विनिर्माण।
बरमा इंजीनियर (कनिष्ठ)

कोर रिकवरी का दृष्टतम प्रतिशत निश्चित करते हुए एक या अधिक ड्रिलिंग रिगों से खनिज अन्वेषण के सम्बद्ध में छेदन कार्य करना। सरकारी भंडारों और उसको सौंपे गए हस्तेष्ट को ठीक प्रकार से सुरक्षा के लिए लगाई गई मशीनरी और वाहनों का सनारक्षण। भंडारों तथा रोकड़ लेखों का रखना और अधीन नियोजित कर्मचारी वर्ग को देखना।

9. इंजीनियर ग्रुप-क वायरलैस योजना और समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन, संचार-मंत्रालय (दूर संचार विभाग)।

(क) वेतनमान रुपये 8000–275–13500/–

(ख) ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा करने के बाद इंजीनियरी के पदधारी सहायक वायरलैस सलाहकार, वायरलैस योजना और समन्वय। स्कन्धों इंजीनियर प्रभारी अनुश्रवण संगठन (वेतनमान रुपये 10000–325–15200/– तथा सहायक वायरलैस सलाहकार के पद के लिए रु० 400/– प्रतिमास विशेष वेतन) के ग्रेड में रिक्तियों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति के पात्र हैं। सहायक वायरलैस सलाहकार इंजीनियर प्रभार के ग्रेड में उनका पदोन्नति ग्रुप के पदों के लिए संगठित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर उनके चयन के आधार पर की जाएगी।

सहायक वायरलैस सलाहकार इंजीनियर प्रभारी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा रखने वाले सभी सहायक वायरलैस सलाहकार और इंजीनियर प्रभारी उप वायरलैस सलाहकार उप निदेशक (वेतनमान रु० 12000–375–16500) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। उप वायरलैस सलाहकार उप निदेशक के ग्रेड में रिक्तियां ग्रुप के पदों के लिए गठित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर चयन करने के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जाती है।

संयुक्त वायरलैस सलाहकार/निदेशक (डब्ल्यू० एम०) (वेतनमान रु० 14300–400–18300 प्रतिमाह) और भारत सरकार के वायरलैस सलाहकार (वेतनमान रु० 18400–500–22400 प्रति माह) के अगले ग्रेडों में रिक्तियां ग्रुप 'क' के पदों के लिए गठित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर चयन करने के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं।

अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु तथा पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्यूनतम पात्रता की है और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी।

(ग) इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

(घ) यदि आवश्यकता हुई तो इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य न करना होगा, और

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(ङ) पदों से सम्बद्ध कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का स्वरूप—

(1) डब्ल्यू० पी० सी० स्कन्ध वायरलैस मानिटरिंग संगठन के विभिन्न एककों के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा प्रशिक्षण।

(2) सम्बद्ध रेडियो आवृत्ति वर्णक्रमों तथा विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन को आवृत करने वाली रेडियो आवृत्ति मानीटरन में प्रयुक्त इलैक्ट्रानिकीकरण के विभिन्न वर्गों एंटिना तथा सहायक उपकरणों का प्रतिष्ठापन, अंशशोधन, परीक्षण तथा अनुरक्षण।

(3) भिन्न-भिन्न प्रकार की रेडियो संचार सेवाओं के लिए विभिन्न प्रयोक्ता विभागों/संगठनों के वायरलैस प्रतिष्ठानों का अनुज्ञापन एवं निरीक्षण।

(4) रेडियो आवृत्ति वर्णक्रम तथा तुल्यकाली उपग्रह कक्षा के उपयोग के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

समन्वय से सम्बद्ध सभी पहलू जिसमें नियतन योजना का निर्माण, संगत तकनीकी मानकों की स्थापना-उपस्कर का प्रकार—अनुमोदन संयुक्त चुम्बकीय व्यवधान/ससंगति आदि का प्रतिपादन सम्मिलित हो।

(5) सम्बद्ध राष्ट्रीय नियमों तथा विनियमों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन सहित अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों का प्रवर्तन।

(6) प्रवीणता/रेडियो अव्यवसायी—प्रमाण-पत्र आदि के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उनके लिए लाइसेंस जारी करना।

(7) रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध तथा मानीटरन से सम्बद्ध अनुसंधान तथा विकास कार्य करना।

(8) अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ दूर संचार से संबंधित अन्य यथोचित अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगठनों की बैठकों तथा सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंध करना।

10. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) (ग्रुप 'क')

(क) चुने हुए उम्मीदवार सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि स्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध हुई और वे स्थायी नियुक्त के योग्य समझे जाते हैं तो उन्हें सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर स्थायी किया जाएगा। सरकार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकती है।

परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने पर यदि सरकार यह समझती है कि कोई सहायक कार्यकारी इंजीनियर स्थायी नियोजक के योग्य नहीं है या ऐसी परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान वह इससे संतुष्ट है कि कोई सहायक कार्यकारी इंजीनियर ऐसी अवधियों या बढ़ाई गई अवधियों की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उस सहायक कार्यकारी इंजीनियर को सेवा विमुक्त कर सकती है अथवा ऐसे आदेश पास कर सकती है जो वह ठीक समझे।

(ख) यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति का भारत रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई, अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा, किन्तु उस व्यक्ति को :-

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा; और

(2) सामान्यत: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ग) निम्नलिखित वेतनमान देय हैं :—

सहायक कार्यकारी इंजीनियर—

रु० 8000–275–13500।

कार्यकारी इंजीनियर—

रु० 10000–325–15200।

अधीक्षक इंजीनियर—

रु० 12000–375–16500।

अधीक्षक इंजीनियर (चयन ग्रेड)—

रु० 14300–400–18300।

मुख्य इंजीनियर—

रु० 18400–500–22400।

अतिरिक्त महानिदेशक—

रु० 22400–525–24500।

अतिरिक्त सचिव महानिदेशक (सड़क विकास)—

रु० 22400–600–26000।

टिप्पणी :—उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क' ग्रुप 'ख' में परिवीक्षाधीन नियुक्ति से पहले मूल रूप में किसी आवधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर है (एफ० आर० 22-ख) के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) पूल ग्रुप 'क' के पद से सम्बद्ध कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप।

(1) सिविल इंजीनियरी पद

सड़कों/पुलों के निर्माण के डिजाइनों की योजना बनाना उनके आंकलन तैयार करने में भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क स्कंध के मुख्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में वरिष्ठ अधिकारियों आदि की सहायता करना और राज्यों से ऐसे निर्माणों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना।

(2) यांत्रिक इंजीनियरी पद

सड़कों/पुलों के निर्माण उपस्करों के आयोजन, प्रापण, प्रचालन और अनुरक्षण में भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क स्कंध के मुख्यालयों में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की सहायता करना, इस प्रकार के उपस्करों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए आंकलन तैयार करना और राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और आकलनों की समीक्षा करना।

11. भारतीय प्रसारण (इंजीनियरी) सेवा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

(क) उक्त सेवा के कनिष्ठ वेतनमान सीधे भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(1) किन्तु शर्त यह है कि नियंत्रक अधिकारी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार घटा या बढ़ा सकता है ।

(2) अगली शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु कोई निर्णय परिवीक्षा की पहली अवधि के समापन के बाद आठ सप्ताहों के अन्दर किया जायेगा और सम्बद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के अन्दर लिखित रूप में सम्प्रेषित कर दिया जाएगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि तथा उसकी किसी वृद्धि के समापन पर अधिकारी के स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में अपनी नियुक्ति पर नियमित आधार पर बनाए रखा जाएगा और उसको यथावधि उपलब्ध मूल रिक्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा ।

(4) यदि परिवीक्षा की बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि जैसी भी स्थिति हो, के दौरान सरकार का यह मत हो कि कोई अधिकारी सरकार में स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती है या उसी पद पर वापस भेज सकती है जो वह उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले धारण कर रहा था, जैसी भी स्थिति हो, या और कोई उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है ।

(5) परिवीक्षा या बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवार को परिवीक्षा के सफल समापन की शर्त के रूप में सरकार द्वारा यथोचित शिक्षण तथा प्रशिक्षण कोर्स पूरे करने होंगे और परीक्षा तथा परीक्षण (हिन्दी परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने होंगे ।

(ख) सेवा में नियुक्ति—उक्त सेवा के विभिन्न ग्रेडों के सभी पदों पर सभी नियुक्तियां—चाहे वे "आकाशवाणी" में हों या "दूरदर्शन" में हों—नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

(ग) भारत के किसी भाग में सेवा का दायित्व सेवा की अन्य शर्तें :—

(1) ऐसी नियुक्ति की तारीख से या उक्त सेवा के किसी भाग में या बाहर सेवा करनी पड़ सकती है ।

(2) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है जिसमें प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित है किन्तु ऐसे अधिकारी को :—

(i) ऐसी नियुक्ति की तारीख से या उक्त सेवा के प्रारम्भिक गठन से पहले कार्य-ग्रहण की तारीख में 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

(2) सामान्य : 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

(घ) उन मामलों में जिन के संबंध में इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । उक्त सेवा के सदस्यों की शर्तें वही होंगी जो सामान्य तौर पर केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होती हैं ।

प्राप्य वेतनमान निम्न प्रकार है :—

(1) कनिष्ठ वेतनमान
रु 8000–275–13500

(2) वरिष्ठ वेतनमान
10000–325–15200

(3) जे० ए० जी०
रु० 12000–375–16500

(4) जे० ए० जी० (चयन ग्रेड)
रु० 14300–400–18300

(5) एस० ए० जी०
रु० 18400–500–22400

(6) इंजीनियर-इन-चीफ
रु० 22400–525–24500

"भारतीय प्रसारण (अभियंता) सेवा (ग्रुप "क") के कनिष्ठ वेतनमान से सम्बद्ध कार्य एवं दायित्वों की प्रकृति"

रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का प्रचालन, रख-रखाव, प्रबंध, योजना, अभिकल्पन, संस्थापन तथा उसे चालू करना । सम्बद्ध क्षेत्र में अनुसंधान कार्य तथा स्टाफ को प्रशिक्षण देना । अधीनस्थ स्टाफ के कार्यों का पर्यवेक्षण करने का दायित्व ।

12. डाक तार भवन निर्माण ग्रुप 'क' सेवा में सहायक कार्यकारी इंजीनियर

(क) उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा आधार पर की जायेंगी जिसकी अवधि दो-वर्ष होगी । उन्हें यथानिर्धारित-प्रशिक्षण लेना होगा । यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न हो या उसमें यह आभास हो कि उसके कार्यकुशल होने की संभावना नहीं है, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी बना सकती है और यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

अधिकारियों को ऐसी विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जो परिवीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित की जाएं। उन्हें हिन्दी में एक परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी भी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्षों की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसके प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई हो, भी शामिल है।

परन्तु उस व्यक्ति को :—

(i) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ii) सामान्यत: 40 वर्ष आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ग) प्राप्य वेतन दर निम्न प्रकार है।
ग्रुप "क"

(1) सहायक कार्यपालय इंजीनियर (सिविल वैद्युत)
रु० 8000–275–135000

(2) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) निर्माण सर्वेक्षक (सिविल) कार्यपालक इंजीनियर (मुख्यालय)
रु० 10000–325–15200

(3) अधीक्षक इंजीनियर (सिविल) अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (सिविल) अधीक्षक इंजीनियर (मुख्यालय)
रु० 12000–325–16500

(4) अधीक्षक इंजीनियर निर्माण सर्वेक्षक अधीक्षक (सिविल विद्युत) (चयन ग्रेड)
रु० 14300–400–18300

(5) मुख्य इंजीनियर (सिविल विद्युत) (वरिष्ठ) प्रशासनिक ग्रेड
रु० 18400–500–22400

(6) वरिष्ठ उप महानिदेशक (भवन निर्माण)
रु० 22400–525–24500

(घ) डाक-तार सिविल स्कंध में उक्त पदों में जो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सम्बद्ध है वे नीचे दिए गए हैं :—

इंजीनियर सेवा परीक्षा के माध्यम डाक-तार सिविल स्कन्ध में भर्ती हुए उम्मीदवारों को डाक-तार विभाग के विभिन्न सिविल निर्माणों के जिनमें आवासिय भवन, कार्यालय भवन, दूरभाषा केन्द्र भवन, डाकघर, भवन, कारखाने, भण्डार तथा प्रशिक्षण केन्द्र आदि सम्मिलित हैं आयोजन, अभिकल्पन, निर्माण और अनुरक्षण पर लगाया जाता है। उम्मीदवार विभाग में अपने सेवा सहायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में शुरू करते हैं और सेवा करते हुए विभाग के विभिन्न वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति पा जाते हैं।

13. भारतीय आपूर्ति सेवा/भारतीय निरीक्षण सेवा :

(क) चुने गये उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि पूरी कर लेने पर अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के योग्य समझे जाने पर स्थायी पदों के उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा। सरकार इस दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को बढ़ा भी सकती है।

यदि परिवीक्षा की उक्त अवधि या उसकी बढ़ी हुई अवधि के समाप्त होने पर सरकार की यह राय हो कि उम्मीदवार स्थायी नियोजन हेतु उपयुक्त नहीं है तथा परिवीक्षा की अवधि या बढ़ी हुई अवधि के दौरान सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह इस अवधि या बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति हेतु, उपयुक्त नहीं रहेगा तो वह उस अधिकारी को कार्य मुक्त कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे अधिकारियों को स्थायी होने से पहले हिन्दी में एक विहित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ख) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्षों की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसके प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई हो भी शामिल है।

किन्तु, उस व्यक्ति को—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(2) साधारणत: 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(ग) ग्राह्य वेतन की दरें निम्नलिखित है :—
कनिष्ठ समय वेतनमान
सहायक निदेशक (ग्रेड–1)
वेतन रु० 8000–13500
वरिष्ठ समय वेतनमान
उपनिदेशक
वेतन रु० 10000–325–15200
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सामान्य)
निदेशक (साधारण)
वेतन रु० 12000–375–16500
निदेशक (नान–फंक्शनल चयन ग्रेड)
वेतन रु० 14300–400–18300

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
उप महानिदेशक
वेतन रु० 18400–500–22400
उच्च प्रशासनिक ग्रेड
अपर महानिदेशक
वेतन रु० 22400–525–24500

टिप्पणी :— जिन सरकारी कर्मचारियों ने इस परिवीक्षाधीन नियुक्ति से पहले आवधिक पद से अन्यथा किसी स्थायी पद पर स्थायी हैसियत से काम किया है उनका वेतन एफ० आर० 22-बी (1) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(घ) भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क' भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'क' से संबंद्ध कार्य तथा जिम्मेदारियों का स्वरूप।

भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप 'क'

इस सेवा के अधिकारियों का मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार के विभिन्न भागों के लिए आमतौर पर आवर्ती आधार पर अपेक्षित भंडार सामग्री प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि अनुबंधों को कार्यरूप देना है। ऐसी भंडार सामग्री से हार्डवेयर की साधारण वस्तुओं से लेकर परिष्कृत और कीमती इंजीनियरी और इलैक्ट्रानिकी वस्तुओं जैसी बहुत सी किस्में शामिल हैं। आवश्यकतानुसार अनुरोध प्राप्त होने पर, इस सेवा के अधिकारियों को विभिन्न सरकारी संगठनों की तदर्थ आवश्यकता के लिए वस्तुएं खरीदने का प्रबंध भी करना होगा। इसके साथ-साथ उन्हें ऐसी क्रय नीतियां भी तैयार करनी होंगी जो अन्य सरकारी विभागों द्वारा अपनाई जाती हैं और ऐसे मामलों में अन्य सरकारी विभागों के अनुरोध पर उनका मार्गदर्शन भी करना होगा। उनके कार्यों में कतिपय श्रेणी की अधिशेष रक्षा भंडार सामग्री का निपटान करना तथा अनुरोध प्राप्त होने पर भारतीय बन्दरगाहों पर सरकारी माल की निकासी करना भी शामिल है। इसलिए भारतीय आपूर्ति सेवा के अधिकारियों से ऐसे बहुविध प्रकृति के कार्यों से निपटने के लिए अपेक्षित तकनीकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा की जाती है।

भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "क"

इंजीनियरी वस्तुओं तथा सामग्रियों और समवर्गी भंडारों का निरीक्षण तथा परीक्षण, कनिष्ठ अधिकारियों के काम का पर्यवेक्षण करना तथा यह देखना कि उनके अपने कार्य तथा कर्तव्यों के संबंध में पर्याप्त निदेश मिल गए हैं, महत्वपूर्ण कार्य की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना, तकनीकी रिपोर्ट, विनिर्देशन तथा आवश्यक सूचियां बनाना और इंजीनियरी भंडारों के मांग पत्र के तकनीकी विवरणों की जांच करना, विभाग की अन्य शाखाओं के अधिकारियों, माल पत्र भेजने वालों तथा निर्माताओं को इंजीनियरी मामलों में तकनीकी सलाह तथा सहायता देना।

14. सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'क'

(1) चुना हुआ उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षणों को उत्तीर्ण करना होगा। परिवीक्षा की अवधि के दौरान या इसकी समाप्ति पर किसी समय यदि सरकार की राय में उसका कार्य और आचरण असंतोषजनक रहा है, तो हो सकता है कि सरकार या तो उसे कार्यमुक्त कर दे या उसकी परिवीक्षा अवधि यथा अपेक्षित समय के लिए बढ़ा दे।

(2) चुने गए उम्मीदवारों को भारत के किसी भी भाग या विदेश में जिसमें युद्ध तथा शान्ति के क्षेत्र सम्मिलित है, कार्य करना होगा। उनकी क्षेत्र सेवा के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

(3) उन्हें निम्नलिखित वेतनमान देय हैं :—

(क) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)
8000–275–13500 रुपये
कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)
10000–325–15200 रुपये
अधिक्षक इंजीनियर (सिविल)
12000–375–16500
अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)
14300–400–18300
रुपए (चयन ग्रेड)
मुख्य इंजीनियर (सिविल)
18400–500–22400 रुपए
अपर महानिदेशक सीमा सड़क
22400–525–24500 रुपए

(ख) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (ई० एण्ड एम०)
8000–272–13500 रुपए
कार्यकारी इंजीनियर (ई० एण्ड एम०)
10000–325–15200
अधीक्षक इंजीनियर (ई० एण्ड० एम०)
12000–375–16500 रुपए
अधीक्षक इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) (चयन ग्रेड)
14300–400–18300 रुपए।
मुख्य इंजीनियर (ई० एण्ड एम०)
18400–500–22400 रुपये (उचित समय में सृजन किया जाना है)

(4) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यकारी इंजीनियर अधीक्षक

इंजीनियर मुख्य इंजीनियर (केवल सिविल इंजीनियर के अधिकारियों के लिए लागू) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर सकते है। अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु यथा पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्युनतम पात्रता की है और सम्बद्ध ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की उपलब्धता पर होगी यांत्रिक इंजीनियरी में इस समय मुख्य इंजीनियर का कोई पद नहीं है।

(5) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी कुछ विनिर्दिष्ट इलाकों में तैनात होने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यथाग्राह्य अन्य सामान्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता तथा नागरिक प्रतिपूरक भत्ता आदि के अलावा विहित दर पर विशेष प्रतिपूरक भत्ता और मुफ्त राशन के हकदार है। वे वर्दी के वास्ते परिसज्जा भत्तों के भी हकदार है।

(6) सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप "क" के पदों पर नियुक्त अधिकारियों पर अनुशासन के मामले में थल सेना अधिनियम, 1950 लागू होगा।

(7) सशस्त्र सेना अधिनियम के भाग 12 के उपबंधों के अनुसार सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा ग्रुप "क" पर महिलाएं उम्मीदवार पात्र नहीं है।

15. डाक-तार दूर-संचार कारखाना संगठन में सहायक प्रबंधक कारखाना ग्रुप 'क' के पद

(1) वेतनमान रुपए 8000–13500/– में सहायक प्रबंधक (कारखाना) के पदों पर भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ऐसा व्यवहार प्रशिक्षण जो समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्राप्त करना होगा; व्यावसायिक परीक्षा तथा हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

(3) यदि आवश्यकता हुई तो सहायक प्रबंधक (कारखाना के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सबद्ध किसी प्रशिक्षण पर बितायी गई अवधि (यदि कोई हो) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा। किन्तु उस व्यक्ति की :—

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा और

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

(4) उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नति के अवसर :—

(क) अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुकने वाले सहायक प्रबंधक रु० 10000–325–15200/– वेतनमान में वरिष्ठ इंजीनियर के (वरिष्ठ समय वेतनमान) के ग्रेड में पदोन्नति पात्र है।

(ख) अपने ग्रेड में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा कर चुकने वाले वरिष्ठ इंजीनियर रुपए 12000–375–16500/— के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उप-महाप्रबंधक प्रबंधक (कारखाना) के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र है।

(ग) अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले उप-महाप्रबंधक दूरसंचार कारखाना में 14300–400–18300 रु० के वेतनमान में उप-महाप्रबंधक प्रबंधक (चयन ग्रेड) के अकार्यात्मक (नान फंक्शन) चयन ग्रेड में पदोन्नति के पात्र है।

(घ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (इसमें अकार्यात्मक चयन ग्रेड की सेवा, यदि कोई हो, भी शामिल है) में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उप-महाप्रबंधक प्रबंधक अथवा ग्रुप 'क' पद में, जिसमें कम से कम 4 वर्ष की सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए, 17 वर्ष के नियमित सेवा वाले (इसमें आकार्यात्मक चयन ग्रेड की सेवा यदि कोई हो भी शामिल है) 18400–500–22400 रु० (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के वेतनमान में महाप्रबंधक दूर-संचार कारखाना के ग्रेड पदोन्नति के पात्र है।

(5) उक्त पदों से सम्बद्ध कार्य और उत्तरदायित्वों का स्वरूप :

सहायक प्रबंधक :—दूर-संचार भंडार के उत्पादन क्षेत्र से दूर-संचार विभाग के दूर-संचार कारखानों का पर्यवेक्षण तथा प्रबंध और औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों और स्टाफ की नियुक्तियों सहित सेवा मामलों पर कार्य करना। वरिष्ठ इंजीनियर —उत्पादन, आयोग, विकास, अनुरक्षण औजार आदि से सम्बद्ध शाखा के प्रधान और दूर-संचार कारखानों में विभिन्न व्यवसायों/संवर्गों में नियुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

उप-महाप्रबंधक प्रबंधक :—सामान्य प्रशासन उत्पादन अनुशासन आयोग आदि से सम्बद्ध दैनिक कार्यों में महाप्रबंधक की सहायता करना, कारखाना या उत्पादन एकक/स्कन्ध कार्य प्रभारी।

महाप्रबंधक :—दूरसंचार कारखाना के प्रधान कारखाना के सामान्य प्रशासन, उत्पादन, आयोग अनुशासन आदि के समग्र, नियंत्रण हेतु उत्तरदायी।

16. भारतीय इंजीनियरिंग ग्रुप 'क' सेवा :

नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए, परिवीक्षा आधार पर होंगी।

किन्तु शर्त यह है कि इस संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकता है।

अगली शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु कोई निर्णय परिवीक्षा की पहली अवधि के समापन के बाद सामान्यतः आठ सप्ताहों के अन्दर किया जायेगा और संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के अन्दर लिखित रूप में सूचित कर दिया जायगा।

परिवीक्षा अवधि तथा उसकी किसी वृद्धि के समापन पर जैसी भी स्थिति हो, यदि सरकार का यह मत हो कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है तो इसके कारण लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएं और सरकार उस अधिकारी को कार्य–मुक्त कर सकती है या उस पद पर वापस भेज सकती है, जिसे वह उक्त सेवा में, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्ति से पहले धारण कर रहा था। परिवीक्षा या बढ़ी हुई, परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण कोर्स पास करना होगा और अनुदेशों का पालन करना होगा तथा परीक्षाएं और परीक्षण पास (इसमें हिंदी की परीक्षा भी शामिल है) करने होंगे जो सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने की शर्त के रूप में निर्धारित किए जाएंगे।

2. नियुक्त किए गए अधिकारियों को भारत और विदेश में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

3. नियुक्त किए गए अधिकारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों के अनुसार भारत और विदेश में ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेशों के विस्तृत पाठ्यक्रमों में जाना पड़ सकता है।

4. इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार नियुक्त किए गए अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि भी शामिल है।

किन्तु उस व्यक्ति को :—

(1) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा।

(2) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

5. वाह्य वेतनमान निम्न प्रकार हैं :—

कनिष्ठ वेतनमान 8000—275—13500 रु०।

वरिष्ठ वेतनमान 10000—325—15200 रु०।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 12000—375—16500 रु०।

चयन ग्रेड 14300—400—18300 रु०।

(कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 18400—500—22400 रु०।

भारत के महासर्वेक्षक 22400—525—24500 रु०।

6. पदों [illegible] उत्तरदायित्वों और [illegible] [illegible]

उप अधीक्षक सर्वेक्षण—भूगणित फोटोग्रामिति मानचित्र कला और अंकीय मानचित्र के क्षेत्रों में अनुभागों/कैम्पों का पर्यवेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य अलग-अलग कार्यकर्ता के रूप में करने के साथ-साथ अनुभाग अधिकारी के रूप में भी करना। यूनिट के तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों कार्यों में प्रभारी अधिकारी (अधीक्षक सर्वेक्षण) की भी सहायता करना।

अधीक्षक सर्वेक्षण—पार्टी के प्रबन्ध करना और अनुशासन रखना, भंडारों की अभिरक्षा करना, रख–रखाव और परिशुद्ध लेखा–जोखा रखना, अपने अधिकार में होने वाली निधि की किफायत से व्यय करना, अपने सभी अधिकारियों और तैनात व्यक्तियों के अपने कार्यों (ड्यूटियों) और कार्यों के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त सर्वेक्षण विधि में उचित प्रशिक्षण देना, समस्त तकनीकी कार्यों का निष्पादन और पर्यवेक्षण करना फील्ड प्रमाणन, फेयर मानचित्रण फोटोग्राफिति और मानचित्रण आदि करना,

उपनिदेशक —निदेशालय का सुचारू और कुशल संचालन करने में क्रियाशील निदेशक की सहायता करना, व्यावसायिक परीक्षणों, सर्किल की विभागीय पदोन्नति, समितियों की बैठकों का आयोजन करने हेतु सभी तकनीकी प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनों तथा विवरणीय की समीक्षा करने, उनको पूरा करने और उन पर निगरानी रखने आदि का दायित्व संभालना, वसूली बोर्डों की बैठकों की अध्यक्षता करना, निविदाओं तथा संविदाओं को अन्तिम रूप देना और निदेशक द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों को सम्पन्न करना।

निदेशक उपनिदेशक चयन ग्रेड—सभी दायित्वों को संभालना, ग्रुप 'ग' के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना, सर्वेक्षण तथा मानचित्रण कार्यों से संबंधित तकनीकी समन्वय करना, निदेशन करना, उनकी देख रेख करना और उन पर निगरानी रखना जिसमें राज्य सरकारों, केन्द्रीय परियोजना प्राधिकारियों आदि को सलाह देना भी शामिल है, वित्तीय प्रबन्ध करना, बजट कार्य करना, निदेशालय के समस्त व्यय पर निगरानी और नियंत्रण करना।

अपर महासर्वेक्षक—अपने प्रभार के अधीन आने वाले सर्किलों के तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, मानव संसाधन विकास, वित्त एवं लेखा कार्य को दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु समग्र दायित्व संभालना। अपने प्रभार के अधीन आने वाले सभी सर्किलों के प्रशिक्षण क्षेत्र और फेयर मानचित्रण आधुनिक मानचित्रण और रेप्रोग्राफी कार्यक्रमों तथा मुद्रण-कार्य को अन्तिम रूप देना, निर्धारित मानकों के अनुसार तकनीकी कार्य की प्रगति पर निगरानी रखना तथा प्रत्येक अवस्था पर [illegible] को सुनिश्चित करना, कार्य की नवीन तकनीकी [illegible] का [illegible] करें, उनको अपनाने [illegible] [illegible] अपने प्रभार में आने वाले [illegible] सर्वेक्षण [illegible] पर [illegible] [illegible]।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th January 1999

No. 111-Pres/98-Corrigendum.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 70-Pres/97, dated 15-8-1997 published in Part 1, Section 1 of the Gazette of India, dated Saturday the 30th August, 1997 :—

At Page 2 Sl. No. 13

For

Shri V. Kaulandairaj
Driver Mechanic
Tamil Nadu.

Read

Shri V. Kulandairaj
Driver Mechanic
Tamil Nadu.

BARUN MITRA
Dy. Secy.

New Delhi, the 15th August 1998

No. 112-Pres/98.—The President is pleased to approve award of Kirti Chakra for acts of conspicuous gallantry to :

1. SHRI BALAI CHANDRA MAITY, WEST BENGAL

(POSTHUMOUS)

(Effective Date of the Award : 5th June, 1996)

On 05-06-1996, around 7.35 P.M., about 15—20 dacoits armed with pipe-guns and bombs etc. raided two jewellery shops situated side by side on the southern side of Egra-Baikul Road at Baikul market under P. S.-Bhupatinagar, Distt. Midnapore and committed dacoity. While the dacoits began to operate in the jewellery shops, the owners of the said shops raised hue and cry. On hearing the hue and cry, the people including Shri Prasanta Maity, Shri Shyamal Tripathi, Shri Balai Chandra Maity and Shri Bhagyadhar Shit started fighting the gang of robbers by resorting to brick-batting. On facing strong resistance from the people led by the above mentioned four persons, the dacoits hurled bombs indiscriminately to scatter the mob. In the mean time, Shri Balai Chandra Maity caught hold of one of the dacoits. Seeing this, another dacoit fired at Shri Maity to make him release the dacoit who was being held by Shri Maity. However, despite the injury, Shri Maity did not release the dacoit. At last the dacoits fled away leaving their gang-member caught by Shri Maity. The mob then assaulted the said dacoit and he was killed. Shri Balai Chandra Maity, however, succumbed to the injuries sustained by him on the way to the hospital.

Shri Balai Chandra Maity thus displayed conspicuous bravery in leading a mob to fight a notorious gang of dacoits and in the process made the supreme sacrifice of his own life.

2. CAPTAIN ANIL KUMAR (SS-36938), 6 DOGRA

(Effective Date of the Award : 11th July 1997)

On 11th July, 1997, at approximately 1230 hours, a patrol led by Captain Anil Kumar encountered a group of five heavily armed foreign militants in high altitude and rugged mountainous terrain, on the Line of Control in Kupwara District, Jammu and Kashmir.

The militants brought down heavy volume of Universal Machine Gun (UMG) and rifle grenade fire onto the patrol. Captain Anil Kumar personally deployed his men tactically and effectively engaged the militants. Soon the militants started withdrawing and dispersing under the cover of heavy fire of their UMG and low hanging clouds which had just started appearing, restricting visibility. The young officer with utter disregard to his own personal safety crawled to a flank to cut off the escape route of one of the militants. This militant spotted the officer at close range and brought down heavy fire on him.

In an act of raw courage and bravery, Captain Anil Kumar rushed towards the militant totally unnerving him and shot him dead at almost point blank range. The other militant with the UMG now pinned down the officer who had by now run out of ammunition and the effective high volume of UMG fire was making it almost impossible for him to move to safety. Captain Anil Kumar crawled towards the dead militant and picked up his AK-47. Displaying extraordinary personal courage in the face of almost certain death, this young officer charged through the hail of UMG fire and in a lightning, swift and offensive action shot the militant dead.

one of the remaining militants started to run, firing on to the officer, in a bid to escape. In an ultimate act of exceptional valour, at great peril to his own personal safety, the officer himself chased the fleeing militant and shot him dead.

Captain Anil Kumar thus displayed outstanding and conspicuous personal bravery, far beyond the call of duty executed with grave risk to his personal safety.

3. MAJOR ASHOK KUMAR SAHRAWAT (IC-41634), 19 RASHTRIYA RIFLES

(POSTHUMOUS)

(Effective Date of the Award : 24th August 1997)

On 24th August, 1997, Major Ashok Kumar Sahrawat was on area domination mission. At 1700 hours, he spotted six militants approaching village Manzgam in Kupwara district of Jammu and Kashmir.

Noticing troops, the militants ran towards the rice fields while firing intermittently. Major Ashok Kumar Sahrawat divided his patrol in two groups. Leading one group, the officer started chase and closed onto the militants. By now he had outrun his troops and sustained bullet injuries.

Undeterred, single-handedly the officer killed two militants. As the troops were closing in, they came under effective fire of hiding militants. Sensing grave danger to his troops, Major Ashok Kumar Sahrawat, although injured, entered the fields firing his weapon and throwing grenades, thereby silencing militants' fire. However, one militant wounded the officer seriously. Before succumbing to his injuries, Major Ashok Kumar Sahrawat killed this militant too. This inspired the troops which resulted in killing of four foreign mercenaries, large recovery of arms and ammunition, besides saving many lives.

Major Ashok Kumar Sahrawat thus displayed bold leadership, exceptional gallantry, indomitable sprit and devotion to duty at the cost of his own life.

4. 4176880 NAIK GOPAL SINGH, 3 KUMAON

(POSTHUMOUS)

(Effective Date of the Award : 29th August 1997)

Based on a specific information, an operation was launched to cordon and search village Chak Fatehpura Tehsil Gandenbal District Srinagar at 10.00 hours on 29th August, 1997. After establishing a tight cordon, the delegated search parties commenced a through search of the village from South to North. During the search operation, the militants hiding in a particular cluster of houses opened fire on one of the search parties with automatic weapons and lobbed a large number of grenades. Naik Gopal Singh who was a part of this search party, displayed raw courage, nerves of steel and immediately returned the fire and killed one militant on the spot. Simultaneously another militant was also shot dead by accurate and steady volume of fire by Naik Gopal Singh.

The cornered militants, in a last ditch effort tried to break through the house cordon with indiscriminate fire. During this fire fight, Naik Gopal Singh received Gun Shot Wound on left of abdomen. But unmindful of his injuries and with total disregard to his personal safety he continued to dominate the position occupied by the third militant who was firing indiscriminately from within a house. On spotting the militant Naik Gopal Singh charged into the house and shot the militant dead with accurate fire. Naik Gopal Singh was promptly evacuated to the Base Hospital, where he succumbed to his injuries at 1530 hours on 29th August, 1997.

Naik Gopal Singh thus displayed gallant and heroic act and made the supreme sacrifice befitting the highest tradition of the Indian Army.

5. 4263622 NAIK VISHWA KERKETTA, 17 BIHAR (POSTHUMOUS)

(Effective Date of the Award : 20th October 1997)

A specific search operation was launched in Wandahama village, District Srinagar of Jammu and Kashmir on 20-21 October, 1997. The savage and belligerent militants fortified themselves in a two storeyed house, which dominated the area and afforded an excellant field of fire which made it almost impregnable.

Militants brought down heavy, intense and effective fire on the troops who were unable to progress the operation even under supporting fire of Medium Machine Guns and Grenade Launchers. To overcome the stalemate, Naik Vishwa Kerketta displaying unparalleled courage, with utter disregard to his personal safety, undaunted by heavy militants' fire charged through the screen of bullets and in a swift and daring action lobbed grenades through the window, resulting in killing of two militants and grievously wounding the third, whom he shot dead with his personal weapon at close range.

The fourth militant feeling isolated and trapped jumped out of the window firing indiscriminately during which Naik Kerketta was wounded grievously. Unmindful of the grievous injury Naik Vishwa Kerketta charged towards the militant and shot him in a fierce face to face gun battle, injuring the militant who died later.

Naik Vishwa Kerketta had single handedly killed four hard core militants which included two foreign militants. He later succumbed to the grievous injuries at 1900 hours sustained during this gallant action.

Naik Vishwa Kerketta thus displayed conspicuous act of bravery and made the supreme sacrifice in the best tradition of the Indian Army.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 113-Pres/98.—The President is pleased to approve the award of Vir Chakra for acts of gallantry in face of enemy to :

1. Flight Lieutenant Bhupinder (21545)
Flying (Pilot).

(Effective Date of Award 22nd October, 1997)

Flight Lieutenant Bhupinder is on the posted strength of 114 Helicopter Unit, Air Force since 25th March, 1996. During this tenure he has flown 380 hrs in inhospitable terrain of Siachen Glacier without any accident/incident.

On 22nd October, 1997 Cheetah Z-1457 force-landed at Amar helipad. Consequently, the helicopter had to be recovered from the site which was at 19,250 feet and also under constant enemy shelling. Flt. Lt. Bhupinder was detailed as co-pilot in this recovery operation on 24th October, 1997, he alongwith his Captain were landed at Amar helipad. Despite sporadic enemy shelling, he assisted his captain in starting up the aircraft and executing a safe take off, thereby displaying courage and professionalism of a very high order. The aircraft was subsequently flown back to Base camp safely.

On 26th October, 1997 he was detailed as captain for an airmaintenance sortie to Bila helipad. While unloading at the helipad, his aircraft came under heavy shelling. His co-pilot Flt Lt. A K Kurian (121730) F (P) sustained a sharpnel injury in the leg and the aircraft itself suffered debris damage. Flt Lt Bhupinder maintained his composure and quickly carried out a take off. He safely flew the extensively damaged aircraft to Base camp. Post flight inspection revealed heavy damage to main rotor blades, airframe and perspex.

Flt. Lt. Bhupinder has, thus, consistenly displayed courage and professionalism of a very high order in adverse conditions in the face of enemy.

2. Major Naveen (IC-50881)
11 Jammu and Kashmir Rifles.

(Effective date of award 2nd November, 1997).

On 1st November 1997, Major Naveen, Team Commander was tasked to destroy an enemy post at an altitude of over 13,000 feet on the Line of Control (L.C.) in the Uri Sector of Jammu & Kasnmir which was being used as a launch pad for infiltration of militants in the valley.

Major Naveen planned to physically raid the post, with a small dedicated team of soldiers, adopting the most hazardous approach march over high altitude terrain, to negotiate the snow covered route with speed, and reached the selected patrol Base on the L.C. by early hours on 2nd November, 1997.

After deploying the raiding parties, Major Naveen personally led the demolition team, crawling in deep snow, to close in with the post. After the sentry was successfully silenced by a party member, Major Naveen crawled through a snow covered mine field and personally placed the demolition charges on two enemy bunkers. The charges were successfuly detonated at 0900 hours on 2nd November, 1997 causing destruction to two bunkers and inflicting 4-5 casualties on enemy soldiers.

The enemy reacted with heavy automatic fire on the raid party, after the blasts. Displaying a high degree of inspiring leadership and combat composure, Major Naveen safely moved his raid party to own side of the L.C. The operation resulted in a major blow to enemy's infiltration designs in the Uri Sector.

Major Naveen, thus, displayed gallantry, audacious fighting spirity by personally placing the demolition charges on enemy bunkers across the L.C., at grave risk to his own life which was an act beyond the call of duty.

3. 13743320 Havildar Kashmir Singh Thakur
11 Jammu and Kashmir Rifles.

(Effective date of award 2nd November, 1997).

On 1st November, 1997, Havildar Kashmir Singh was selected as a member of the raid party, for a trans Line of Control (L.C.) operation on an enemy post in the Uri Sector. This post was being used as a launch pad for infiltration of militants in the Valley.

After adopting the most hazardous route, through rugged snow clad high altitude mountains, the raiding party reached the Patrol Base by early hours on 2nd November, 1997. Havildar Kashmir Singh was tasked to silence the sentry, which was the bed rock of the successful raid.

Havildar Kashmir crawled through a snow covered mine field, in sub zero temperature, to close in with the sentry. With utter disregard to personal safety, he totally surprised the sentry by pouncing on him and choking him to death. Thereafter, he stayed on near the sentry post till first ligh., to monitor any movement, till all demolition charges had been placed by the raiding party. The raid caused a major blow to the enemy's infiltration designs in the Uri Sector.

Havildar Kashmir Singh Thakur, thus, displayed outstanding qualities of combat boldness and aggressiveness, indefatigable will, exemplary courage and conspicuous gallantry in the face of enemy.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 114-Pres/98.—The President is pleased to approve award of Shaurya Chakra for acts of gallantry to :

1. Shri Raju Ankam Samayya, (Posthumous)
Maharashtra.

(Effective Date of the Award : 19th March, 1995).

On 19th March, 1995, the students of Guru Govindsingh College of Engineering & Technology went on picnic to Sahastrakund Water fall in Nanded District. Some Students entered into Painganga river just 15 feet above Sahastrakund

Water fall. On that day the water currents were swift and the water level was waist deep since more than usual quantity of water was let out of the dam owing to heavy rain fall. As the stones were covered with moss, one girl student slipped and fell into the strong water current and was being carried towards the nearby water fall. Seeing this some of the students raised an alarm. Shri Raju Ankam Samayya, one of the students, jumped into the river to save the life of the girl at the risk of his own life. In this attempt, he was himself got wounded by stones on the river bed before managing to reach the girl. He could not, however, rescue her due to the swirling and strong water currents and was himself taken away. Both were pushed over the water fall and fell about 50 feet on stones slab below and met with tragic death.

Shri Raju Ankam Samayya showed exemplary courage and made the supreme sacrifice of his own life in an attempt to save the life of a girl student.

2. Shri Bhagyadhar Shit, (Posthumous)
West Bengal.

(Effective Date of the Award : 5th June, 1996).

On 05/06/1996, around 7.35 P.M., about 15—20 dacoits armed with pipe-guns and bombs etc. raided two jewellery shops situated side by side on the southern side of Egra-Bajkul Road at Bajkul market under P.S.—Bhupatinagar, Distt.—Midnapore and committed dacoity. While the dacoits began to operate in the jewellery shops, the owners of the said shops raised hue and cry. On hearing the hue and cry, the people including Shri Prasanta Maity, Shri Shyamal Tripathi, Shri Balai Chandra Maity and Shri Bhagyadhar Shit started fighting the gang of robbers by resorting to brick-batting. On facing strong resistance from the people led by the above mentioned four persons, the dacoits hurled bombs indiscriminately to scatter the mob. One of the bombs hurled by the dacoits hit Shri Bhagyadhar Shit. He received serious bomb injuries and succumbed to his injuries on the way to the hospital.

Shri Bhagyadhar Shit thus displayed conspicuous bravery in leading a mob to fight a notorious gang of dacoits and made the supreme sacrifice.

3. Shri Prasanta Maity, West Bengal
(Posthumous)

Effective Date of the Award : 5th Jth June, 1996

On 05-06-1996, around 7.35 P.M. about 15—20 dacoits armed with pipe-guns and bombs etc. raided two jewellery shops situated side by side on the southern side of Egra-Bajkul Road at Bajkul market under P. S.—Bhupatinagar, Distt. —Midnapore and committed dacoity. While the dacoits began to operate in the jewellery shops, the owners of the said shops raised hue and cry. On hearing the hue and cry, the people including Shri Prasanta Maity, Shri Shyamal Tripathi, Shri Balai Chandra Maity and Shri Bhagyadhar Shit started fighting the gang of robbers by resorting to brick-batting. On facing strong resistance from the people led by the above mentioned four persons, the dacoits hurled bombs indiscriminately to scatter the mob. One of the bombs hurled by the dacoits hit Shri Prasanta Maity. His head was smashed and he died on the spot.

Shri Prasanta Maity thus displayed conspicuous bravery in leading a mob to fight a notorious gang of dacoits and made the supreme sacrifice.

4. Shri Shyamal Tripathi, West Bengal
(Posthumous)

Effective Date of the Award : 5th June, 1996.

On 05-06-1996, around 7-35 P.M., about 15—20 dacoits armed with pipe-guns and bombs etc. raided two jewellery shops situated by side on the southern side of Egra-Bajkul Road at Bajkul market under P. S. —Bhupatinagar, Distt. Midnapore and committed dacoity. While the dacoits began to operate in the jewellery shops, the owners of the said shops raised hue and cry. On hearing the hue and cry, the people including Shri Prasanta Maity, Shri Shyamal Tripathi, Shri Balai Chandra Maity and Shri Bhagyadhar Shit started fighting the gang of robbers by resorting to brick batting. On facing strong resistance from the people led by the above mentioned four persons, the dacoits hurled bombs indiscriminately to scatter the mob. One of the bombs hurled by the dacoits hit Shri Shyamal Tripathi and he died on the spot.

Shri Shyamal Tripathi thus displayed conspicuous bravery in leading a mob to fight a notorious gang of dacoits and made the supreme sacrifice.

5. Captain Babru Bhan Yadav (IC-50996),
8 Assam rifles.

Effective Date of the Award : 22nd April, 1997.

On 22nd April, 1997 during a cordon and search operation in Kather Village in Nagaland, Captain Babru Bhan Yadav was fired upon by the underground from a dominating height. He immediately made a mental appreciation of the situation and after giving quick orders to his troops charged at the underground making intelligent use of the ground from a flank.

The Officer personally led the assault and stood in the full face of the hostile fire. Unmindful of his personal safety he was able to shoot and kill one underground. Another underground tried to break the contact in panic and jumped into the nala. Captain Babru Bhan Yadav also jumped into the nala and kept on chasing the underground who was firing and running simultaneously. Captain Babru Bhan Yadav closed in on the underground and shot him down. His unflinching courage in the face of sustained and heavy enemy fire motivated other members of his group to assault the underground's position successfully. The encounter lasted for ten minutes during which a heavy exchange of fire took place, and the underground fled in panic leaving behind large quantity of arms and ammunition and the dead bodies of two undergrounds.

Captain Babru Bhan Yadav thus displayed untiring zeal, courageous leadership in fighting with the undergrounds.

6. Major Velayudhan Sreehari (IC-44515),
31 Rashtiya Rifles.

Effective Date of the Award : 11th June, 1997.

On a tip-off about the likely presence of Anti National Elements 'A' Team under Major Velayudhan Sreehari laid two intelligently planned ambushes in Mandu Gala District Rajouri of Jammu and Kashmir.

At dawn on 11th June, 1997, two militants were spotted by the ambush led by Major Velayudhan Sreehari who closed the distance alongwith his buddy and killed one of the militants. The other was later shot dead by the other ambush party. This alerted the remaining militants who started firing from adjoining dhoks. Major Velayudhan Sreehari immediately organised covering fire and crawled towards a dhok. Bravely managing to climb the roof, he swiftly lobbed three grenades that killed two militants inside the dhok. Meanwhile, another militant who was observed escaping, taking cover of civilians, was chased by Major Velayudhan Sreehari and was shotdead by him after a pursuit of approximately 200 meters. The success of this operation which resulted in the elimination of five hard-core militants and large recoveries is attributable to the Officer's personal bravery, valiant leadership and his coolness under trying circumstances.

Major Velayudhan Sreehari thus displayed exceptional gallantry, indomitable sprit in fighting with the militant.

7. Code No. 1668 Casual Paid Labourer
Smt. Phulbati, Brdb.
(Posthumous)

Effective Date of the Award : 6th July, 1997.

Casual Paid Labourer (CPL) Phulbati, of detachment Khantlang on Road Phuldungsei-Gobindbari, which is a militancy prone area, along with Code No. 217 CPL Mani Ram, was deployed for security of a Road Roller belonging to the Border Roads Organisation. On 6th July, 1997 while on duty, three armed militants approached the road roller around 2100 hours with the intention of stealing the battery

and other parts. Smt. Phulbati Shri Mani Ram valiantly resisted attempts by the miscreants to take the parts, despite the imminent threat to their lives. The militants attacked both of them with clubs and other sharp edged instruments and mercilessly inflicted deep cuts to the body of Smt. Phulbati. When she still showed resistance, her head was severed, causing her death. The resultant commotion forced miscreants to flee without taking the road roller parts.

The extra ordinary courage and selfless devotion to duty of the highest order displayed by Smt. Phulbati, who saved Government property even by sacrificing her life, is commendable and emulative by other.

8. 3992650 SEPOY SURAJ PRAKASH, 6 DOGRA. (POSTHUMOUS)

Effective Date of the Award : 11th July,1997.

On 11th July, 1997, at approximately 1230 hours a patrol encountered a group of five heavily armed foreign militants who had infiltrated close to the Line of Control in Kupwara District of Jammu and Kashmir.

Sepoy Suraj Prakash alongwith four other jawans was ordered to search an area consisting of treacherous slopes and very difficult terrain strewn with boulders and bushes in poor visibility. Sepoy Suraj Prakash volunteered to lead the search party. Having advanced 100 metres, the search party suddenly came under a very heavy volume of accurate fire from two militants who had taken cover in the close vicinity. Sepoy Suraj Prakash received a lethal burst of AK-47 bullets in his stomach which temporarily incapacitated him. In an act of most conspicuous bravery, unmindful of his injury and bleeding profusely, Sepoy Suraj Prakash charged towards the militants firing his weapon. At this point he was again hit by a militant bullet in the abdommen due to which he fell down. In a feat of rare courage, and extraordinary gallantry, this brave young soldier clutched his stomach with one hand and crawled to within 8 to 10 metres of the militants and shot them both dead with a burst from his AK-47 before he himself fell unconscious. Later he succumbed to his injuries while being evacuated.

Sepoy Suraj Prakash displayed remarkable courage of the most exceptional order, for beyond the call of duty and made the supreme sacrifice while fighting the militants.

9. 2600476 HAVILDAR RAGHU NATH, 26 ASSAM RIFLES

Effective Date of the Award : 15th July, 1997.

On 15/16th July, 1997 based on specific information regarding the presence of an important militant leader in area of City Tower Junction in Dimapur town in Nagaland, an operation was launched. A large number of houses were cordoned. Havildar Raghu Nath was a member of the cordon party.

At about midnight, some noise of a person running on a tin-shed roof was head. Havildar Raghu Nath sprinted in that direction to block the escape route. The militant, in a 'do or die' attempt, opened fire to break through the cordon and jumped on the road. Havildar Raghu Nath received one gun shot wound on his left hip. Inspite of his severe injury, profuse bleeding and poor visibility, he kept chasing the militant with total disregard to his personal safety, opened fire while running and did not allow him to break contact. Though the militant was injured, yet he kept running till another jawan encircled him from front and both of them killed the militant on the spot. One pistol with three live rounds was recovered from his body.

Havildar Raghu Nath thus displayed dogged determination, high sense of commitment and courage beyond the call of duty.

10. MAJOR PRAMOD KUMAR YADAV (IC-38430), 3 ASSAM RIFLES

Effective Date of the Award : 21st July, 1997.

Major Pramod Kumar Yadav was performing duties of 'E' Company Commander. On 21st July, 1997, a joint operation was launched by Sector Headquarters in village Watshan in Srinagar District of Jammu and Kashmir. During the fire fight, two militants were killed.

Third foreign militant rushed unnoticed towards the party of Major Pramod Kumar Yadav, who were closing in with the militant's hideout. Suddenly the militant and Major Yadav's party came face to face at a very close range.

The militant reacted by opening fire at the body gaurd of the Company Commander. Major Yadav displaying raw courage and presence of mind lunged forward and grabbed the barrel of AK-47 of the militant with his left hand and shot him dead with the Carbine using his right hand, thus saving the life of his soldier. Major Yadav received burn injuries on his right hand. The encounter was at such a close range that Major Yadav's face and uniform were spatted with blood of the slain militant.

Major Pramod Kumar Yadav thus displayed dauntless cool courage, indomitable sprit and devotion to duty in the face of extreme danger.

11. CAPTAIN AJAY PASBOLA (IC-48216) 31 RASHTRIYA RIFLES.

Effective Date of the Award : 29th July, 1997.

On 29th July, 1997 around 2000 hours on a tip off about the presence of militants in the general area of Vewan in District Baramulla in Jammu and Kashmir a party under Captain Ajay Pasbola moved out to apprehend the militants. The team was surreptitiously led into the area after a nine-hours march over inhospitable and rugged terrain.

Skillful interrogation of villagers by the team Commander divulged the likely location of an Anti National Element (ANE) hideout. Captain Ajay Pasbola, displaying indefatigable stamina and dedication immediately proceeded with his Commandos towards the hideout located at about four hour marching distance. When the party noticed two militants enroute, a fierce firefight ensured. Captain Ajay Pasbola moved in the face of accurate and effective fire to a dominating feature barely 15 metres away and shot down one ANE while in a hand to hand combat overpowered the other. The ANE later succumbed to his injuries but not before he was forced to led the party to the hideout.

On approaching the hideout another militant put up a spirited fight, with Machine Gun fire and lobbed hand grenades from within. Captain Ajay Pasbole assessed the situation and immediately crawled to the mount of the hideout, lobbed two hand grenades, entered the hideout and killed the militants at point blank range. The operatio under his astute leadership resulted in elimination of three hard-core militants, two of them personally by him, recovery of huge arms, ammunition and equipment.

Captain Ajay Pasbola, thus, displayed spiteful leadership and gallantry of higheset order in the face of the militants.

12. MAJOR MURALEE DHARAN NAIR MM (IC-44632)

30 ASSAM RIFLES.

Effective Date of the Award : 5th August, 1997.

On 05/06th August, 1997 on specific information regarding presence of a United National Left Front (UNLF) hideout Major Muralee Dharan Nair MM led a column for an operation after detailed planning traversing over six hours in pitch dark night in difficult mountainous terrain, thick vegetation and extremely adverse weather condition in village Ththilone, District Imphal, Manipur.

The column approached the suspected hideout area with stealth and caution to maintain surprise. After carrying out quick appreciation the officer planned the final assult at about 0430 hours on 06 August, 1997 when all groups were in position. Major M D Nair personally led the main assult column making good use of ground and cover thereby achieving total surprise. As he was clearing a hut he came face to face with an injured underground who levelled his AK-47 rifle and tried to fire the officer. Major M D Nair in a brave act of dare deviltry with total disregard to his personal safety dashed forwarded literally pushing the barrel of the underground's weapon and shot dead the hard-core underground. In the complete operation the column recovered huge quantity of Arms and Ammunition which is a record catch in the history of insurgency in Manipur.

Major Menake Dharan Nair MM thus displayed meticulous planning inspiring leadership, extraordinary courage with total disregard to his personal safety.

13. 4465089 Sepoy Raunaki Singh, 19 Rashtriya Rifles. (Posthumous)

Effective Date of the Award : 12th August, 1997.

On specific information, on 12th August, 1997 a cordon and search operation in the Village Duhom of Kupwara District in Jammu and Kashmir was launched.

During the operation Sepoy Raunaki Singh spotted suspicious movements in a house. Immediately that house was cordoned off. As Sepoy Raunaki Singh was entering this house with his buddy militants hurled a grenade on them. Dashing inside Sepoy Raunaki Singh encountered militants, who while firing were running upstairs. Sepoy Raunaki Singh killed one militant but sustained bullet injuries. Bleeding profusely he followed other militants and fatally wounded second militant. During this act Sepoy Raunaki Singh sustained head shot injury and died instantaneously. The killed militant was later identified as a Platoon Commander of a militant group. Detailed house search revealed huge quantity of explosives thereby averting a possible blast on the Independence Day.

Sepoy Raunaki Singh displayed dare devil courage, devotion to duty and made the supreme sacrifice for the Nation.

14. Major Ashish Bhatnagar (IC-48109), 6 Sikh Light Infantry. (Posthumous)

Effective Date of the Award : 16th August, 1997.

During an operation on 16th August, 1997, Major Ashish Bhatnagar was on operational duty in the sensitive Lasian Enclave in Gurdaspur District near Ravi River on the Indo-Pak Border.

At about 1745 hours, during an operational mission, the boat carrying officer and his nine comrades capsized in Ravi River. A commando instructor with reputation of instinctively leading from front, Major Ashish Bhatnagar leapt into the strong current and gave his own life jacket to another officer and then rescued him from impending death.

Again, with electrifying speed, with utter disregard to personal safety, Major Ashish Bhatnagar rescued another drowning soldier alongwith his weapon from the strong undercurrent and steadrastly continued the rescue effort to save others till he himself was trapped in strong undercurrents. While embracing a hero's death, the safety of his comrades was the uppermost in his mind, his last words being "hold on, you will be rescued" and "do not follow me, undercurrents here are very dangerous".

Major Ashish Bhatnagar, thus, displayed conspicuous bravery, exemplary courage and made supreme sacrifice for his comrades.

15. GS-124461X Operator Excavating Machinery Gobind Singh. BRDB. (Posthumous)

Effective Date of the Award : 16th August, 1997.

Operator Excavating Machinery (OEM) Gobind Singh, of 162 Formation Cutting Platoon under 86 Road Construction Company of Project Swastik, was in charge of a Dozer deployed for excavation of works on Road Sambling-Toong, in Sikkim.

The Road Chungthang-Lachung, was closed at Km 20.60 due to heavy landslide, between 12 to 15 August, 1997. The continuously active landslides and shooting stones, prevented the deployment of resources during this period. Closure of road Chungthang-Lachung being the only link, was a cause of great suffering and misery for the effected civil population.

The challenging task of clearing the landslide, was entrusted to OEM Gobind Singh, on 16th August, 1997. Showing exemplary courage, fortitude and an exceptionally high sense of devotion to duty, alongwith a touch of missionary zeal, OEM Gobind Singh completed the job by late evening despite shooting stones still hurling down. Shri. Gobind Singh was hit by one such boulder and was fatally injured. He as evacuated to the nearest ADS, where he was declared dead.

OEM Gobind Singh thus displayed a rare sense of devotion to duty, determination in the face of heavy odds, undaunting courage and laid down his life in the highest traditions of the Border Roads Organisation.

16. Second Lieutenant Sarsar Mukund M (IC-56867), 17 Bihar.

Effective Date of the Award : 24th August 1997

On 19th August, 1997, during search of village Barsu, District Srinagar in Jammu and Kashmir. Second Lieutenant Mukund and his party came under heavy automatic fire from two houses about 250 meters apart. The officer reacted swiftly and crawled to one of houses.

Totally unmindful of the hail of bullets from both houses, he lobbed grenades through a window injuring one of the militants, who jumped into the paddy fields to escape. The officer displaying high degree of anticipation, intercepted and killed him at point blank range. Meanwhile other two mintants were firing indiscriminately at his party trapped between the two houses.

Second Lieutenant Mukund readjusted his troops to bring down devastatingly accurate fire injuring both of them. Feeling trapped, the militants crawled outside to a ditch and started throwing grenades at his party. The officer closed in swiftly by crawling to a dominating position and single handedly killed both the militants in a close quarter gun fight. In the operation three rifles AK and ammunition were recovered.

Second Lieutenant Mukund M with utter disregard to his personal safety displayed dogged determination, indomitable courage and high standard of military leadership in the face of heavy fire.

17. Colonel Pradeep Singh Rathee (IC-34458), 17 Bihar.

Effective Date of the Award : 24th August, 1997

On 24th August, 1997 on receipt of specific information about presence of foreign mercenaries in village Wandhama in District Srinagar of Jammu and Kashmir, Colonel Pradeep Singh Rathee the commanding officer rushed to the village and supervised positioning of cordon to seal all escape routes.

Sensing danger, the militants in a desperate bid to escape attempted to break through the cordon firing indiscriminately at the commanding officer's party. Colonel Pradeep Singh Rathee unmindful of life and limb, brought down an intense and accurate automatic rifle fire on the fleeing militants and shot two of them dead. Remaining two militants hid behind the boulders and carried out intermittent firing. Colonel Pradeep Singh Rathee identifying the boulders behind which the militants were hiding crawled alongwith his buddy out-flanked the militants position in a premeditated manner and lobbed two hand-grenades at he militant's position. As one of the injured militant, in a desperate bid, charged at the Commanding Officer firing indiscriminately. Colonel Pradeep Singh Rathee shot the militant dead in a close quarter gun battle. In the operation, the officer killed three hard-core militants and recovered three AK Rifles and ammunition.

Colonel Pradeep Singh Rathee thus displayed combat tenacity, tactical acumen and bravely leading his men from the upfront.

18. 4464942 Naik Satpal Chand, 19 Rashtriya Rifles. (Posthumous)

Effective date of the Award : 24th August 1997.

On the 24th August, 1997, Naik Satpal Chand rushed as part of reinforcement party to Manzgem village, Kupwara District of Jammu and Kashmir, whereon encounter with militants was reported.

On reaching the site they learnt that a seriously wounded officer was under militant's fire and needed immediate evacuation. While Naik Satpal Chand and other provided covering

fire, other team members moved forward to extricate the wounded officer. They soon came under militants automatic fire and grenade causing serious injuries to the party.

Realising danger to their lives Naik Satpal Chand with cool nerves, charged into the hail of militant's fire and killed one foreign mercenary. Despite his own grievous injuries, Naik Satpal Chand kept firing and throwing grenades at the militants. This daring act unnerved the militants, and forced them to flee, thus facilitating speedy evacuation at the cost of his life. Later Naik Satpal Chand's body was found barely a meter away from dead militant on 24th August 1997.

Naik Satpal Chand thus displayed pre-eminent valour and spirit of self sacrifice in fighting with the militants.

19. Major Jitender Singh Shekhawat (IC-47112), 34 Rashtriya Rifles

Effective Date of the award 8th September 1997

On 08 September 1997 an operation was launched with multiple company columns to comb the thickly wooded steep mountains of Drang forest in District Badgam in Jammu and Kashmir. Major Shekhawat proceeded on the given route and reached the Keochbal Dhoks.

While closing in on the dhoks a militant emerged from a dhok with great presence of mind and precision the officer shot him dead. He at once closed in on the dhok from which auto fire was emanating and at a grave personal risk, lobbed a grenade inside killing the second militant. At this juncture, three other militants charged out of an adjoining Dhok, firing indiscriminately. Due to this an other rank who was barely two meters away from major Shekhawat got gun shot wounds and collapsed and the officer was struck with a burst through his left thigh.

Although wounded severely, he returned the fire injuring a third militant and continued to direct his men to keep the militants pinned down preventing their escape. He kept the situation under control till another Company arrived and the remaining militants were neutralised. The officer by his action not only neutralised three militants single-handedly but ensured that others did not escape.

Major Jitender Singh Shekhawat, thus, displayed the highest degree of courage and tactical acumen in fighting with the militants.

20. 14400970 Lance Naik Sawinder Singh, 25 Rashtriya Rifles (Posthumous)

Effective Date of the award 8th September 1997

On 08 September 1997 Lance Naik Sawinder Singh was the leading scout of a column in an operation launched in Kankiriced forests of Doda District in Jammu and Kashmir.

At 0915 hours while advancing deep inside the jungle he observed four militants fleeing. He immediately chased and fired at the militants with utter disregard to his personal safety. The militants resorted to indiscriminate firing and in the ensuing action Lance Naik Sawinder Singh was hit by a burst of AK-56 rifle on his abdomen. Undeterred and unmindful of his personal safety he crawled forwarded and pounced on the fleeing militants shooting one dead and critically injuring another. While making the supreme sacrifice himself.

Lance Naik Sawinder Singh displayed exceptional bravery, grit, determination and made the supreme sacrifice in the best traditions of the Indian Army while fighting with the militants.

21. JC-578526 Naib Subedar Bansi Lal Sharma, Jammu & Kashmir Rifles

(Posthumous)

Effective Date of the award 14th September 1997

On the night of 14/15 September 1997 on specific intelligence a Company was tasked to carry out search and seek encounter operation at village Pethpir (Sopore Tehsil) District Baramulla in Jammu and Kashmir.

Naib Subedar Bansi Lal Sharma was tasked to cordon and search a double storey concrete house with his platoon. Move of this platoon drew heavy column of fire from the militants who were hole up on first floor of another house. Immediately Naib Subedar Bansi Lal Sharma under the covering fire of his buddy crawled forward and lobbed a hand grenade inside a room staked with hay, setting the house aflame thus forcing the militants to rush to the ground floor. During the intense fire fight on 14th September, unmindful of personal danger Naib Subedar Bansi Lal Sharma charged forward to within 20 metres of the house, lobbed a grenade and sprayed the room with his AK-47 rifle fire resulting in killing of two dreaded hard-core militants. In this encounter he himself got fatally wounded, and later succumbed to his injuries at 2230 hours. Arms and ammunition were recovered from the killed militants.

Naib Subedar Bansi Lal Sharma thus displayed gallantry of highest order in the best tradition of the Indian Army and gave a severe blow to the militants organisation.

22. 183807 Rifleman Ashok Kumar Gurung, 18 Assam Rifles

Effective Date of the award 23rd September 1997

On 23rd September, 1997 Rifleman Ashok Kumar Gurung was part of patrol in a civil vehicle when it was ambushed by outlawed militants at Belchara in the Eastern Sector at 0850 hours. Rifleman Gurung showing extreme fortitude jumped out of the vehicle inspite of the danger to his own life from heavy volume of militant fire, took up position on ground and immediately engaged the undergrounds.

Suddenly, one hand grenade lobbed by the Underground's landed near him and he was struck by a splinter in his thigh. Inspite of bleeding profusely, Rifleman Ashok Kumar Gurung took over the Light Machine Gun of his dead comrade and immediately brought on a heavy volume of fire on the ambush site. The Undergrounds who were approaching the fallen vehicle were jolted by this sudden volley of fire and fled after being injured. Rifleman Gurung refused himself to be evacuated till all the Undergrounds were killed and his comrades evacuated. This exceptional fortitude galvanised the balance of the Quick Reaction Team who later in a joint action with Border Security Force killed four Undergrounds and recovered four potent weapons. This single act of Rifleman Gurung alone was responsible for the success of counter ambush on the Undergrounds and prevention of loss of any weapon/equipment of the patrol party.

Rifleman Ashok Kumar Gurung thus, displayed exceptional bravery and valour with absolute disregard to personal safety while fighting the Undergrounds.

23. 2474659 Naik Chiranjiv Lal, 13 Punjab (Posthumous)

Effective Date of the award 18th October, 1997.

On 18th October, 1997, Naik Chiranjiv Lal was commanding a section during cordon and search operation at Rajpora district Pulwama in Jammu and Kashmir. Considering his undoubted bravery and selfless dedication he was placed in the inner cordon.

At 1830 hours Naik Chiranjiv Lal effected heavy fire on the militants who had by now pinned down his section. Sensing grave danger to this comrades, disregarding his personal safety; he crawled towards the militants and killed one. Simultaneously other militant fired and shot him in the arm. Not caring for his life and in order to save his men from heavy and accurate fire being brought on them, he inched forward and pounced upon militant engaging him in close quarter battle which resulted in death of the militant. The valiant solider, however, succumbed to his injuries on 18th October, 1997.

Naik Chiranjiv Lal displayed exemplary initiative, zeal and unparalleled courage and saved the lives of his comrades at the cost of his own life.

24. Major Sajjan Singh Gahlawat (IC-47700), 9 Madras (Posthumous)

Effective Date of the award 23rd October 1997

On 23rd October, 1997 when Major Sajjan Singh Gahlawat was carrying our search of village Sangilian in the Northern

sector when he was fired upon by the militants in which one non commissioned officer was injured.

Realising extreme danger to his comrades, who were caught in the open and were in a position of disadvantage against the militants. Major Gahlawat, in a daring move dashed to engage the militants from a flank so that an injured committee could be evacuated. He then with absolute disregard to his personal safety, unflinchingly advanced in bail of bullets and lobbed a grenade into the hideout. During this act, he was grievously injured by a burst of fire. Despite being critically wounded, the refused to be evacuated and continued to engage the militants and divert the militants fire away from own troops which facilitated extrication of his party to safe position. He, however, succumbed to the injuries.

Major Sajjan Singh Gahlawat. thus, displayed indomitable courage and grit, initiative of outstanding order and made the supreme sacrifice while fighting the militants.

25. Major Kanwar Jaideep Singh (IC-45120), SM, 5 Dogra

Effective Date of the award 5th November, 1997

On 05 November, 1997, major Kanwar Jaideep Singh encountered two motorcycle borne terrorists in Tihu Town in Assam. In a classic chase in a single vehicle, the officer despite being under fire, killed an ULFA Area Commander and injured another.

Again on 14 December 1997, the officer chased three militants in area Borbori initially on a vehicle and later on foot and killed one with utter disregard to his safety from the grenade thrown on him by the militant.

In a repeat and dare devil act the officer, while leading only two jawans, killed a militant Area Commander of Barimakha area on 08 February, 1998 and recovered tow Chinese Grenades.

The leadership qualities of the officer came to the fore when he as officiating Commanding Officer, inspired his subordinates in two successful operations on 21/22 September, 1997 and 07/08 October, 1997. Four BLTF and three ULFA militants were killed and three BLTF and one ULFA militant was arrested. One US Carbine, one US made Pistol and .38 revolver were recovered.

Major Kanwar Jaideep Singh, SM thus. displayed exemplary courage, conspicuous bravery and leadership of the highest order.

26. Major Ajay Singh Chauhan (IC-42464), SM. 3 Mahar

Effective Date of the award 13th November, 1997

On 12th November, 1997 a reliable source reported to Major Ajay Singh Chauhan that a militant group had concentrated in Bar Chapari. a river enclave between Subansiri and Chaggar River in North Lakhimpur, Assam.

The group under the hard-core militant was reported to have infiltrated from Majuli to carry out extortion and intimidation of the local businessmen. Major AS Chauhan debriefed the source and immediately formulated a plan. In the meantime a Quick Reaction Team (QRT) under another officer was activated which was told to be prepared to move at a short notice. The QRT was devided into two teams of which one was led by Major AS Chauhan. The party on reaching the ambush site, took position in two farm bamboo huts and laid in wait.

At about 1000 hours the next day a group of four armed militants crossed over the Ghaggar River in two separate boats and came up on the river bank where the ambush was laid. Major AS Chauhan challenged the militants who took position and opened fire. Major AS Chauhan jumped for cover simultaneously firing a volley from his AK-47 rifle. As the militants were spread out and had taken position near the river bank. Major AS Chauhan decided to eliminate them. He formed a buddy pair with an other rank and charged through an open patch of 75 metres and shot down the militant. The militants fell into the river and their bodies were swept into the river. Not satisfied with the kills, Major AS Chauhan quickly organised the search of the river bed using fishing nets and country boats. In the search weapons/ammunition were recovered.

Major Ajay Singh Chauhan, thus, displayed exemplary leadership qualities, fearlessness and extreme restraint in the face of danger.

27. 13615366 Havildar Rajbir Singh, 9 Para

Effective Date of the award 19th November, 1997

On 19th November, 1997, Havildar Rajbir Singh was assigned commander of a team operating in Poonch district (Jammu and Kashmir). Based on self generated intelligence the team moved in four columns on a mission in the area of Sauki-Ki-domel.

Havildar Rajbir Singh who was leading one of the column saw three to four militants and immediately ordered his squad to open fire. Realising that the militants would escape into the forest he decided to charge at the militants. The militants were surprised and shocked by this ferocious charge. Havildar Rajbir Singh in the process killed one of the militant with a head shot.

The militant thereafter took advantage of the steep cutting and forest cover and started bringing down heavy fire. The first burst of bullets hit Havilda Rajbir Singh in his arm. He and his squad were exposed and drew intense fire. Havildar Rajbir Singh realising that drastic action was required to prevent his squad from being decimated, rose to the occasion undaunted by his injury and the hails of bullets. He in an act of conspicuous gallantry moved ahead lobbying grenades and killing one more militant. He again suffered serious multiple shrapnel injuries due to militant grenade. Despite bleeding profusely he continued to give instructions to his squad to put down effective fire. His act of daredevilry made the remaining militant flee. The overall operation resulted in killing of three top ranking foreign militants and serious injured to another. In addition three AK-47 rifles and one shoulder fired anti aircraft missile SAM-7 were also recovered.

Havildar Rajbir Singh. thus, displayed gallantry and indomitable course far beyond the call of duty in fighting the militants.

28. Squadron Leader Mohamed Shaiahan Mohamed Nasser. (17012) Flying (Pilot)

Effective date of the award 27th November 1997

Squadron Leader Mohamed Shajahan Mohamed Nasser is on the posted strength of 117 Helicopter Unit, Air Force and is perfoming the duties of Flight Commander since 31 Mar 97.

On the evening of 27 Nov 97 Squadron Leader Nasser was called upon to search and rescue three Snow and Avalanche Study Establishment personnel from the snow bound Solang-Beas Kund area. Despite fading light conditions, he located the ground search party alongwith the lone survivor in an unconscious state. He landed the helicopter in extremely difficult snow bound conditions close to the steep slop. However, due to extremely difficult ground conditions and approaching darkness the ground party could not bring the casualty to the hellcopter. Squadron Leader Nasser returned with the first light on the following morning and rescued the lone survivor by hovering over the soft snow with only one ski in ground contact. In subsequent two sorties he brought the exhausted ground rescue team members and two dead bodies.

Squadron Leader Mohamed Shajahan Mohamed Nasser thus, displayed exceptional courage and professionalism in the face of highly challenging environment, regardless of his personal safety.

29. 2592459 Naik Yama Sivasankara Reddy, 9 Madras (Posthumous)

Effective date of the award 6th December, 1997

On 06 December, 1997, during an operation, Naik Yama Sivasankara Reddy was part of a search party which was tasked to search village Khet, Tehsil Surankot, District Poonch in Jammu and Kashmir.

While the search was in progress the search party was fired upon from a house by the militants. Immediately the house was cardoned but despite firing for four hours militants were unrelenting. At about 1630 hours realising criti-

cality of the situation and to prevent escape of militants in the darkness, Naik Yama Sivasankara Reddy unmindful of his personal safety volunteered to lob grenade inside the hideout. When he was crawling towards the house he was hit by splinters of a grenade. Despite his injuries, Naik Yama Sivasankara Reddy lobbed a grenade in the house. Immediately one militant rushed out of the house firing indiscriminately injuring Naik Yama Sivasankara Reddy grievously. He, however, killed his assailant before he could not make his escape good. Naik Yama Sivasankara Reddy however succumbed to his injuries before evacuation.

Naik Yama Sivasankara Reddy displayed indomitable courage and grit, selfless devotion to duty and laid down his life beyond call of duty in fighting with the militants.

30. MAJOR MOHAN DAS K (IC-42095), 5 BIHAR

Effective Date of the award 26th December, 1997.

On 26/2 7December, 1997 an operation was launched by 5 Bihar. to raid and destroy militant camp in Guabari, *District Nalbari in Assam.*

Major Mohan Das K located the camp, stealthily established the blocks and approached the camp undeterred by the two Improvised Explosive Device explosions and in the face of heavy volume of fire by militants using AK-56 rifles and Universal machine Gun-86. Major Mohan Das K led the assault with the utter disregard to personal safety shot down the militant manning the UMG-86 at point blank range. This inspiring action by Major Mohan Das K made the approach to camp easier, whereupon he shot another militant injuring him. The raiding column inspired by the indomitable courage of their commander took upon the fleeing militants, killing one ULFA militant and injuring others, who fled, and two AK-56 rifles, one UMG-86, two point 303 rifles, 260 rounds of AK ammunition, two rocket projectiles besides a large quantity of equipment and incriminating documents wee recovered.

Major Mohan Das K thus displayed conspicuous courage, inspiring leadership, dedication of an exemplary order in fighting with the militants.

31. SECOND LIEUTENANT VIVEK SAIWAN (SS-36843), ARMY SERVICE CORPS

(POSTHUMOUS)

Effective date of the award 6th January, 1998.

On 5/6 January, 1998 Second Lieutenant Vivek Saiwan, the Ghatak Platoon Commander was tasked to search in Tehsil Paoni, Jammu and Kashmir for two armed militants. It was in arduous task due to impenetrable jungle of thick undergrowth, overgrown vines and thorny bushes. At approximately 1230 hours, the militant pinned down the platoon with accurate fire. Despite the implicit danger Second Lieutenant Vivek Saiwan continued to close in. At approximate 1500 hours, the Number-1 Scout was hit on the bullet proof patka. Seized with the urgency to eliminate the militants the young officer alongwith the Scout Number 2 moved forward. Perturbed by this audacious move the militant turned their sights on the scout and injured him on the leg and back. Sensing fatality, the young officer unmindful of his personal safety rushed to extricate the Jawan. In this prodicious effort, Second Lieutenant Vivek Saiwan killed the militant, but also suffered fatel bullet injuries on his back.

Second Lieutenant Vivek Saiwan thus displayed conspicuous courage and valour and made the supreme sacrifice while fighting with the militants.

32. GS-177429K Superintendent B/R Grade-II

Jangiti Krishna Murthy, BRDB.

Effective date of the award 16th January, 1998.

Superintendent B/R Grade-II Jangiti Krishna Murthy of 491 Road Maintenance Platoon under 54 Road Construction Company (GREF), Project Himank, was deployed as Supervisor in charge at Khardungla Top the highest motorable pass in the world at an eltitude of 18,300 feet.

On 15th January, 1998, a convoy of 211 Army and Civil vehicles including one bus carrying 45 passengers started from South Pullu on Leh road at about 1130 hrs. The temperature at the pass was minus 32°C and the weather was very inclement. Around 1530 hours, a snow storm started and in no time the road was covered with 6 to 8 feet of snow. Out of 21 vehicles, five civil vehicles and three army vehicles were stranded one kilometre short of Khardungla Top. The snow storm ceased around midnight.

The passengers, drivers and staff of the vehicles were totally shattered and fear was lit large on their faces. The situation was further aggravated when one of the passengers died due to high altitude complications. Superintendent B/R Grade II J Krishna Murthy seized control of the situation and deployed his staff, alongwith dozers for snow clearance. To facilitate early departure of the passenges, he started snow clearance towards the spot where the vehicles were stranded. The heavy snow accumulation obscured the road alignment and Superintendent B/R Grade II J K Murthy personally took on the daunting task of guiding the lead dozer. The situation was further complicated by a massive snowavalanche, which buried the team alongwith the dozer. Superintendent B/R Grade II Murthy showed rare presence of mind and determination to release himself. Despite sustaining an injury, he rescued the dozer operator who was in a semi conscious state and rushed him to the MI Room at Khardungla Top.

Superintendent B/R Grade II Jangiti Krishna Murthy ddisplayed a rare sense of devotion to duty, immense courage, comraderie, total disregard for his personal safety in clearing the snow at Khardungla Top.

33. 75571 Rifleman Shyam Singh, (Posthumous)
7 Assam Rifles.

Effective Date of the award 28th January, 1998.

On 28 January, 1998 Rifleman Shyam Singh was a member of Road Opening Party at Thoubal Town in the North East. He, alongwith five more other ranks in buddy pairs were positioned north of Thoubal bridge.

At approximately 1720 hours a group of militants opened fire with automatic weapons from Bamboo grove and seriously injured Rifleman Shyam Singh and his buddy. As a result obth the soldier fell down. Whilst this had happened a miltant in a shawl approached Rifleman Shyam Singh under cover of fire and tried to snatch his weapon. Mortally injured, Shyam Singh, with extreme boldness and total disregard to personal safety sprang like a wounded lion, grappled with the militant, fired and killed him This demoralised other militant who fled the scene. Rifleman Shyam Singh later succumbed to the injury on the spot.

Rifleman Shyam Singh displayed personal courage of a very high order, extreme professionalism, with utter disregard to personal safety and executed the assigned task at the cost of his own life.

34. 13617164 Naik Bhamer Singh,
21 Para (Special Frontier Force).

Effective Date of award 15th February 1998.

On 15 February 1998 at 1330 hours during an operation in village Rasigaon, Bongaigaon District in Assam when the raiding party was approaching its target, a female sentinel raised an alarm. Realising the need for swift action, Naik Bhamer Singh personally led his squad in a quick assult on the militant group.

Due to the presence of top United Liberation Front Assam (ULFA) militant leader, the militant put up resistance and brought down heavy volume of fire at close on the raiding party. Seeing his squad pinned down in extremely scarce cover under accurate fire, Naik Bhamer Singh, charged at the militants at close quarter under heavy fire, severely wounded one and forcing others to flee in disarray. Four bullet injuries in his right hand and both legs forced this brave soldier to a halt. In a swift and intense action a total of four top ULFA leaders were killed two were wounded and four weapons recovered.

Naik Bhomer Singh thus displayed exceptional bravery in the face of stiff opposition and a strong determination to succeed despite risk to his own life.

35. 2469580 Havildar Amarjit Singh, 13 Punjab. (Posthumous)

Effective Date of the award 15th April 1998.

On 15/16 April 1998 Havildar Amarjit Singh as Section Commander was leading a search party in village Ahagam in Pulwama District in Jammu and Kashmir. During cordon and search operations militants were engaging troops since early morning of 15 April 1998 with heavy volume of automatic fire from a number of concrete houses. The fire was so intense that own troops suffered six casualities.

While cordoning a house, militant brought heavy fire from the neighbouring house pinning down the Section. Sensing grave danger to his comrades and disregarding personal safety Havildar Amarjit Singh crawled towards the window and lobed a grenade. Soon after the explosion one militant jumped down the window and fire at him. Havildar Amarjit Singh immediately engaged the militant in a hand to hand combat and killed him.

On 16 April 1998 while moving forword Havildar Amarjit Singh and his section came under heavy fire. He charged through the lane and shot the militant at close quarter but received bullet injuries in his leg. At the same time another militant fired at Havildar Amarjit Singh who unmindful of his injury charged at the militant and killed him but got wounded in the process. He succumbed to his injuries on 16 April 1998.

Havildar Amarjit Singh, thus displayed exemplary initiative, zeal, courage and made the supreme sacrifice to save his comrades.

36. 1367008 Paratrooper Baldev Raj 6 Para. (Posthumous)

Effective Date of the award 15th April 1998.

On the night of 14/15 April 1998, 13 Punjab launched a cordon and search operation to eliminate a group of militants who had taken position in village Ahgam in Pulwama, District in Jammu and Kashmir.

Militants fire was so intense that it had resulted in six casualties to own troops including Brigadier Ramesh Dixit, Commander 81 Mountain Brigade. Therefore, an assualt team was launched of which Paratrooper Baldev Raj was the scout.

Under the cover of fire, Paratrooper Baldev Raj moved forward when he was injured being fired upon by a militant in the door way of a house. Unmindful of his injuries he charged at the militant and shot him dead. At the same time he saw another militant aiming to fire at an other rank. Unmindful of grave risk and his injury Paratrooper Baldev Raj leaped at the militant and in a hand to hand fight killed the militant. He himself was seriously injured in the process. When an other rank wanted to assist him, he told him "Mujhe chhod aur militants ko mat jane de". Paratrooper Baldev Raj later succembed to his injuries. The operation resulted in annihilation of nine militants.

Paratrooper Baldev Raj, thus, displayed courage and determination in the highest tradition of Indian Army and made the supreme sacrifice to save his buddy.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 23rd January 1999

RULES

No. 98/E(GR)I/18/1.—The Rules for a combined competitive Engineering Services Examination to be held by the Union Public Service Commission in 1999 for the purpose of filling vacancies in the following Services/Posts are, with the concurrence of the Ministries/Departments concerned published for general information.

CATEGORY I—CIVIL ENGINEERING

Group A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Engineers.

(ii) Indian Railway Stores Service (Civil Engineering Posts).

(iii) Central Engineering Service.

(iv) Military Engineer Service (IDSE) (Building and Roads Cadre).

(v) Military Engineer Service (Surveyor of works Cadre).

(vi) Survey of India Service Group-A (Civil Engineering Posts).

(vii) Central Water Engineering Service (Civil Engineering Posts).

(viii) Assistant Executive Engineer (Civil) in P&T Building Works (Group 'A') Service.

(ix) Central Engineering Service (Roads) Group-A

(x) Assistant Executive Engineer (Civil) in Border Roads Engineering Service Group-A.

(xi) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Civil Engineering Posts).

CATEGORY II—MECHANICAL ENGINEERING

Group A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Mechanical Engineers.

(ii) Indian Railway Stores Service (Mechanical Engineering Posts).

(iii) Central Water Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).

(iv) Central Power Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).

(v) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Mechanical Engineering Posts).

(vi) Military Engineer Service (IDSE) (Electrical and Mechanical Cadre) (Mechanical Engineering Posts).

(vii) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Mechanical Engineering Posts).

(viii) Assistant Executive Engineer (Elect. & Mech.) (Mechanical Engineering Posts), Border Roads Engineering Service, Group-A.

(ix) Drilling Engineer (Junior) Group A in Geological Survey of India.

(x) Mechanical Engineer (Junior) Group A in Geological Survey of India.

(xi) Assistant Manager (Factories), Department of Telecom. (Telecom Factories Organisation).

(xii) Central Engineering Service (Roads) Group 'A' (Mechanical Engineering Posts).

(xiii) Indian Inspection Service, Group 'A' (Mech. Engineering Posts).

(xiv) Indian Supply Service Group-A (Mechanical Engg. Posts).

CATEGORY III—ELECTRICAL ENGINEERING

Group-A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Electrical Engineers.

(ii) Indian Railway Stores Service (Electrical Engineering Posts).

(iii) Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Electrical Engineering Posts).

(iv) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Electrical Engineering Posts).

(v) Central Power Engineering Service (Electrical Engineering Posts).

(vi) Assistant Executive Engineer (Electrical) in P & T Building Works (Group'A') Service.

(vii) Assistant Manager (Factories), Department of Telecom. (Telecom Factories Organisation).

(viii) Indian Inspection Service Group 'A' (Electrical Engineering Posts).

(ix) Indian Supply Service Group 'A' (Electrical Engineering Posts).

CATEGORY IV—ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

Group-A Services/Posts

(i) Indian Railway Service of Signal Engineers.

(ii) Indian Railway Stores Service (Telecommunication/Electronics Engineering Posts).

(iii) Indian Telecommunication Service.

(iv) Engineer in Wireless Planning and Co-ordination Wings/Monitoring Organisation; Ministry of Communications (Department of Telecommunication).

(v) Indian Broadcasting (Engineers) Service.

(vi) Indian Ordnance Factories Service (Engineering Branch) (Electronics Engineering Posts).

(vii) Central Power Engineering Service (Telecommunication Engineering Posts).

(viii) Survey of India Service Group 'A' (Electronics and Telecom. Engineering Posts).

(ix) Assistant Manager (Factories), Department of Telecom. (Telecom Factories Organisation).

(x) Indian Inspection Service Group 'A' (Electronics Engineering Posts).

(xi) Indian Supply Service Group 'A' (Electronics Engineering Posts).

1. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix-I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

2. A candidate may compete in respect of any one of the categories of Services/Posts viz. Civil Engineering or Mechanical Engineering or Eelectrical Engineering or Electronics & Telecommunication Engineering . A candidate. who qualifies on the result of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the detailed application form the Services/ Posts for which he wishes to be considered in the order of preference. The candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to so that having regard to his rank in order of merit, due cosideration can be given to his preferences when making appointment.

N.B. (i)—Candidates are advised to indicate all the Serveices/Posts for which they are eligible in terms of the Rules in the order of prefcrence in their detailed application form. In case a candidate does not give any preference for any Service/Post or does not include certain Services/Posts in his application form, it will be assumed that he has no specific preference for those Services/Posts and in that event he shall be allocated to any of the remaining Service/Posts in the order as appearing in the notification and in which there are vacancies after allocation of candidate according to the Services/Posts of their preference. In making such allocation the candidate shall be considered first for Group 'A' Services/Posts and then for Group 'B' Services/Posts.

N.B. (ii) No, request for addition/alteration in the preferencese indicated by a candidate in his detailed application form will be entertained by the Commission.

N.B. (iii)—DEPARTMENTAL CANDIDATES ARE THE CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION UNDER AGE RELAXATION VIDE RULES 5 (b). SUCH CANDIDATES MAY GIVE THEIR PREFERENCES FOR THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ALSO. THEY WILL HOWEVER, BE FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TO SERVICES/POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT SUBJECT TO MERIT POSITION AND ONLY IN THE EVENT OF NON-AVAILABILITY OF VACANCIES THEREIN OR MEDICAL UNFITNESS OF SUCH CANDIDATES FOR THE SERVICES/POSTS UNDER THEIR OWN DEPARTMENTS THEY SHALL BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT TO THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ON THE BASIS OF PREFERENCES EXPRESSED BY THEM.

N.B. (iv) Candidates admitted to the examination under the proviso to Rule 6 will be considered only for the posts mentioned in the said proviso and their preference for other Services and Posts, if any, will be ignored.

N.B. (v) The candidates will be allotted to various Services/Posts strictly in accordance with their merit position, preference exercised by them and number of vacancies, subject to their medical fitness.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

4. A candidate must be either :—

(a) A citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permamently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shalll be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on the 1st August, 1999 i.e. he must have been born not earlier than 2nd August, 1969 and not later than the 1st August, 1978.

(b) Subject to condition mentioned in N.B. (iii) below Rule 2, the upper age-limit of 30 years will be relaxable up to 35 years in the case of the Government servants of the following categories, if they are employed in a Department/Office under the control of any of the authorities mentioned in column 1 below and apply for admission to the examination for all or any of the Service(s)/Post(s) mentioned in column 2, for which they are otherwise eligible.

(i) A canddiate who holds substantively a permanent post in the particular Department/Office concerned. This relaxation will not be admissible to a probationer appointed against a permanent post in the Department/Office during the period of his probation.

(ii) A candidate who has been continuously in a temporary service on a regular basis in the particular Department/Office for at least 3 years on the 1st August 1999.

Column 1	Column
(1)	(2)
Railway Department	I.R.S.E. I.R.S.M.E. I.R.S.E.E. I.R.S.S.E. I.R.S.S.
Central Public Works Department	C.E.S. Group 'A' C. E. & M.E.S. Group 'A'
Engineer in Chief, Army Headquarters	M.E.S., Group 'A' (I.D.S E. B & R Cadre) and Surveyor of Works Cadre, MES Group 'A' (I.D.S.E. E & M Cadre)
Directorate General Ordnance Factories	I.O.F.S. Group 'A'
Central Water Commission	C.W.E. Service (Group 'A')
Central Electricity Authority	C. P. E. Service (Group 'A')
Wireless Planning and Coordination Wing/ Monitoring Organisation	Engineer (Group 'A')
Border Roads Organisation	Border Roads Engineering Service.
All India Radio/ Doordarshan	Junior Scale of Indian Broadcasting (Engineers) Service
Ministry of Communication, Department of Telecommunication & Deptt. of Posts	Indian Telecommunicat ion Service Group 'A' Asstt Executive Engineer (Civil/Electrical) in P & T Building Works (Group A) Service, Assistant Manager (Factories) Group A, P & T. Telecom, Factories Organisation
Deptt. of Science & Technology	Survey of India Service Group 'A'
Directorate General of Supplies and Disposals	I.S.S. Group 'A., I.I.S. Group 'A'
Geological Survey of India	Drilling Engineer (Junior) Group 'A', Mechanical Engineer (Junior) Group 'A'.

Note.—The period of apprenticeship if followed by appointment against a working post on the Railways may be treated as Railway Service for the purpose of age concessions.

(c) The upper age-limit prescribed above will be further relaxable :

(i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) Upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(iii) Upto a maximum of ten years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(iv) Upto a maximum of three years, in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

(v) Upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes.

(vi) Upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs, who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 1999 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August 1999 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service, or (iii) on invalidment.

(vii) Upto a maximum of ten years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers, and ECOs/SSCOs who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and who have rendered at least five years Military Service as on 1st August 1999 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August 1999 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service, or (iii) on invalidment;

(viii) Upto a maximum of five years in the case of ECO/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 1999 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment;

(ix) Upto a maximum of ten years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes who are also ECOs/SSCOs and have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 1999 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(x) Upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

Note : (I) The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil-Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note : (II) Candidates falling under rule 5 (c) (ii) to (x) who do not belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not eligible for age concession if they have already joined any Government Job on civil side after availing of the age concession The Ex-Servicemen who have already secured regular employment under the Central Government in a civil post are however, permitted the benefit of age relaxation as admissible to Ex-Servicemen for securing another employment in any higher post or Service under the Central Government.

Note: (III) Candidates belonging to Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 5 (c) above viz., those coming under the category of Ex-Servicemen etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

N.B.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5 (b) above shall be cancelled if, after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department/office either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

A candidate who after submitting his application to the department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the service/post for which he would have been eligible but for his transfer provided his application has been forwarded by his parent department.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by the Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the institution include the alternative certificate mentioned above.

NOTE 1: Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2: Candidate should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any other Examination of the Commission on any ground whatsoever.

6. A candidate must have—

(a) obtained a Degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or

(c) obtained a Degree/Diploma in Engineering from such foreign University/ College/Institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time; or

(d) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Tele-communication Engineers (India); or

(e) passed Associate Membership Examination, Parts II and III/Section A and B of the Aeronautical Society of India; or

(f) passed Associate Membership Examination (Sections A and B) of the Institution of Mechanical Engineers (India); or

(g) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959.

Provided that a candidate for the posts of Engineer Group A in Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring Organisation, Ministry of Communications and Indian Broadcasting (Engineers) Service may possess any of the above qualifications or the qualification mentioned below namely:

MSc. degree or its equivalent with Wireless Communication Electronics, Radio Physics or Radio Engineering as a special subject.

Note 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educatioally qualified for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed application which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination.

Note 2.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

Note 3.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All Candidates in Government service, whether in permanent or in temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/ candidature will be liable to be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. written Examination and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on varification at any time before or after the written Examination or Interview Test it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

10. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A Candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty:—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; on

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter in the script(s) ; or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificate permitting them to take the examination ; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under the Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation if any submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may be summoned for an interview for a Personality Test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (i) After the interviews the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the result of the examination.

(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes be recommended by the Commission by a relaxed standard subject to the fitness of these candidates for selection to the Service.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, successful candidates will be considered for appointment on the basis of the order of merit assigned to them by the Commission and the preferences expressed by them for various Services/Posts at the time of their application.

DEPARTMENTAL CANDIDATES WILL HOWEVER, BE FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TO SERVICES/POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT SUBJECT TO MERIT POSITION AND ONLY IN HE EVENT OF NON-AVAILABILITY OF VACANCIES THEREIN OR MEDICAL UNFITNESS OF SUCH CANDIDATES FOR THE SERVICES/POSTS UNDER THEIR OWN DEPARTMENTS. THEY SHALL BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT TO THE SERVICES/POSTS IN OTHER MINISTRIES/DEPARTMENTS ON THE BASIS OF PREFERENCES EXPRESSED BY THEM.

16. Success in the examination confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such an enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to intertere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who (after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be may prescribe) is found not to satisfy those requirements will not be appointed.

All candidates who qualify for interview on the basis of written part of the examination are required to undergo medical examination on the next working day following the date of interview (there shall be no medical examination on Saturdays, Sundays and closed holidays). For this purpose the successful candidates will be required to present themselves before the Additional Chief Medical Officer. Central Hospital, Northern Railway, Basant Lane, New Delhi at 9.00 Hrs. In case the candidates are wearning glasses they should take with them the latest number of glasses to the Medical Board.

No request for change in the date of medical examination or in its venue would ordinarily be acceded to.

The candidates should note that no request for grant of exemption from the medical examination will be entertained under any circumstances.

The attention of the candidates is invited to the Regulations relating to the Physical Examination published herewith. It will eb seen therefrom that the physical standards prescribed vary for different services. The candidates are therefore, advised to keep these standards in view with specific reference to services for which they have competed/expressed preferences to the UPSC.

The candidates may also please note that :

(i) A sum of Rs. 30 (Rupees-Thirty only) in cash, is required to be paid by them to the Medical Board;

(ii) no travelling allowance will be paid for he journey performed in connection with the medical examination; and

(iii) the fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he will be considered for appointment.

THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THEY WILL NOT RECEIVE ANY SEPARATE INTIMATION REGARDING MEDICAL EXAMINATION FROM THE MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD).

In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Offi-

cer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled/ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with requirements of each service.

18. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

19. Cadidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examination which candidates have to pass after entry into service.

20. Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitments is being made through this examination are given in Appendix III.

D. P. TRIPATHI
Secretary
Railway Board

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following plan : —

Part I.—The written examination will comprise two sections—Section I consisting only of objective type of questions and Section II of conventional papers. Both Sections will cover the entire syllabus of the relevant engineering disciplines viz. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Electronics & Telecommunication Engineering. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in Schedule to the Appendix. The details of the written examination i.e. subject, duration and maximum marks allotted to each subject are given in para 2 below.

Part II :—Personality test carrying a maximum of 200 marks of such of the candidates who qualify on the basis of the written examination.

2. The following will be the subjects for the written examination :—

Subject	Duration	Maximum Marks
(1)	(2)	(3)
Category I—CIVIL ENGINEERING		
Section 1—Objective Papers		
General Ability Test (Part A : General English) (Part B : General Studies)	2 hrs.	200
Civil Engineering Paper I	2 hrs.	200
Civil Engineering Paper II	2 hrs.	200
Section II Conventional Papers		
Civil Engineering Paper I	3 hrs.	200
Civil Engineering Paper II	3 hrs.	200
	Total	1000
Category II—MECHANICAL ENGINEERING		
Section I—Objective Papers		
General Ability Test (Part A : General English) (Part B : General Studies)	2 hrs.	200
Mechnical Engineering Paper I	2 hrs.	200
Mechanical Engineering Paper II	2 hrs.	200
Section II Conventional Papers		
Mechanical Engineering Paper I	3 hrs.	200
Mechanical Engineering Paper II	3 hrs.	200
	TOTAL	1000
Category III ELECTRICAL ENGINEERING		
Section I—Objective Papers		
General Ability Test (Part A : General English) (Part : B General Studies)	2 hrs.	200
Electrical Engineering Paper I	2 hrs.	200
Electrical Engineering Paper II	2 hrs.	200
Section II—Conventional Papers		
Electrical Engineering Paper I	3 hrs.	200
Electrical Engineering Paper II	3 hrs.	200
TOTAL		1000
Category IV ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING		
Section I—Objective Papers		
General Ability Test (Part A : General English) (Part B : General Studies)	2 hrs.	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper I	2 hrs.	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper II	2 hrs.	200
Section II Conventional Papers		
Electronics & Telecommunication Engineering Paper I	3 hrs.	200
Electronics & Telecommunication Engineering Paper II	3 hrs.	200
	TOTAL	1000

3. In the Personality Test special attention will be paid to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.

4. Conventional papers must be answered in English. Question papers will be set in English only.

5. Candidates must write the papers in the own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto five per cent of the maximum marks for the written papers will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the conventional papers of the examination.

10. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

Note :— Candidates will be supplied with tables in metric units compiled and published by the Indian Standards Institution in the examination hall for reference purpose, wherever considered necessary.

11. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination hall is not permitted.

It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, etc.) while answering question papers

SCHEDULE TO APPENDIX I

Standard and Syllabi

The standard of paper in General Ability Test will be such as may be expected of an Engineering/Science Graduate. The standard of papers in other subjects will approximately be that of an Engineering Degree Examination of an Indian University. There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ABILITY TEST

Part A : General English : The question paper in General English will be designed to test the candidate's understanding of English and workmanlike use of words.

Part B : General Studies : The paper in General Studies will include knowledge of current events and of such matters as of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

CIVIL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

PAPER-I

1. BUILDING MATERIALS

Timber : Different types and species of structural timber, density-moisture relationship, strength in different directions, defects, influence of defects on permissible stress, preservation, dry and wet rots, codal provisions for designs, plywood.

Bricks : Types, Indian Standard classification, absorption, saturation factor, strength in masonry, influence of mortar strength on masonry strength.

Cement : Compounds of, different types, setting times, strength.

Cement Mortar : Ingredients, proportions, water demand, mortars for plastering and masonry.

Concrete . Importance of W/C Ratio, strength ingredients including admixtures, workability, testing for strength, elasticity, non-destructive testing, mix design methods.

2. SOLID MECHANICS

Elastic constants, stress, plane stress. Mohr's circle of stress, strains, plane strain. Mohr's circle of strain, combined stress; Elastic theories of failure; Simple bending, shear; Torsion of circular and rectangular sections and simple members.

3. STRUCTURAL ANALYSIS

Analysis of determinate structures—different methods including graphical methods.

Analysis of indeterminate skeletal frames—moment distribution, slope-deflection, stiffness and force methods, energy methods. Muller-Breslau principle and application.

Plastic analysis of indeterminate beams and simple frames —shape factors.

4. DESIGN OF STEEL STRUCTURES

Principles of working stress method. Design of connections, simple members, Built up sections and frames. Design of Industrial roofs. Principles of ultimate load design. Design of simple members and frames.

5. DESIGN OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES

Limit state design for bending, shear, axial compression and combined forces. Codal provisions for slabs, beams, walls and footings. Working stress method of design of R. C. members.

Principles of prestressed concrete design, materials, methods of prestressing, losses, Designs of simple members and determinate structures. Introduction to prestressing of indeterminate structures.

Design of brick masonry as per I. S. Codes.

6. CONSTRUCTION PRACTICE, PLANNING AND MANAGEMENT

Concreting Equipment :

Weigh Batcher, mixer, vibrator, batching plant, concrete pump.

Cranes, hoists, Lifting equipment.

Earthwork Equipment :

Power shovel, hoe, dozer, dumper, trailers and tractor, rollers, sheep foot rollers pumps.

Construction, Planning and Management :

Bar chart, linked bar chart, work-break down structures, Activity-on-arrow diagrams; Critical path, probabilistic activity durations; Event-based networks, PERT network; Time-cost study, crashing; Resource allocation.

PAPER-II

1 (a) FLUID MECHANICS, OPEN CHANNEL FLOW, PIPE FLOW :

Fluid Properties, Pressure,Thrust . Buoyancy; Flow kinematics; Integration of flow equations; Flow measurement; Relative motion; Moment of momentum; Viscosity, Boundary layer and Control, Drag, Lift ; Dimentional Analysis, Modelling Cavitation; Flow oscillations; Momentum and Energy principles in open channel flow. Flow controls. Hydraulic jump. Flow sections and properties; Normal flow, Gradually varied flow; Surges; Flow development and losses in pipe flows; Measurement; Siphones; Surges and Water hammer; Delivery of Power; Pipe networks.

(b) HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER :

Centrifugal pumps, types, performance parameters, scaling, pumps in parallel; Reciprocating pumps, air vessels, performance parameters; Hydraulic ram; Hydraulic turbines types, performance parameters, controls, choice; Power houses, classification and layout, storage, pondage, control of supply.

2 (a) HYDROLOGY :

Hydrological cycle, precipitation and related data analysis, PMP unit and synthetic hydrographs; Evaporation and transpiration; Floods and their management. PMF; Streams and their gauging; River morphology; Routing of floods; Capacity of Reservoirs.

(b) WATER RESOURCES ENGINEERING

Water resources of the globe; Multipurpose uses of Water; Soil Plant-Water relationship, irrigation systems, water demand assessment; Storages and their yields, groundwater yield and well hydraulics; Water-logging, drainage design; Irrigation revenue; Design of rigid boundary canals, Lacey's and Tractive force concepts in canal design. lining of canals; Sediment transport in canals; Non-overflow and overflow sections of gravity dams and their design Energy dissipators and tailwater rating; Design of headworks distribution works, falls, cross-drainage works, outlets; River training.

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

3 (a) WATER SUPPLY ENGINEERING :

Sources of supply, yields, design of intakes and conductors; Estimation of demand; Water quality standards, Control of Water-bone diseases; Primary and secondary treatment, detailing and maintenance of treatment units; Conveyance and distribution systems of treated water, leakages and control; Rural water supply; Institutional and industrial water supply.

(b) WASTE WATER ENGINEERING :

Urban rain water disposal; Systems of sewage collection and disposal; Design of sewers and sewerage systems; pumping, Characteristics of sewage and its treatment, Disposal of products of sewage treatment, streamflow rejuvenation; Institutional and industrial sewage management; Plumbing Systems; Rural and semi-urban sanitation.

(c) SOLID WASTE MANAGEMENT :

Sources, classification, collection and disposal; Design and Management of landfills.

(d) AIR AND NOISE POLLUTION AND ECOLOGY :

Sources and effects of air pollution, monitoring of air pollution; Noise pollution and standards; Ecological chain and balance, Environmental assessment.

4 (a) SOIL MECHANICS :

Properties of soils, classification and interrelationship, Compaction behaviour, methods of campaction and their choice; Permeability and seepage, flownets. Inverted filters; Compressibility and consolidation; Shearing resistance, Stresses and failure; Soil testing in laboratory and in situ; Stress path and applications; Earth pressure theories. Stress distribution in soils; Soil exploration, samplers, load tests, penetration tests.

(b) FOUNDATION ENGINEERING :

Types of foundations, Selection criteria, bearing capacity, settlement, laboratory and field tests; Types of piles and their design and layout. Foundations on expansive soils, swelling and its prevention foundation on swelling soils.

5 (a) SURVEYING :

Classification of surveys, scales accuracy; Measurement of distances—direct and indirect methods optical and electronic devices; Measurement of directions, prismatic compass, local attraction; Theodolities-types; Measurement of elevations-Spirit, and trigonometric levelling; Relief representation; Contours; Digital elevation modelling concept; Establishment of control by triangulation and traversing—measurements and adjustment of observations, computation of coordinates; Field astoronomy, Concept of global positioning system; Map preparation by plane tabling and by photogrammetry, Remote sensing concepts, map substitutes.

(b) TRANSPORTATION ENGINEERING

Planning of highway systems, alignment and geometric design, horizontal and vertical curves, grade separation; Materials and construction methods for different surfaces and maintenance; Principles of payment design; Drainage, Traffic Surveys; Intersection, signalling; Mass transit systems, accessibility, networking.

Tunnelling, alingment, methods of construction, disposal of muck, drainage lighting and ventilation, traffic control, emergency management.

Planning of railway systems, terminology and designs relating to gauge, track, controls transits, rolling stock, tractive power and track modernisation; Maintenance; Appurtenant works, Constainerisation.

Harbours—layouts, shipping lanes, anchoring, location identification; Litoral transport with erosion and deposition; Sounding methods; Dry and wet docks, components and operations; Tidal data and analysis.

Airports—layout and orientation; Runway and Taxiway; design and drainage management; zoning laws; Visual aids and air traffic control; helipads, hangers, service equipment.

MECHANICAL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

PAPER-I

1. Thermodynamics, Cycles and IC Engines, Basic concepts, Open and Closed systems. Heat and work, Zeroth, First and Second Law, Application to non-Flow and Flow processes. Entropy, Availability, Irreversibility and Tds relations. Clapeyron and real gas equations, Properties of ideal gases and vapours. Standard vapour, Gas power and Refrigeration cycles. Two stage compressor. C. I. and S. I. Engines. Pre-ignition, Detonation and Diesel-knock, Fuel injection and Carburation, Supercharging Tubro-prop and Rocket engines, Engine Cooling, Emission & Control, Flue gas analysis, Measurement of Calorific values. Conventionad and Nuclear fuels, Elements of Nuclear power production.

2. Heat Transfer and Refrigeration and Airconditioning. Modes of heat transfer. One dimensional steady and unsteady condition. Composite slab and Equivalent Resistance. Heat dissipation from extended surfaces. Heat exchangers. Overall heat transfer coefficient. Empirical corelations for heat transfer in laminar and turbulent flows and for free and forced Convection. Thermal boundary layer over a flat plate. Fundamentals of diffusive and convective mass transfer, Block. body and basic concepts in Radiation, Enclosure theory, Shape factor, Net work analysis. Heat pump and Refrigeration cycles and systems, Refrigerants. Condensers, Evaporators and expansion devices, Psychrometry, Charts and application to air conditioning, Sensible heating and cooling, Effective temperature, Comfort indices, Load calculations, Solar refrigeration, Controls, Duct design.

3. FLUID MECHANICS

Properties and classification of fluids, Manometry, Forces on immersed surfaces, Center of pressure, Buoyancy, Elements of stability of floating bodies. Kinematics and Dynamics, irrotational and incompressible, inviscid flow, Velocity potential. Pressure field and Forces on immersed bodies Bernolith's equations, Fully developed flow through pipes, Pressure drop calculations, Measurement of flow rate and Pressure drop. Elements of boundary layer theory, Integral approach, Laminar and turbulent flows, Separations, Flow over weirs and notches. Open channel flows, Hydraulic jump. Dimensionless numbers, Dimensional analysis, Similitude and modelling. One-dimensional isentropic flow, Normal shock wave, Flow through convergent—divergent ducts, Oblique shock-wave, Rayleigh and Fanno lines.

4. FLUID MACHINERY AND STREAM GENERATORS

Performance, Operation and control of hydraulic Pump and impulse and reaction Turbines, Specific speed Classification. Energy transfer. Coupling Power transimssion. Steam generators. Fire-tube and water-tube boilers. Flow of steam through nozzles and diffusers Wetness and condensation. Various types of steam and gas Turbines, Velocity diagrams. Partial admission. Reciprocating, Centrifugal and axial flow Compressors, Multi-stage compresion, role of Mach Number, Reheat, Regeneration, Efficiency, Governance.

PAPER-II

5. THEORY OF MACHINES

Kinematic and dynamic analysis of planer mechanisms, Cams. Gears and gear trains. Flywheels, Governors, Balancing of rigid rotor and field balancing. Balancing of single and multicylinder engines. Linear vibration analysis of mechanical systems. Critical speeds and whirling of shafts. Automatic Controls.

6. MACHINE DESIGN

Design of Joints : cotters, keys, spines, welded joints, threaded fasteners, joints formed by interference fits.

Design of friction drives : couplings and clutches, belt and chain drives, power screws.

Design of Power transmission systems : gears and gear drives, shaft and axle, wire ropes.

Design of bearings : Hydrodynamic bearings and rolling element bearings.

7. Strength of Materials :

Stress and strain in two dimensions, Principal stresses and strains, Mohr's construction, linear elastic materials, isotropy and anisotropy, stress-strain relations, uniaxial loading, thermal stresses, Beams : Bending moment and shear force diagram, bending stresses and deflection of beams, Shear stress distribution. Torsion of shafts, helical springs. Combined stresses, thick-and thin-walled pressure vessels struts and columns. Strain energy concepts and theories of failure.

8. Engineering Materials :

Basic concepts on structure of solids. Crystalline materials. Defects in crystalline materials. Alloys and binary phase diagrams, structure and properties of common engineering materials. Heat treatment of steels. Plastics, Ceramics and composite materials. Common applications of various materials.

9. Production Engineering :

Metal Forming : Basic Principles of Forging, drawing and extrusion; High energy rate forming; Powder metallurgy.

Metal Casting : Die casting, investment casting, Shell Moulding, Centrifugal Casting, Gating & Rising design; melting furnaces.

Fabrication Processes : Principles of Gas, Arc. Shielded arc Welding; Advanced Welding Processes; Weldability; Metallurgy of Welding.

Metal Cutting : Turning, Methods of Screw Production, Drilling, Boring, Milling, Gear Manufacturing, Production of flat surfaces, Grinding & Finishing Processes, Computer Controlled Manufacturing Systems—CNC, DNC, FMS, Automation and Robotics.

Cutting Tool Materials, Tool Geometry, Mechanism of Tool Wear, Tool Life & Machinability; Measurement of cutting forces, Economics of Machining. Unconventional Machining. Processes, Jigs and Fixtures, Fits and tolerances, Measurement of surface texture, Comparators, Alignment tests and reconditioning of Machine Tools.

10. Industrial Engineering :

Production Planning and Control : Forecasting—Moving average, exponential smoothing, Operations scheduling; assembly line balancing, Product development, Break-even analysis, capacity planning, PERT and CPM.

Control Operations : Inventory control—ABC analysis, EOQ model. Materials requirement planning. Job design, Job standards, Work measurement, Quality Management—Quality analysis and control.

Operations Research : Linear programming—Graphical and Simplex methods, Transportation and assignment models, Single server queuing model.

Value Engineering : Value analysis for cost/value.

11. Elements of Computation :

Computer Organisation, Flow charting, Features of Common Computer Languages—FORTRAN, d Base III, Lotus 1-2-3, C and elementary programming.

ELECTRICAL ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

PAPER—I

1. KM Theory

Electric and magnetic fields. Gauss's Law and Ampores Law. Fields in dielectrics, conductors and magnetic materials. Maxwell's equations. Time varying fields. Plane-Wave propogation in dielectric and conducting media, Transmission lines.

2. Electrical Materials :

Band Theory. Conductors, Semi-conductors and Insulators. Super-Conductivity. Insulators for electrical and electronic applications Magnetic materials. Ferro and ferri magnetism. Ceramics, properties and applications. Hall effect and its applications. Special semiconductors.

3. Electrical Circuits

Circuit elements. Kirchoff's Laws Mesh and nodal analysis. Network Theorems and applications. Natural response and forced response. Transient response and steady-state response for arbitrary inputs. Properties of networks in terms of poles and zeros. Transfer function. Resonant circuits. Three-phase circuits. Two-port networks. Elements of two-element network synthesis.

4. Measurements and Instrumentation

Units and Standards. Error analysis. Measurement of current, Voltage, Power, Power-factor and energy: Indicating instruments. Measurement of resistance, inductance, Capacitance and frequency. Bridge measurements. Electronic measuring instrument. Digital voltmeter and frequency counters Transducers and their applications to the measurement of non-electrical quantities like temperature, pressure, flow-rate displacement, acceleration, noise level etc. Data acquisition systems. A/D and D/A Converters.

5. Control Systems

Mathematical modelling of physical systems. Block diagrams and signal flow graphs and their reduction. Time domain and frequency domain analysis of linear dynamical system. Errors for different type of inputs and stability criteria for feedback systems. Stability analysis using Routh-Hurwitz array, Nyquist plot and Bode plot. Root locus and Nicols chart and the estimation of gain and phase margin. Basic concepts of compensator design. State variable matrix and its use in system modelling and design. Sampled data system and performance of such a system with the shmples in the error channel. Stability of sampled data system. Elements of nonlinear control analysis. Control system component electromechanical, hydraulic pneumatic components.

PAPER-II

1. Electrical Machines and power transformers

Magnetic Circuits—Analysis and Design of Power transformers. Construction and testing. Equivalent circuits. losses and efficiency, Regulation. Auto-transformer. 3-phase transformer. Parallel operation.

Basic concepts in rotating machines. EMF, torque, basic machine types. Construction and operation, leakage, losses and efficiency.

D.C. Machines, Construction. Excitation methods. Circuit models. Armature reaction and commutation. Characteristics and performance analysis. Generators and motors. Starting and speed control. Testing, Losses and efficiency.

Synchronous Machines. Construction. Circuit model. Operating characteristics and performance analysis. Synchronous reluctance. Efficiency. Voltage regulation Salient pole machine. Parallel operation. Hunting. Short circuit transients.

Induction Machines. Construction. Principle of operation. Rotating fields. Characteristics and performance analysis. Determination of circuit model. Circle diagram. Starting and speed control.

Fractional KW motors. Single-phase synchronous and induction motors.

2. Power systems

Types of power Station. Hydro, Thermal and Nuclear Stations. Pumped storage plants. Economics and operating factors.

Power transmission lines. Modeling and performance characteristics. Voltage control. Load flow studies. Optimal power system operation. Load frequency control. Symmetrical short circuit analysis. Z-Bus formulation Symmetrical Components. Per unit representation. Fault analysis. Transient and steady-state stability of power systems. Equal area criterion.

Power system Transients. Power system Protection Circuit breakers Relays. HVDC transmission.

3. Aanalog and Digital Electronics and Circuits

Semiconductor device physics, PN junctions and transistors, circuits models and parameters, FET Zener, tunnel, Schottky, photo diodes and their applications, rectifier circuits, voltage ragulators and multipliers, switching behaviour diodes and transistors.

Small signal amplifiers, biasing circuits, frequency response and improvement, multistage amplifiers and feed-back amplifiers, D.C amplifiers, Oscillators. Large signal amplifiers, coupling methods, push pull amplifiers, operational amplifiers, wave shaping circuits. Multivibrators and flip-flops and their applications. Digital jogic gate families, universal—gates—combinational circuits for arithmetic and logic operation, sequential logic circuits. Counters, Registers, RAM and ROMs.

4. Microprocessors

Microprocessor architecture—Instruction set and simple assembly language programming. Interfacing for memory and I/o. Applications of Microprocessors in power system.

5. Communication Systems

Types of modulation; AM, FM and PM, Demodulators, Noise and bandwidth considerations. Digital communication systems. Pulse code modulation and demodulation. Elements of sound and vision broadcasting. Carrier communication. Frequency division and time division multiplexing, Telemetry system in power engineering.

6. Power Electronics

Power Semiconductor devices, Thyristor, Power transistor, GTOs and MOSFETs. Characteristics and operation. AC to DC Converters; 1-phase and 2-phase DC to DC Converters.

AC regulators. Thyristor controlled reactors, switched capacitor networks.

Inverters : Single-phase and 3-phase. Pulse width modulation. Sinuscidal modulation with uniform sampling. Switched mode power supplies.

ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING

(For both objective and conventional type papers)

PAPER—I

1. Materials and Components

Structure and properties of Electrical Engineering materials Conductors, Semiconductors and Insulators, Magnetic, Ferroelectric, Piezoelectric, Ceramic, Optical and Superconducting materials. Passive components and characteristics Resistors Capacitors and Inductors; Ferrites, Quartz crystal, Ceramic resonators. Electromagnetic and Electromechanical components.

2. Physical Electronics, Electron Devices and ICs

Electrons and holes in semiconductors, Carrier Statistics. Mechanism of current flow in a semiconductor. Hall effect; Junction theory; Different types of diodes and their characteristics; Bipolar Junction transistor; Field effect transistors; Power switching devices like SCRs, CTOs, power MOSFETs; Basics of ICs-bipolar, MOS and CMOS types; Basics of Opto Electronics.

3. Signals and Systems

Classification of signals and systems: System modelling in terms of differential and difference equations; State variable representation; Fourier series; Fourier transforms and their application to system analysis; Laplace transforms and their application to system analysis; Convolution and superposition integrals and their applications; Z-transforms and their applications to the analysis and characterisation of discrete time systems; Random signals and probability, Correlation functions; Spectral density; Response of linear system to random inputs.

4. Network theory

Network analysis techniques : Network theorems, transient response, steady state sipusoidal response; Network graphs and their applications in network analysis; Tellegen's theorem. Two port networks : Z, Y, h and transmission parameters Combination of two ports, analysis of common two ports. Network functions; parts of network functions, obtaining a network function from a given part. Transmission criteria : delay and rise time, Elmore's and other definition effect of cascading. Elements of network synthesis.

5. Electromagnetic Theory

Analysis of electrostatic and magnetostatic fields; Laplace's and Poison's equations; Boundary value problems and their solutions; Maxwell's equations : application to wave propagation in bounded and unbounded media; Transmission lines : basic theory, standing waves, matching applications microstrip lines; Basics of waveguides and resonators; Elements of antenna theory.

6. Electronic Measurements and instrumentation

Basic concepts, standards and error analysis; Measurements of basic electrical quantities and parameters; Electronic measuring instruments and their principles of working : analog and digital, comparison, characteristics, applications Transducers; Electronic measurements of non-electrical quantities like temperature, pressure, humidity etc. Basics of telemetry for industrial use.

PAPER-II

1. Analog Electronic Circuits :

Transistor biasing and stabilization, Small signal analysis. Power amplifiers. Frequency response. Wide banding techniques, Feedback amplifiers. Tuned amplifiers. Oscillators. Rectifiers and power supplies Op Amp: PLI, other linear integrated circuits and applications. Pulse shaping circuits and waveform generators.

2. Digital Electronic Circuits :

Transistor as a switching element; Boolean algebra, simplification of Boolean functions, Karnaugh map and applications· IC Logic gates and their characteristics; IC logic families : DTL, TTL, ECL, NMOS, PMOS and CMOS gates and their comparison; Combinational logic circuits; Half adder, Full adder; Digital compartor; Multiplexer, Demultiplexer; ROM and their applications. Flip-flops. R-S, J-K, D and T flip-flops; Different types of counters and resisters; Waveform generators. A/D and D/A convertors. Semiconductor memories.

3. Control Systems :

Transient and steady state response of control systems; Effect of feedback on stability and sensitivity; Root locus techniques; Frequency response analysis. Concepts of gain and phase margins; Constant-M and Constant-N Nichol's Chart; Approximation of transient response from Constant-N Nichol's Chart; Approximation of transient response from closed loop frequency response; Design of Control Systems, Compensators; Industrial controllers.

4. Communication Systems :

Basic information theory; Modulation and detection in analogue and digital systems; Sampling and data reconstruction. Quantization & Coding; Time division and frequency division multiplexing, Equalization; Optical Communication : in free space & fibre optic; Propagation of signals at HF, VHF, UHF and microwave frequency; Satellite Communication.

5. Microwave Engineering :

Microwave Tubes and solid state devices, Microwave generation and amplifiers, Waveguides and other Microwave Components and Circuits, Microstrip circuits. Microwave Antennas. Microwave Measurements, Masers Lasers; Microwave Propagation. Microwave Communication Systems-terrestrial and Satellite based.

. Computer Engineering :

Number Systems; Data representation; Programming; Elements of a high level programming language PASCAL/C; Use of basic data structures; Fundamentals of computer architecture Processor design; Control unit design; Memory organisation. I/o System Organisation. Microprocessors : Architecture and instruction set of Microprocessors 8085 and 8086. Assembly language Programming. Microprocessor based system design : typical examples. Personal computers and their typical uses.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommended] to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. Every candidate will be medically examined at Central Hospital, Basant Lane, New Delhi on the next day of their personality test or on the date and place as decided by the Ministry of Railways (Railway Board irrespective of the fact that he/she had appeared for such medical examination in the past and found fit or unfit on the basis of earlier examination. IN CASE A CANDIDATE ATTENDS THE PERSONALITY TEST BUT ABSTAINS FROM MEDICAL EXAMINATION FOR ANY REASON WHATSOEVER.

(a) He/She shall be required to seek prior permission from Railway Board [DDE (GR)] to abstain from medical examination.

(b) In case due to any exigencies, prior permission could not be obtained, the candidate shall be required to contact personally the concerned authority in the Ministry of Railways within 15 days of the date of Personality test alongwith the documentary evidence in support of reasons for such abstention and also reasons for not seeking prior permission. No TA/DA shall be paid.

Under no circumstances any request made after 15 days of date of personality test shall be entertained.

It is in candidate's interest to come preparade with all the details/documents. The incomplete representation as above shall be considered as no representation and will render the candidate liable to be omitted for allotment of any service post on the basis of ESE 1999. The decision of Ministry of Railways in this regard is final and binding on the candidate. IT MAY ALSO BE NOTED THAT IF A CANDIDATE LEAVES THE HOSPITAL WITHOUT COMPLETION OF MEDICAL EXAMINATION, IT WILL BE PRESUMED THAT HE HAS NOT APPEARED AT ALL and he shall not be allotted to any service on the basis of ESE 1999.

3. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the Board.

(b) However, for certain Services the minimum standards for height and chest girth, without which candidate cannot be accepted are as follows :—

Name of Services	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
Railway Engineering Service (Civil, Electrical Mechanical and Signal) and Central Engineering Service Group A and Central Electrical & Mechanical Engineering Service Group A in the C.P.W.D.			
(a) For Male candidates	152 cm.	84 cm.	5 cm.
(b) For Female candidates	150 cm.	79 cm.	5 cm.

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidate belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes, etc whose average height is distinctly lower.

(c) For the Military Engineering Service and Indian Ordnance Factories Service Group A, a minimum expansion of 5 centimetres will be required in the matter of measurement of the chest.

4. The candidates height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidly and with the heels, caves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be repressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetres to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulders blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres. 83—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fraction of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighted and his weight recorded in kilograms—fraction of a kilogram should not be noted.

7. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded :—

(i) General.—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any morbid conditions of eye, eyelids or contiguous structure of such a sort as to render or are likely at future date to render him unfit for Service.

(ii) Visual Acuity.—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests—one for distant the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for maximum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the conditions of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Service	Distant Vision		Near Vision	
	Better Eye (corrected Vision)	Worse Eye	Better Eye (corrected Vision)	Worse Eye
1	2	3	4	5
A. Technical				
1. Railway Engineering Service (Civil, Electrical, Mechanical and Signal)	6/6 OR 6/9	6/12 6/9	J/I	J/II
2. Central Engineering Service Group A Central Electrical and Mechanical Engineering Service Group A Indian Inspection Service Group 'A' Central Water Engineering Service Group A, Central Power Engineering Service Group A, Central Engineering Service (Roads) Group A and Indian Telecommunication Service Group A Assistant Executive Engineer(Civil or Electrical) in P&T Building Works (Group 'A') Service. Post of Engineer Group A in WP &C Wing/Monitoring Organisation, Ministry of Communications, Indian Broadcasting (Engineers) Service, Indian Ordnance Factories Service Group A Border Road Engineering Service Group "A"	6/6 6/9	6/12 6/9	J/I	J/II
3. Military Engineer Service Group 'A' Assistant Manager (Factories) Group "A" P&T Telecommunication Factories Organisation	6/6 6/9	6/18 6/9	J/I	J/II
B. Non-Technical				
4. Indian Railway Stores Service Drilling Engineer (Junior) Group "A" Mechanical Engineer (Junior) Group 'A' in G.S.I. and Indian Supply Service Group 'A'	6/9	6/12	J/I	J/II

NOTE (1)

(a) In respect of the Technical Services mentioned at A above, the total amount of myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed + 4.00D.

Provided that in case a candidate in respect of the Services classified as "Technical" (other than the Services under the Ministry of Railways) is found unfit on grounds of high myopia the matter shall be referred to a special boards of three Ophthalmologists to declare whether this myopia is Pathological or not. In case it is not pathological the candidate shall be declared fit provided he gulfils the visual requirements otherwise.

(b) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of any pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit

NOTE (2)

The testing of colour vision shall be essential in respect of the technical Services mentioned at A above except the Indian Telecommunication Service Group A.

Colour preception should be graded into higher and lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below :

Grade	Higher Grade of colour preception	Lower Grade of colour preception
1. Distance between the lamp and the candidate	16″	16″
2. Size of apehure	1.3 mm	13 mm
3. Time of expossures	5 seconds	5 seconds

For the Railway Engineering Services (Civil, Electrical, Signal and Mechanical) and other service connected with the safety of the public, higher grade of colour vision is essential but for others lower grade of colour vision should be considered sufficient.

The categories of Service/posts which require higher or lower grade colour preception are as indicated below :—

Technical Services or posts requiring higher grade colour Preception :—

(i) Railway Engineering Services.

(ii) Military Engineering Service (IDSE) and Surveyor Cadre).

(iii) Survey of India Group 'A' Service.

(iv) Central Engineering Service (Roads).

(v) Central Power Engineering Service.

(vi) Assistant Manager (Factories) Group 'A' (P&T) Telecom. Factories Organisation.

(vii) Border Roads Engineering Service, Group 'A'.

(viii) Indian Inspection Service.

Technical Services or posts requiring lower grade colour preception :—

(i) Central Engineering Service.

(ii) Central Electrical and Mechanical Engineering Service

(iii) Indian Ordnance Factory Service.

(iv) Central Water Engineering Service.

(v) Assistant Executive Engineer (Civil & Electrical in P&T Building Works (Group 'A') Service.

(vi) Junior Scale in Indian Broadcasting (Engineers) Service.

(vii) Engineer Group 'A' in Wireless Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation.

Satisfactory colour vision constitutes recognition of signal red, green and white colours with ease and without hesitation. Both the Ishihara's plates and Edriges Green's lantern shall be used for testing colour vision.

NOTE (3) Field of vision—The field of vision shall be tested in respect of all Services by the confrontation method Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (4) For Night Blindness.—Night blindness need not be tested as a routine but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he has been there for 20 to 30 minutes. Candidates own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

NOTE (5) For Central Engineering Services the Candidates may be required to pass the colour vision test and undergo test for night blindness when considered necessary by the Medical Board. For Survey of India Group 'A' Service the candidate may be required to pass a 'stereoscopic fusion' test.

NOTE (6) Occular conditions, other than visual acuity—

(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) Squint.—For Technical Services mentioned at A above where the presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acuity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification. For other Services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(c) If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has sub-normal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has—

(i) 6/6 distant vision and J/I near vision with or without glasses provided the errors in any meridian is not more than 4 dipters for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

The above relaxed standard of visual acuity will NOT apply to candidates for Post/Services classified as "TECHNICAL".

NOTE (7) Contact Lenses :—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed.

NOTE (8) It is necessary that when considering eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot candles.

NOTE (9) It shall be open to Government to relax any one of the conditions in favour of any candidate for special reasons.

8. Blood pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal, maximum, systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus age.

(ii) With subject over 25 years of age general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic prescription 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transiant nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro cardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure.

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise of excitement, Provided the patient and particularly his arm is relaxed; he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be free from cloths to the shoulder. The cuff com-

already defined, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied highly and carefully over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to above 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stand when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Re-checking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflection of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

9. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the Glyco uria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examinations, clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion fit or unfit. The candidates will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain candidate for several days in hospital under strict supervision.

10. A woman candidate who has a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporary unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearnig aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services, other than Indian Railway Stores Services, the Military Engineer Services, the Indian Telecommunication Service Group A, Central Engineering Service Group A, Central Electrical Engineering Service Group 'A' and the Border Roads Engineering Service Group 'A'. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

1	2	3
(1)	Marked or total deafness in one ear other being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibles in higher frequency.
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid	Fit in respect of both technical and non-technical jobs in the deafness is upto 30 decibles tn speech frequencies of 1000 to 4000.
(3)	Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type	(i) One ear normal other ear Perforation of tympanic membrane present temporarily under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other Perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit. (iii) Central perforation both ears--Temporarily unfit.
(4)	Ears with mastoid cavity sub normal hearing on one side/on both sides	(i) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity—Fitfor both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibles in either ear with or without hearing aid.
(5)	Persistantly discharging ear operated/unoperated	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6)	Chronic inflammatoryl/ allergic conditions of noso with or without bony deformities of nasal septum	(i) A decision will be taken as per circumstance of individual cases. If deviated nasal septum is present with Symptoms Temporarily Un-fit.
(7)	Chronic inflammatory condition of tonsils and or Larynix.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynix—Fit. (ii) Harseness of voice of severe degree if Present then temporarily Unfit.
(8)	Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours—Temporarily Unfit. (ii) Malignant Tumours—Unfit.
(9)	Otosclorosis	If the hearing is within 30 decibles after operation or with the help of hearing aid—Fit.

1	2	3
(10)	Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If non-interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering severe degree Unfit.
(11)	Nasal poly	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth) will be considered as sound;

(d) that the chest is well formed and his chest expansion is sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not raptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, varicose, veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inverterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination;

(m) that he is free from communicable disease.

12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for defecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

"It is also stated that while conducting medical examination of the candidates called for the interviews, the candidates who have already undergone X-ray Examination in a Government Hospital or a hospital authorized for such tests in the preceding twelve months as on the date of medical examination shall be exempted from X-ray test.

This will also be subject to the conditions that the X-ray Examination performed earlier fully serves the purpose and the identity of the individual is established beyond doubt i.e. it is certified that the X-ray report produced by the candidate is the report of X-ray Examination performed on the candidate himself/herself.

The onus of providing that the candidate underwent X-ray examination in the preceding 12 months and was declared fit on this account as per guidelines given above is on the candidate himself/herself.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final".

13. In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or aberation; the Chairman of the Board may consult a Hospital psychiatrist/psychologist etc.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not, it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

14. The Candidates who desire to file an appeal against the decision of the Medical Board are required to deposit an appeal fee of Rs. 50/- in such a manner as may be prescribed by the Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) in this behalf. This fee will be refundable only to those candidates who are declared fit by the Appellate Medical Board whereas in the case of others it will be forfeited. Alongwith, appeal the candidates must, submit a medical certificate by a registered doctor specifically mentioning that he is aware of the candidate having been declared unfit by a Medical Board. Candidates must have a copy of this certificate when they present themselves before the Medical Board. The appeals should be submitted within 21 days of the date of communication in which the decision of the first Medical Board is conveyed to the candidate; otherwise request for medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board will be arranged only a candidate's own cost. No travelling allowance or daily allowance will be admissibe for the journeys performed in connection with the medical examination of the Appellate Medical Board. Necessary action to arrange medical examination by the Appellate Medical Board will be taken by the Ministry of Railways (Railway Board) on receipt or appeals accompanied by the prescribed fee within the stipulated time.

15. The decision of the Appellate Medical Board will be final and no appeal shall be against the same.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance of the age and length or service if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy..... Government or the appointing authority as the case may be that he has not disease constitutional affliction or bodily infirmity, unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects or medical examinatoin is to secure continuous effective service and in the case of candidate for permanent appointment to prevent early pension or payment in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service the ground for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

The Medical re-examination shall be deemed to be part of the 1st Medical Examination and candidates may, if they so desire, appeal aganist its decision.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the Statement required below prior to his Medical Examination and must sign the declaration 'appended thereto'. Their attention is specially directed to the warning contained in the Note below—

1. State your name in full (block letters)

.....
.....
.....
.....

2. State your age and birth place.....
.....

2. (a) Do you belong to races such a Gorkhas, Garhwalis, Assamese Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes', state the name of the race.

3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood asthma, heart disease, lungs disease, fainting, attacks, rheumatism appendicitis;

(b) Any other disaese or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

.....
.....
.....

4. Have you suffered from any form of nerviousness due to over-work or any other cause.

.....
.....
.....

5. Furnish the following particulars concerning your family:

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death
(1)	(2)	(3)	(4)

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death
(5)	(6)	(7)	(8)

6. Have you been examined by a Medical Board before ?
.....
.....
.....

7. If answer to the above is 'Yes' please state what Service(s)/post(s) you were examined for ?

8. Who was the examining authority ?

9. When and where was the Medical Board held ?
.....
.....
.....

10. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known.....
.....
.....

I declare all the above answers to be true and correct to the best of my belief.

Candidate's Signature.....
Signed in my presence
.....
Signature of Chairman of the Board

Note—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed of for felting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical examination.....

1. General development .....
Good ..... Fair ..... Poor ..... Nutrition
Thin ..... average ..... Obese ..... Height (without shoes) ..... weight ..... Best Weight
.....

When ? ..... Any recent change in weight ..... temperature.....

Girth of chest :—
(1) (After full inspiration)
(2) (After full expiration)

2. Skin Any obvious disease .....

3. Eyes
(1) Any disease.....
(2) Night Blindness.....
(3) Defect in colour vision.....
(4) Field of vision.....
(5) Visual acuity.....
(6) Fundus Examination.....

Acuity of vision	Naked eye	with glasses	Strength of glasses Sph	Cyl	Axis I
Distant vision		R.E.			
		L.E.			
Near vision		R.E.			
		L.E.			
Hypermatropia (Manifest)		R.E.			
		L.E.			

4. Ears : Inspection.....

Hearing Right Ear.....

Left Ear.....

5. Glands ..... Thyroid .....

6. Condition of teeth.....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs.

.....

.....

If yes, explain fully .....

.....

.....

8. Circulatory system :

(a) Heart : Any organic lesions.....

Rate ..... Standing .....

After hopping 25 times .....

Two minutes after hopping .....

(b) Blood Pressure : Systolic .....

Diastolic.....

9. Abdomen : Girth ..... Tenderness .....

Hernia.....

(a) Palpable Liver.....Spleen

.....

.....

.....

Kidneys.....

.....

.....

Tumours.....

(b) Haemorhoids ..... Fistula .....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities.....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, varicocele etc. Urine analysis :

(a) Physical Appearance.....

(b) Sp. Gr.....

(c) Albumen.....

(d) Sugar.....

(e) Casts.....

(f) Cells.....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Service for which he is a candidate.

Note—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporary unfit, vide Regulation 9.

15. For which services of the following seven categories has the candidate been examined and found in all respect qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit :—

(i) Railway Engineering Services, Gr. A (Civil Electrical, Mechanical and Signal), CES Gr. A and CE & MES Gr. A.

(ii) I.I.S. Gr. A, CWES Gr. A, CPES Gr. A, CES (Roads) Gr. A, Assistant Executive Engineer (P&T Board) (Civil Engineering Wing) Posts of Engineer Gr. A (WP&C Wing, Monitoring Organisation), IBES Gr. A, BRES Gr. A.

(iii) MES Gr. A Survey of India.

(iv) IOFS (Gr. A).

(v) Assistant Manager (Factories) Gr. A in P&T.

(vi) I.T.S. Gr. 'A'.

(vii) IRSS Gr. A, ISS Gr. A Posts of Drilling Engineer (Junior) Group 'A', Mechanical Engineer (Junior) Group 'A' in G.S.I.

Is the candidate fit for Field Service ?

Note :—The Board should record their findings under one of the following categories :—

(i) Fit.....

(ii) Unfit on account of.....

President.....

Member.....

Place.....

Date .....

APPENDIX III

BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE SERVICES/POSTS TO WHICH RECRUITMENT IS BEING MADE ON THE RESULTS OF THIS EXAMINATION.

1. INDIAN RAILWAY SERVICE OF ENGINEERS, INDIAN RAILWAY SERVICE OF ELECTRICAL ENGINEERS, INDIAN RAILWAY SERVICE OF SIGNAL ENGINEERS, INDIAN RAILWAY SERVICE OF MECHANICAL ENGINEERS AND INDIAN RAILWAY STORES SERVICE.

(a) Probation :—Candidates recruited to these Services will be on probation for a period of three years during which they will undergo training for two years and put in a minimum of one year's probation in working post. If the period of training has to be extended in any case, due to the training having not been completed satisfactorily, the total period of probation will be correspondingly extended. Even if the work during the period of probation in the working post is found not to be satisfactory, the total period of probation will be extended as considered necessary by the Government.

(b) Training :—All the probationers will be required to undergo training for a period of two years in accordance with the prescribed training syllabus for the particular service/Post at such place and in such manner and pass such examinations during this period as the Government may determine from time to time.

(c) Termination of appointment :—The appointment of probationers can be terminated by three months' notice in writing on either side during the period of probation. Such notice is not, however required in case of dismissal or removal as disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution and compulsory retirement due to mental or physical incapacity. The Government however, reserve the right to terminate the services forthwith.

(i) If in the opinion of the Government the work or conduct of probationer is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

(ii) Failure to pass the departmental examination may result in termination of services. Failure to pass the examination in Hindi of an approved standard within the period of probation shall be liable to termination of services.

(d) Confirmation :—On the satisfactory completion of the period of probation and on passing all the prescribed departmental and Hindi examinations, the probationers will be confirmed in the Junior Scale of the Service if they are considered fit for appointment in all respect.

(e) Scales of pay :—

(i) Junior Scale—Rs. 8000-275-13,500/-.

(ii) Senior Scale—Rs. 10000-325-15200/-.

(iii) Junior Administrative Grade II—Rs. 12000-375-16,500/-.

(iv) Senior Administrative Grade II—Rs. 18400-500-22400/-.

In addition there are supertime scale posts carrying pay between Rs. 18400/- and Rs. 26000/- to which the officers of the above Services are eligible.

A probationer will start on the minimum of Junior Scale and will be permitted to count the period spent in probation towards leave, pension and increments in time scale.

Dearness and other allowances will be admissible in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

Failure to pass the deparmtental and other examination during the period of probation may result in stoppage or postponement of increment.

(f) Refund of the cost of training :—If for any reasons which in the opinion or the Government; are not beyond the control of the probationer, a probationer wishes to withdraw from training or probation, he shall be liable to refund the whole cost of his training and any other money paid to him during the period of his probation. For this purpose probationers will be required to furnish a Bond a copy of which will be enclosed alongwith their offers of appointment. The probationers permitted to apply for examination for appointment to Indian Administrative Service, Indian Foreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of the training.

(g) Leave—Officers of the Service will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

(h) Medical Attendance :—Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

(i) Passes and Privilege Ticket Orders :—Officers will be eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the Rules in force from time to time.

(j) Provident Fund and Pensions :—Candidates recruited to the Service will be governed by the Railway Pension Rules and shall subscribe to the State Railway Provident Fund (Non-contributory) under the rules of that Fund as in force from time to time.

(k) Candidates recruited to the Services/Posts are liable to serve in any Railway or Project in or out of India.

(l) Liability to serve in Defence Service :—The probationers appointed shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training if any :—

Provided that such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

2. CENTRAL ENGINEERING SERVICE GROUP "A" AND CENTRAL ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING SERVICE GROUP "A".

(a) The selected candidates will be appointed on probation for two years. They would be required to pass the prescribed departmental examination during the period of probation. On satisfactory completion of their probation they could be considered for cnfirmation or continuance in their appointment, Government may extend the preiod of probation of two years.

If on the expiration of the period of probation or of any extension thereof, Government are of opinion that the office is not fit for permanent employment/retention or if at any time during such period of probation or extension, they are satisfied that the officer will not be fit for permanent appointment/retention on the expiration of such period or extention they may discharge the officer or pass such order as they think fit.

(b) As things stand at present, all officers appointed to Central Engineering Service Group 'A' are eligible for promotion to the next higher grade viz., Executive Engineer after completion of five years service in the grade of Assistant Executive Engineer, subject to availability of vacancies and on condition that they are otherwise found fit for such promotion.

(c) Any person appointed on the results of this competitive examination shall, if, so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence, of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(d) The following are the rates of pay admissible :—

(i) I.T.S. (A.E.E.) Rs. 8000-275-13500/-,

(ii) S.T.S. (E.E.) Rs. 10000-325-15200

(iii) Junior Administrative Grade (S.E.) :

(a) Ordinary Grade Rs. 12000-375-16500/-.

(b) Selection Grade Rs. 14300-400-18300/-.

(iv) Senior Administrative Grade (C.E.) Rs. 18400/-500-22400/-.

(v) Super time scales.

Additional D.G.—Rs. 22400-525-24500/-.

D. G. (W)—Rs. 26000/- Fixed.

These Posts are common to all the three disciplines i.e. Civil, Electrical and Mechanical and Architectural.

Note—The pay of a Government servant who held a permanent posts other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in Central Engineering Service (Group A) and Central Electrical & Mechanical Engineering Service (Group A).

(i) Central Engineering Service Group A.

Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Designing, Construction and Maintenance of various civil works (of Central Government) comprising residential buildings, office buildings, institutional and research centres, industrial buildings, hospitals and development schemes, aerodromes, highway and bridges etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers (Civil) and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

(ii) Central Electrical and Mechanical/Engineering Service Group A.

Candidates recruited to this Service through Engineering Services Examination are employed in the Central Public Works Department on Planning, Design ng, Construction and Maintenance of electrical components of various civil works (of Central Government) comprising of electrical installations, electrical substation and power houses, air-conditioning and refrigeration runway lighting of aerodromes, operation of mechanical workshops, procurement and upkeep of construction machinery etc. The candidates start their service in the Department as Assistant Executive Engineers (Electrical) and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the Department.

3. MILITARY ENGINEER SERVICE GROUP A

(a) The selected candidates will be appointed on probation for a period of two years. A probationer during his probationary period may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient or if the probationer fails to pass the prescribed tests during the period Government may discharge him. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the office in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend the period of probation for such further periods as Government may consider fit.

Probationers will be required to pass the MES Procedure Supdts. (B/R & E/M). Grade I Examination and Hindi Test during their probationary period of two years. The standard for Hindi Test should be "PRAGYA" (equivalent to Matriculation standard).

(b) (i) The selected candidates shall if so required be liable to serve as commissioned officers in the Armed Forces for a period of not less than 4 years including the period spent on training, if any,

Provided that such a candidate—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidates shall also be subject to Civilian in Defence Service (Field Liability) Rules, 1957 published under SRO No. 92, dated 9th March 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standard laid down therein.

(c) the following are the rates of pay :—

(a) Assistant Executive Engineer/Assistant Surveyor of Works—Rs. 8000-275-13500/-.

(b) Executive Engineer/Surveyor of Works—Rs. 10000-325-15200/-.

(c) Superintending Engineer (Ordinary Grade)/Superintending Surveyor of Works (Ordinary Grade)—Rs. 12000-375-16500/-.

(d) Superintending Engineer (Selection Grade)/Superintending Surveyor of Works (Selection Grade)—14300-400-18300/-.

(e) Additional Chief Engineer—Rs. 14300-400-18300/- plus Special pay.

(f) Chief Engineer/Chief Surveyor of Works—Rs. 18400-500-22400/-.

(g) Additional Director General (Works)—Rs. 22400-525-24500/-.

4. INDIAN ORDNANCE FACTORY SERVICE GROUP A.

(a) Selected candidates will be appointed on probation for a period of 2 years. The period of probation may be reduced or extended by the Government on the recommendation of Director General, Ordnance Factories/Chairman, O.F. Board. Probationer will undergo such practical training, as shall be provided by the Government and may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. The language test will be a test in Hindi.

On the conclusion of the period of his probation Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

(b) (i) Selected candidates shall if so required be liable to service as Commissioned officers in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training if any provided that such persons (i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidate shall be subject to Civilians in Defence Service (Field Liability) Rules, 1957, published under SRO No. 92 dated 9th March, 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standard laid down therein.

(c) The following are Scales of Pay admissible :—

Jr. Time Scale—Rs. 8000-275-13500.

Sr. Time Scale—Rs. 10000-325-15200.

Jr. Admin. Grade (OG)—Rs. 12000-375-16500.

Jr. Admin. Grade (SG)—Rs. 14300-400-18300.

Sr. Admin. Gr.—Rs. 18400-500-22400.

Sr. General Manager—Rs. 22400-525-24500.

Addl. DDGOF/Member OFB—Rs. 22400-600-26000.

DGOF/Chairman OFB—26000.

Note :—The pay of Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provisions of Ministry of Defence O.M. No. 15(6)/64/D(Appts) 105 D (Civ. I) dated the 25th November, 1965 as amended from time to time.

(d) Probationers are required to undergo Foundational course at Mussoorie/Nagpur.

(e) A probationer so recruited shall have to execute a bond before joining the service.

5. INDIAN TELECOMMUNICATION SERVICE GROUP-A.

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years. If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or

shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith on the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

Officer will be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed during the period of probation. They will also be required to pass tests in Hindi before confirmation.

(b) Officers will also be required to pass professional and language test.

(c) Any person appointed on the results of the Competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India for a period of not less than fours years including the period spent on training, if any.

Provided that such person :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(d) the following are a scales of pay admissible :—

(i) Junior Time Scale : Rs. 8000-275-13500.

(ii) Senior Time Scale : Rs. 10000-325-15200/-.

(iii) Junior Administrative Grade : Rs. 12000-375-16500/-.

(iv) Selection Grade JAG : Rs. 14300-400-18300/-.

(v) Senior Administrative Grade : 18400-500-22400/-.

(vi) C.G/M. Grade : Rs. 22400-525-24500/-.

(vii) Advisers Grade : Rs. 22400-600-26000/-.

(viii) The Officer shall also be eligible for consideration for the posts of Members of the Telecom. Commission which is equivalent to Secretary to Govt. of India—Rs. 26000/-.

Note : The pay of a Government Servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22B(1).

In case the substantive pay is or exceeds Rs. 8550 an officer in the Junior Scale of Indian Telecommunications Service, Group A will not draw any increment till he passes the departmental examinations.

(e) Nature of duties and responsibilities attached to the post in the Indian Telecommunication Service (Group A).

Assistant Divisional Engineer

Assistant Divisional Engineers will be Incharge of a Telegraphs Telephones Engineering Sub-Division. Incharge of Carrier VFT Coaxial Microwave. Long Distance Electrical and Wireless Station and will work generally under a Divisional Engineer. They may also be attached to project Organisation to carry out installation/construction job of various Telecommunication net work.

Divisional Engineer

Divisional Engineers are placed Incharge of Telegraphs/Telephones Engineering Division including Long Distance Coaxial Microwave maintenance Division and Wireless Divisions. They will be fully responsible for the maintenance of the Telegraphs and Telephones equipments in their charge and will also execute work within their Division. When Divisional Engineers are attached to Project Organisations they will be required to do construction/installation job in the unitl.

Junior Administrative Grade

Responsible for administration of Telecommunication assets in the Telecommunication Circles and Telephones Districts and administration and planning of Telecommunication installations, research and development in Telecommunication system etc. Overall incharge or management and administration of Minor Telephone District. Telecommunication Circle etc.

Senior Administrative Grade and CGM Grade

Head of Telecommunications Circle/Telephones District/Project Circle Telecommunication Maintenance Region responsible for the overall management and administration of his charge. Deputy Director General, Telecom Commission provides the top level assistance to the Telecom Commission in framing policy and in overall administration. Sr. DDG Telecom Engineering Centre and DDGs Telecom Engineering Centre are responsible for overall research activities of the Telecommunication/Engineering Centre.

Advisor Grade

In the rank of Additional Secretary to the Government of India primarily responsible for formulating the personnel policies: Operations and maintenance of the telecom networks—both local and long distance; ensuring Annual Plan-Implementation by the field units by ensuring timely approval of projects and production/supply of necessary equipment to the field units; and assessment and induction of the new technologies into the telecom network.

9. CENTRAL WATER ENGINEERING (GROUP A) SERVICE

(i) Persons recruited to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer in the Central Water Engineering (Group 'A' Service) shall be on probation for a period of two years.

Provided that the Government may, where necessary extend the said period of two years for a further period not exceeding one year.

If on the expiration of the period of probation referred to above or any extension thereof as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if any time during such period of probation or extension they are satisfied that he will not be fit for permanent appointment, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit.

During the period of probation the candidates may be required by the Government to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as it may think fit as a condition to satisfactory completion of probation.

(ii) Any person appointed on the result of this competitive examination shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on traning, if any.

Provided that such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iii) *The officers appointed to the post of Assistant Director/Assistant Executive Engineer can look forward for promotion to higher grade of Deputy Director/Executive Engineer/Superintending Engineer/Director (Ordinary Grade) Director/Superintending Engineer (Selection Grade)/Chief Engineer/Member/Chairman, CWC after fulfilling the prescribed conditions.*

(iv) The scales of pay for Group 'A' Engineering post in Central Water Engineering (Group 'A' Service) are as follows :—

(Civil and Mechanical Posts in the Central Water Engineering Group 'A' Service).

1. Assistant Director/ Assistant Executive Engineer	Rs. 8000—275—13500
2. Deputy Director/ Executive Engineer	Rs. 10000—375—15200
3. Superintending Engineer/Director (Ordinary Grade)	Rs. 12000—375—16500
4. Director/Superintending Engineer Selection	Rs. 14300—400—18300
5. Chief Engineer	Rs 18400—500—22400
6. Member CWC Chairman GFCC	Rs. 22400—525—24500
7. Chairman CWC	Rs. 26000 (fixed)

(v) Nature of duties and responsibilities attached to the posts in the Central Water Engineering (Group A) Service.

Assistant Director (Civil and Mechanical)

Planning, Surveys investigation and design of projects, including preparation of estimates, reports etc. for the conservation and regulation, of water resources for the development of irrigation, navigation, power, domestic water supply, flood control and other purposes.

Assistant Executive Engineer (Civil and Mechanical)

Responsible for the Sub-Division or other unitts of works allotted to him. He is required to maintain accounts records of cash and stores under his charge as well as work abstracts with certain accompaniments for each work as process in the Sub-Division. He is responsible for the correct maintenance of measurement books, muster rolls and other records under his charge in accordance with the prescribed rules, etc.

7. CENTRAL POWER ENGINEERING (GROUP A) SERVICE

(i) *Description of the Organisation*

The Central Electricity Authority was constituted under Section 3(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948, and is vested with the responsibility to develop a strong, adequate and uniform National Power Policy to co-ordinate the activities of the Planning agencies in relation to the control and utilization of the National Power resources. All the Power Schemes (Generation, Transmission, Distribution and Utilisation of Power Supply) in the country are scrutinised in the Central Electricity Authority in respect of feasibility, technical analysis, economic, viability, etc. to ensure that the schemes would fit into the overall development of the States as well as the Region and will conform to the overall context of National Economy. The organisation occupies pivotal position in the development of national economy power providing its main motive force.

(ii) *Description of the grade to which the recruitment is made through the Engineering Services Examination held by Union Public Service Commission.*

Fifty per cent of vacancies in the grade of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer in the scale of Rs. 8,000—13,500/- are filled by direct recruitment on the results of the Engineering Services Examination held by the Union Public Service Commission annually.

Persons appointed to the posts of Assistant Director ,Grade-I)/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) shall be on probation for a period of two years provided that the Government may, where necessary, extend the said period of two years for a further period not exceeding one year.

If on the expiration of the period of probation referred to above or any extension thereof, as the case may be, the Government are of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment of if at any time during such period of probation or extension, they are satisfied that he will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation or extension, they may discharge or revert him to his substantive post or pass such order as they think fit.

During the period of probation, the candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as it may think fit as a condition to satisfactory completion of probation.

Any person appointed on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any, provided that such persons—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iii) *Promotion to higher grades*

The officers appointed to the posts of Asistsant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer are eligible for promotion to higher grade viz. Deputy Director/Executive Engineer/Director/Superintending Engineer (Ordinary Grade.) Director/Superintending Engineer (Selection Grade) and Chief Engineer subject to availability of vacancies in the grade concerned, after fulfilling the conditions laid down in the Central Power Engineering (Group A) Service Rules, 1965 as amended from time to time.

(iv) *Scale of pay*

The scale of pay for the posts of Central Power Engineering (Group A) Services in the Central Electricity Authority are as follows :—

Electrical,, Mechanical and Tele-communication posts in the Central Electricity Authority :—

Name of the post	Pay Scale
1. Assistant Director (Grade-I) Assistant Ex Engineer	Rs. 8000—275—13500
2. Dy. Director/ Ex-Engineer	Rs. 10000—325—15200
3. Non Functional Junior Administrative Grade	Rs. 12000—375—16500
4. Director/Supdt Engineer	Rs. 14300—400—18300
5. Chief Engineer/ Member Secretary	Rs. 18400—500—22400

(v) *Duties and responsibilities*

Nature of duties and responsibilities attached to the posts of Assistant Director (Grade-I)/Assistant Executive Engineer are :—

Collection, compilation and co-relation of technical data required for dealing with various types of problems in the fields of power development. He is also required to deal with cases and handle matters in relation thereto including erection; operation, maintenance of Hydro and Thermal Power Projects as well as Transmission and Distribution Power Systems, studying projects reports providing assistance in preparation of power plans, designs or projects etc. While working in field Units, he is responsible for the Sub-Division or other works allotted to him.

8. POSTS IN THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Persons recruited to the posts of Drilling Engineer (Junior) and Mechanical Engineer (Junior) (Group A posts) in the Geological Survey of India in a temporary capacity will be on probation for a period of two years. Retention in service for a further period over two years will depend on assessment of their work during the period of probation. This period may be extended at the discretion of the Government. They will receive pay in time scale of Rs. 8,000-275-13,500. On completion of their period of probation satisfactorily, if they are considered fit for permanent appointment they will be considered for confirmation according to rules subject to the availability of substantive vacancies.

The persons appointed to the posts of Drilling Engineer (Junior) and Mechanical Engineer (Junior) in the Geological Survey of India, shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period of training, if any.

Provided that such a person :—

(i) Shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date appointment as Drilling Engineer (Junior) or Mechanical Engineer (Junior) Geological Survey of India, and

(ii) Shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

The following is the filed of promotion open to those found fit according to the rules and instructions on the subject.

A. For Drilling Engineer (Junior) Group 'A'—Rs. 8,000-275-13,500.

(i) Drilling Engineer (Senior)—Rs. 10,000-325-15,200.

(ii) Director (Drilling)—Rs. 12,000-375-16,500.

(iii) Dy. Director General (ES)—Rs. 18,400-500-22,400.

(iv) Sr. Dy. Director General—Rs. 22,400-600-26,000.

B. For Mechanical Engineer (Junior) Group 'A'—Rs. 8,000-275-13,500.

(i) Mechanical Engineer (Senior)—Rs. 10,000-325-15,200.

(ii) Director (Mechanical Engineering)—Rs. 12,000-375-16,500.

(iii) Deputy Director General (Engineering Services)—Rs. 18,400-500-22,400.

(iv) Sr. Deputy Director General—Rs. 22,400-600-26,000.

The officers recruited in Geological Survey of India will be required to serve anywhere in India or outside the country.

NOTE :—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will be regulated subject to the provisions of F. R. 22-B(I).

Nature of duties & responsibilities attached to the posts in Geological Survey of India.

Mechanical Engineer (Junior) : Maintenance & repairs of drills, vehicles & other equipment, allotment of drivers & vehicles for various field duties and assignment, scrutiny and maintenance of P.O.L. issue and records, log books, history sheets, etc. Fabrication and Manufacturing of Drilling & Scientific accessories.

Drilling Engineer (Junior) : Carrying out drilling operation in connection with mineral exploration with one or more drilling rigs, ensuring optimum percentage of ore, recovery, upkeeping of machinery and vehicles deployed in good order, security of Govt. stores and accounts and looking after the welfare of staff employed under him.

9. ENGINEERS (GROUP A) IN THE WIRELESS PLANNING AND COORDINATION WING/MONITORING ORGANISATION MINISTRY OF COMMUNICATION (DEPARTMENT OF TELE-COMMUNICATION).

(a) Scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/-.

(b) The incumbent of the post of Engineer is eligible for promotion against 100% of the vacancies in the grade of Assistant Wireless Adviser. Wireless Planning and Coordination Wing/Engineer-in-Charge. Monitoring Organisation (Scale of pay Rs. 10,000-325-15,200/- plus Rs. 400/- per month as special pay for the post of Assistant Wireless Adviser) after putting in five years service in the grade Promotion to the grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-Charge will be on the basis of their selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as constituted for Group A posts.

All Assistant Wireless Adviser and Engineer-in-Charge with 5 years service in the Grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-Charge are eligible for being considered for promotion as Deputy Wireless Adviser/Deputy Director (Scale Rs. 12 000-375-16.500/-). The vacancies in the grade of Deputy Wireless Adviser/Deputy Director are filled 100% by promotion on the basis of selection on the recommendations of the DPC as constituted for Group A posts.

The vacancies in the next higher grades of Joint Wireless Adviser/Director (WM) in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 and Wireless Adviser to the Government of India in the pay scale of Rs. 18400-500-22400 are filled 100% by promotion on the basis of selection on the recommendations of DPC as constituted for Group-A posts.

The requirements for promotion to the next higher grade, as laid down above, are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(c) The person appointed to the post of Engineer is liable to be posted anywhere in India.

(d) Any person appointed to the post of Engineer shall if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than 4 years including the period spent on training if any.

Provided that such a person :—

(i) Shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(ii) Shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(e) Nature of Duties and Responsibilities Attached to the Post.

(i) Supervision, guidance and training of staff in the different units of the WPC Wing/Wireless Monitoring Organisation.

(ii) Installation, calibration, testing and maintenance of various categories of electronic equipment, antennae and ancillaries employed in radio frequency monitoring, covering the entire radio frequency spectrum and various types of commissions.

(iii) Licensing and inspection of wireless installations of the various user departments/Organisations for different types of the radio communication services.

(iv) All aspects relating to national and International co-ordination for the use of radio frqeuency spectrum and geostationary satellite orbit including préparation of allocation plants, establishment of relevant technical standards type-approved of equipment, studies of electromagnetic interference compatibility etc.

(v) Administration of Internal Radio Regulations including formulation and implementation of corresponding national rules and regulations.

(vi) Conducting of examination for Certificate of Proficiency/Radio Armatures etc. and issuing of respective Licenses.

(vii) Research and development work relevant to radio frequency management and monitoring.

(viii) National level preparation for the conference and meeting of International Telecommunication Union, and as appropriate, or other international/regional organisations dealing with telecommunications.

10. CENTRAL ENGINEERING SERVICE (ROADS), GROUP A

(a) The selected candidates will be appointed as Assistant Executive Engineer on probation for two years. On the completion of the period of probation, if they are considered fit for permanent appointments, they will be confirmed as Assistant Executive Engineer if permanent vacancies are available. The Government may extend the period of probation of two years.

If on the expiration of the period of probation or of any extension thereof, Government are of the opinion that an Assistant Executive Engineer is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation on extension they are satisfied that an Assistant Executive Engineer will not be fit for permanent appointment on the expiration of such periods of extension, they may discharge the Assistant Executive Engineer or pass such orders as they think fit.

(b) Any person appointed on the results of this competitive examination shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such person—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the scale of pay admissible :

Assistant Executive Engineer Rs. 8000-275-13500/-.

Executive Engineer Rs. 10,000-325-15200/-.

Superintending Engineer Rs. 12000-375-16500/-.

Superintending Engineer (Selection Grade) Rs. 14300-400-18300/-.

Chief Engineer Rs. 18400-500-22400/-.

Additional Director General Rs. 22400-525-24500/-.

Director General (Roads Development) and Additional Secretary Rs. 22400-600-26000/-.

Note : The pay of Government servant who held a permanent post other than a tenure post in substantive capacity prior to his appointment as a probation in the Central Engineering Services, Group A/Group B will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the post in Central Engineering Service (Roads) Group A.

(i) Civil Engineering Posts :—

To assist the Senior Technical Officers at Hqrs. and in the Regional Offices etc. of the Roads Wing, Ministry of Surface Transport in planning, preparing designs and estimates of Roads/Bridges work and scrutiny of proposals for such work received from the States.

(ii) Mechanical Engineering Posts :—

To assist the Senior Technical Officers at Hqrs. and in the Regional Offices etc. of the Roads Wing, Ministry of Surface Transport in planning, procurement, operation and maintenance of Roads/Bridges construction equipments, to prepare estimates for repairs and maintenance of such equipments and scrutiny of proposals and estimates received from the States.

11. INDIAN BROADCASTING (ENGINEERS) SERVICE, MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING.

(a) Every officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior scale shall be on probation for a period of two years :

(i) Provided that the Controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instruction issued by Government from time to time.

(ii) Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing with the said period.

(iii) On completion of the period of probation or any extension thereof Officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confired in due course against the available substantive vacancies as the case may be.

(iv) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Govt. is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment in Government it may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be or pass such orders as they deem fit.

(v) During the period of probation or any extension thereof candidate may be required by the Government to undergo such course of training and instructions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as Govt. may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(b) Appointment to the Service.—All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various grades of the Service whether in 'Akashwani' or in 'Doordarshan'.

(c) Liability for service in any part of India and other conditions of service :—

(i) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(ii) Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any.

Provided that such officers :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining prior to the initial construction of the Services.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 40 years.

(d) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be same as are applicable from time to time, to officers of Central Civil Services in general.

The following are scales of pay admissible :—

1. Junior Scale—Rs. 8000-275-13500

2. Senior Scale—Rs. 10000-325 15200

3. Junior Administrative Grade with 13 years service in Group 'A'—Rs. 14300-400-18300

4. Senior Administrative Grade Rs. 18400-500-22400

5. Engineer-in-Chief—Rs. 22400-525-24500

Nature of Duties and responsibilities attached to the post of Junior Scale of Indian Broadcasting (Engineers) Service (Group A) : Operation maintenance; management; planning; design; Installation and commissioning of radio and Television broadcast stations, Research and training of staff in the associated fields; Responsibility for the supervision of the work of subordinate staff.

12. ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEERS IN P&T BUILDING WORKS (GROUP 'A') SERVICE

(a) The candidates will be appointed on probation for a period of two years. They will be required to undergo a training as prescribed. If in the opinion of Government, the work of conduct of an officer appointed on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient Government may dischrage him forthwith. On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment. If his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may, either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

Officers will be required to pass the departmental examination or examinations that may be prescribed during the period of probation. They will also be required to pass a test in Hindi.

(b) An officer appointed on the results of this competitive examination shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such persons—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the scales of pay admissible :—

Group A

(i) Assistant Executive Engineer (Civil/Electrical) Rs. 8000-275-13500.

(ii) Executive Engineer (Civil) Surveyor of Works (Civil) Executive Engineer (Head Quarter) Rs. 10000-325-15200.

(iii) Superintending Engineer (Civil/Superintending Surveyor of Works (Civil/Superintending Engineer (Head Quarter) Rs. 12000-375-16500.

(iv) Superintending Engineer/Superintending Surveyor of Works (Civil/Electrical) (Selection Grade) Rs. 14300-400-18300.

(v) Chief Engineer (Civil/Electrical) (Senior Administrative Grade) Rs. 18,400-500-22400/-.

(vi) Senior Deputy Director General (Building Works) Rs. 22400-525-24500.

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the post in P&T Civil Wing are as follows :—

Candidates recruited to P&T Civil Wing through Engineering Services Examination are employed in Planning, Designing, Construction and Maintenance of various civil works of P&T Department comprising of Residential Buildings, Office Buildings, Telephone Exchange Buildings, Post Office Buildings, Factories, Store and training centres etc. The candidates start their service in the department as Asstt. Executive Engineers/and in the course of their service are promoted to various senior ranks in the department.

13. INDIAN SUPPLY SERVICE/INDIAN INSPECTION SERVICE :—

(a) Selected candidates will be appointed on probation for a period of two years. On completion of the period of probation the officer, if considered fit for permanent appointment, will be confirmed in their appointments subject to availability of permanent posts. The Government may extend the period of two years of probation.

If on the expiry of the period of probation or any extension thereof, the Government are of the opinion that an officer is not fit for permanent employment, or if at any time during such period of probation or extension thereof they are satisfied that any officer will not be fit for permanent appointment on the expiry of such period or extension thereof they may discharge the officer or pass such order as they think fit.

The officer will also be required to pass a prescribed test in Hindi before confirmation.

(b) Any person appointed on the result of this competitive examination shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any.

Provided that such persons :—

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment.

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(c) The following are the rates of pay admissible :—

Junior Time Scale

Assistant Director (Grade-1) Rs. 8000-275-13500/-.

Senior Time Scale

Deputy Director Rs. 10,000-325-15,200/-.

Jr. Administrative Grade

Director (Ordinary) Rs. 12,000-375-16,500/-.

Director (Non-Functional Selection Grade) Rs. 14,300-400-18,300/-.

Sr. Administrative Grade

Deputy Director General Rs. 18,400 500-22,400/-.

Higher Administrative Grade

Additional Director General Rs. 22,400-525-24,500/-.

NOTE :—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to this appointment as a probationer will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(d) Nature of duties and responsibilities attached to the post in Indian supply Service Group 'A'/Indian Inspection Service Group 'A' :—

INDIAN SUPPLY SERVICE GROUP 'A'

The main item of work of the officer of this Service is to conclude long term contracts for procurement of stores which are commonly required by various Central Government Departments on recurring basis. Such stores cover a wide variety of items starting from simple hardware items to sophisticated and costly engineering and electronic items. As and when requested, the officers of this Service are also to arrange purchase of ad-hoc requirements of stores of different Government organisations. In addition, they are to frame purchase policies which are adopted by other Government Departments also and, when requested, guide other Government Departments in such matters. Their duties also include disposal of certain categories of surplus Defence stores and clearance of Government cargoes at the Indian ports of entry on request. The officers of the Indian Supply Service are therefore, expected to possess the requisite technical backgrounds to deal with such diversified nature of duties.

INDIAN INSPECTION SERVICE GROUP 'A'

Inspection and testing of Engineering articles and materials and stores of allied nature supervision of Junior Officers work and ensuring that they are adequately instructed on

their work and duties, personal attention to work of importance, drafting of technical reports, specifications and Schedules of requirements checking of the technical particulars of indents for engineering stores rendering of technical advice and assistance in engineering matters to offices of other branches of the Department indentors and manufactures.

14. BORDER ROADS ENGINEERING SERVICE GROUP 'A'

(i) The selected candidates will be appointed as Assistant Executive Engineers on probation for a period of two years. The probationer during the probation period may be required to pass such departmental tests as Government may prescribe. At any time during the period of probation or on conclusion thereof, if his work and conduct has in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(ii) The selected candidates shall be liable to serve in any part of Indian or outside including the field area in war and in peace. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down for the field service.

(iii) The following are scales of pay admissible to them :—

(a) AEE(Civil)	Rs. 8000—275—13500
Executive Engineer (Civil)	Rs. 10000—325—15200
Superintending Engineer (Civil)	Rs. 12000—375—16500
Superintending Engineer (Civil) (Selection Grade)	Rs. 14300—400—18300
Chief Engineer (Civil)	Rs. 18400—500—22400
Addl. DGBR	Rs. 22400—525—24500
(b) AEE(E&M)	Rs. 8000—275—13500
Executive Engineer (E&M)	Rs. 10000—325—15200
Superintending Engineer (E&M)	Rs. 12000—375—16500
Superintending Engineer (E&M) (Selection Grade)	Rs. 14300—400—18300
Chief Engineer (E&M) (Proposed to be created in due course)	Rs. 18400—500—22400

(iv) The officers appointed to the post of Assistant Executive Engineer can look forward to promotion to the higher grades of Executive Engineer, Superintending Engineer, Chief Engineer (applicable to officers on the Civil Engineering side only) after fulfilling the prescribed conditions.

No post of Chief Engineer exists at present on the Mechanical Engineering side.

The requirements for promotion to next higher grade, as laid down above are those of minimum eligibility and that promotion in the grade concerned will take place subject to availability of vacancies only.

(v) The Officers appointed to the service are entitled to special compensatory allowance and free ration at prescribed scales when employed in certain specified area besides the other usual allowances such as H.R.A. and C.C.A. etc., as admissible to Central Government Servants. They are also entitled to outfit allowances for the uniform.

(vi) The Officers appointed to the Border Roads Engineering Service Group 'A' post would also be subject to Army Act, 1950 for the purpose of discipline.

(vii) Ladies are ineligible for appointment in Borders Roads Engineering Service Group A in view of the extension of the provisions of Section 12 of the Army Act to this Service.

15. POSTS OF ASSISTANT MANAGER (FACTORIES) GROUP A IN THE P&T TELECOM FACTORIES ORGANISATION

(i) Persons recruited to the post of Assistant Manager (Factories) in the scale of pay Rs. 8000-13500/- shall be on probation for a period of 2 years,

(ii) During the period of probation, the candidate shall be required to undergo practical training in accordance with the programme of training that may be prescribed by the Central Government from time to time and are required to pass a professional examination and a test in Hindi.

(iii) Any person appointed to the post of Assistant Manager, (Factories) shall, if so required be liable to serve in the Defence Services or posts connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training if any.

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(iv) Prospects of promotion to higher grades :

(a) Assistant Managers with a minimum of 5 years of a regular service in the grade are eligible for promotion to the grade of Senior Engineer (Sr. Time Scale) in the scale of Rs. 10.000-325-15.200/-.

(b) Senior Engineers with a minimum of 5 years of service in the grade are eligible for promotion to the grade of Deputy General Manager/Manager (Factories) in Junior Admn. Grade in the scale of pay of Rs. 12 000-375-16,500/-.

(c) Deputy General Manager/Manager with 5 years regular service rendered in the grade are eligible for promotion to the Non-Functional Selection Grade of Deputy General Manager/Manager (Selection Grade) Telecom Factory in the scale of Rs. 14300-400-18300/-.

(d) Dy. General Manager/Manager with 8 years regular service in Junior Administrative Grade (including service, if any, in the Non-functional Selection Grade) or 17 years of regular service in Group 'A' Post out of which at least 4 years regular service should be in the JAG Grade (including service, if any, in the Non-functional selection Grade) are eligible for promotion to the Grade of Chief General Manager Telecom Factory in the scale of Rs. 18400-500-22400/- (Senior Administrative Grade).

(v) Nature of duties and responsibilities attached to the post :

Assistant Manager—Supervision and management of Telecom Factories of Department of Telecom in the areas of production of Telecom stores and to deal with service matters of industrial and non-industrial workers and staff including their appointments.

Senior Engineer—Head of a branch viz., Production Planning, Development, Maintenance, Tools etc. and to work as Appointing and Disciplinary Authority for various trades/cadres in Telecom Factories.

Deputy General Manager/Manager (Selection Grade) and Deputy General Manager/Manager—To assist the Chief General Manager in day-to-day work of general administration, production, discipline, planning etc. Incharge of a Factory or production unit/Wing.

Chief General Manager—Head of the Telecom Factory, Responsible for overall control, of general administration, production, planning, discipline, etc. in the Factory.

16. SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE

1. Appointments will be made on probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time in this regard.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

On completion of the period of probation or any extension thereof, as the case may be, if the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, for reasons to be recorded in writing, may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

2. Officers appointed shall be liable to serve anywhere in India and abroad.

3. Officers appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time

4. Any person appointed on the result of competitive examination shall if so required be liable to serve in any defence services or posts connected with defence of India for a period not less than 4 years including the period spent on training, if any, provided that such persons shall not be required :—

(i) to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of appointment;

(ii) ordinarily to serve as aforesaid after attaining the age of 40 years.

5. The following are the scales of pay admissible :—

Junior Scale	Rs. 8000—275—13500
Senior Scale	Rs. 10000—325—15200
Junior Administrative Grade	Rs. 12000—375—16500
Selection Grade	Rs. 14300—400—18300
(Junior Administrative Grade)	
Senior Administrative Grade	Rs. 18400—500—22400
Surveyor General of India	Rs. 22400—525—24500

6. Nature of duties and responsibilities attached to the various posts.

Deputy Superintending Surveyor—Required to carry out Survey work in the fields of geodesy, photogrammetry, cartography and digital mapping as an individual worker, as well as Section Officer/Camp Officer to supervise Sections/Camps. He will also assist Officer-in-Charge (Superintending Surveyor) in—both technical & administrative work of the unit.

Superintending Surveyor—Responsible for the organisation and discipline of the Party, custody, maintenance and accurate accounting of stores, economical expenditure of funds at his disposal, proper training of all his Officers and men in their duties and in the method of Survey best suited to the work, execution and supervision of all technical work—field verification, fair mapping, photogrammetry and digital mapping etc.

Deputy Director—Assist the functional Director in smooth and efficient functioning of the Directorate, responsible for scrutinising, completion and monitoring of all technical, administrative and financial reports and returns, for arranging trade tests, training, circles DPCs, presiding over procurement boards finalising of tender and contract and all other matter delegated by the Director.

Director/Deputy Director Selection Grade—Responsible for all surveys and mapping, appointing and disciplinary authority for all Group 'C' staff, technical coordinating guidance, supervision and monitoring of Surveying & Mapping operations including advice to State Govt. Central project Authorities etc. etc., financial management, budgeting monitoring and control of entire expenditure of the Directorate.

Additional Surveyor General—Complete overall responsibility for the efficient performance of the Circles under his charge in respect of Technical, Scientific, Administrative, Human Resources Development, finance and accounts, finalising the training, field, fair-mapping, digital mapping and reprography programmes and printing work for all Circles under his charge, monitoring progress of technical work according to the prescribed norms and ensure requisite standard of accuracy at every stage, responsible for development/adoption of new technical methods of work, advice to State Governments on all surveying matters falling in his Zone.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1999.